प्रयास
एवं
प्रगति

2015-2016

(प्रशासनिक प्रतिवेदन)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान, जयपुर

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

Website : http ://sje.rajasthan.gov. in

E-mail : sjerajasthan@yahoo.co.in, raj.sje@rajasthan.gov.in

Phone : 0141-2220258

अनुक्रमणिका

I. समाज कल्याण दर्पण		**1**
शैक्षणिक विकास		**5**
1.	छात्रावास सुविधा	5
2.	उत्तर छात्रवृत्ति योजना	8
3.	अनुप्रति योजना	16
4.	आवासीय विद्यालय योजना	17
II. आर्थिक विकास		**21**
1.	अनुसूचित जाति उप योजना	21
2.	विशेष केन्द्रीय सहायता	22
3.	राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम	22
4.	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेद्य और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013	23
5.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम	24
6.	बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र ''अनुसूचित जाति को न्याय'' की प्रगति	27
7.	सम्बल ग्राम विकास योजना	27
8.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	28
9.	गाड़िया लोहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना	28
10.	गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान सहायता योजना	28
III. सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण		**29**
1.	नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन	29
2.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन	29
3.	अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता	29
4.	टेलीफोन हेल्पलाइन की स्थापना	30
5.	अन्तर्जातीय विवाह	30
6.	राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संरक्षण एवं कार्य संचालन	31
8.	राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग	32
9.	राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड	32
10.	राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड	32
11.	अम्बेडकर पुरस्कार योजना	33
IV. समाज कल्याण प्रवृत्तियां		**34**
(अ)	**महिला कल्याण**	**34**
1.	महिला सदन	34
2.	विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना	34

3.	विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना	35
4.	सहयोग योजना	35
5.	महिला स्वयंसिद्धा योजना	36
6.	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	37
(ब)	**बाल कल्याण**	**38**
1.	पालनहार योजना	38
(स)	**विशेष योग्यजन निदेशालय**	**40**
(द)	**निदेशालय, बाल अधिकारिता**	**40**
V.	**सामाजिक सुरक्षा योजनाएं**	**41**
1.	वृद्धाश्रम एवं अशक्त गृह	41
2.	भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004	41
3.	संभाग मुख्यालय पर वृद्धाश्रम संचालन	42
4.	जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रम	42
5.	नवजीवन योजना	42
6.	पेंशन योजनाएं	43
7.	पन्नाधाय जीवन अमृत (आम आदमी बीमा योजना) योजना	47
8.	परिवीक्षा सेवायें	49
9.	कारागृह कल्याण सेवायें	49
10.	राज्य वृद्धजन नीति	49
11.	वृद्ध कल्याण बोर्ड	49
12.	चिरायु योजना, 2008	49
13.	निराश्रित सम्बल योजना	49
VI.	**देवनारायण योजना**	**51**
1.	विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	52
2.	विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना	52
3.	देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के कयाण हेतु घोषित 200 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज	53
VII.	**समाज सुधार के क्षेत्र में अन्य प्रयास**	**54**
1.	नशामुक्ति कार्यक्रय	54
2.	दहेज निषेद्य को प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार	55
3.	अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह	55
4.	पूज्य स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार योजना	56
VIII.	**जेण्डर प्रतिसंवेदी बजट**	**57**
IX.	**अन्य गतिविधियाँ**	**58**
1.	विभागीय योजनाओं का पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरण	58
2.	कम्प्यूटीकरण के क्षेत्र में किये गये नवाचार	60

परिशिष्ट

1.	विभाग का राज्य स्तरीय प्रशासनिक स्वरूप	63
2.	जिला स्तर पर विभाग का प्रशासनिक ढांचा	64
3.	जिला स्तर पर कार्यालय का ढांचा	65
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की जिलेवार सूची	67
5.	राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012	104
6.	छात्रावासों में मैस भत्ते की राशि	107
7.	सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिलेवार स्वीकृत भवनों की स्थिति	109
8.	पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश–2015	112
9.	अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान एवं व्यय	113
10.	सम्बल ग्रामों की संख्या	116
11.	सम्बल ग्राम विकास योजना के दिशा–निर्देश	117
12.	अनु. जाति और जनजाति (अत्याचार निराकरण) नियम, 1995 के नियम 12 (4) अन्तर्गत विभिन्न अपराधों में पीड़ित को प्रदान की जाने वाली राहत राशि का विवरण	123
13.	अनु. जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 11	127
14.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची (अंग्रेजी)	128
15.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची (हिन्दी)	130
16.	विमुक्त, घुमन्तु जातियों और अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची	132
17.	पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची	133
18.	पिछड़ा वर्ग की राजस्थान राज्य हेतु केन्द्रीय सूची	135
19.	राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के पृथकीकरण का आदेश	137
20.	राज्य में संचालित वृद्धाश्रमों की सूची	138
21.	भक्त श्रवण कुमार सेवा आश्रम (डे–केयर सेन्टर) की सूची	139
22.	गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) की सूची जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चिरायु योजनान्तर्गत अनुदान राशि स्वीकृत की गई	141
23.	जिला एवं तहसील मुख्यालय पर संचालित वृद्धाश्रम	142
24.	विभाग द्वारा संचालित महिला सदन एवं नारी निकेतनों की सूची	144
25.	विभागीय जिला कार्यालयों के दूरभाष नम्बर	145

समाज कल्याण दर्पण

राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान के भाग 4 – "राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व" से संबंधित अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबन्धी हितों की अभिवृद्धि – राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा, में अन्तर्निहित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ वर्ष 1951–52 में की गई। वर्ष 1955–56 में इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग किया गया। तदुपरान्त राज्य सरकार ने दिनांक 21.02.2007 को एक अधिसूचना जारी कर अब इस विभाग का नाम **"सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग"** कर दिया है।

विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ समाज के अत्यधिक गरीब, विधवा, निःशक्तजन, वृद्ध, विमुक्त एवं घुमन्तू, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के भी आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाएं संचालित किये जाने के कार्य भी प्रारम्भ किये गये हैं। इन सभी के सामाजिक विकास के कार्यक्रम यथा अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की योजना भी हाथ में ली गयी है।

विभाग के उद्‌देश्य : विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं :–

(अ) सामाजिक न्याय :

1. सामाजिक उत्थान : इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, डॉ अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग, डॉ अम्बेडकर, डी.टी.एन.टी, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा, के लिए छात्रवृति योजना, छात्रावास सुविधा, आवासीय विद्यालय, अनुप्रति योजना आदि का संचालन एवं अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जाता है।

2. आर्थिक विकास : वंचित एवं पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास हेतु विभाग द्वारा सम्बल ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, देवनारायण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण एवं अनुदान योजनाओं का संचालन किया जाता है।

(ब) सामाजिक सुरक्षा :

1. महिला एवं बाल कल्याण : महिलाओं हेतु विधवा पेंशन योजना, सहयोग योजना, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, विधवा की पुत्री के विवाह पर अनुदान योजना, महिला सदन/नारी निकेतन, महिला स्वयंसिद्धा योजना, पालनहार योजना आदि का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है।

2. वृद्ध कल्याण : वृद्धजन हेतु वृद्धावस्था पेंशन, चिरायु योजना, वृद्ध एवं अशक्त गृहों का संचालन एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण अधिनियम का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है।

3. अन्य गतिविधियां : उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों की बीमा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत (जनश्री बीमा) योजना, नशामुक्ति कार्यक्रमों, नवजीवन योजना तथा परिवीक्षा सेवाओं का संचालन भी किया जाता है।

प्रशासनिक व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास की योजनाओं के संचालन के लिये निदेशालय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। निदेशालय प्रमुख शासन सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। निदेशालय स्तर पर एक पद आयुक्त/निदेशक का सृजित है। निदेशालय के प्रशासनिक ढांचे का स्वरूप परिशिष्ट संख्या 1, 2 व 3 में दर्शाया गया है।

जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या :

जनगणना वर्ष 1951 से 2001 तक राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या एवं प्रतिशत निम्न तालिका के अनुसार रहे हैं :–

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 686.21 लाख है। जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या बहुतायत में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रति दशक होने वाली जनगणनाओं में राज्य की जनसंख्या एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या का विवरण इस प्रकार हैः–

(जनसंख्या लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1951	159.71	16.90	10.58	3.36	2.04
2.	1961	201.56	33.60	16.67	23.51	11.66
3.	1971	257.66	40.76	15.82	31.26	12.13
4.	1981	342.62	58.39	17.04	41.83	12.21
5.	1991	440.06	76.08	17.29	54.75	12.44
6.	2001	565.07	96.94	17.16	70.98	12.56
7.	2011	686.21	122.21	17.81	92.38	13.46

2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता की दर इस प्रकार हैः–

	2011 जनगणना		
	कुल	पुरूष	महिला
कुल साक्षरता दर	67.06	80.51	52.66
अनुसूचित जाति	49.83	61.37	37.32
अनुसूचित जनजाति	43.08	55.00	30.52

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में जिलेवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या संबंधी आंकड़े निम्न तालिका अनुसार है :—

क्र.स.	जिले के नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरूष जनसंख्या	अनुसूचित जाति महिलाएं जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरूष जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति महिलाएं जनसंख्या
1	अजमेर	2584913	243750	234277	32408	31074
2	अलवर	3671999	342938	310098	153397	135852
3	बाँसवाड़ा	1798194	40639	39452	690476	682523
4	बारां	1223921	114969	106215	143094	133763
5	बाड़मेर	2604453	228431	207983	92610	83647
6	भरतपुर	2549121	296293	261012	28705	25385
7	भीलवाड़ा	2410459	206332	201615	117026	112247
8	बीकानेर	2367745	259532	234114	4207	3572
9	बूंदी	1113725	109333	101455	119454	109095
10	चितौड़गढ़	1544392	126748	123476	101893	99653
11	चूरू	2041172	235113	216608	5903	5342
12	दौसा	1637226	185349	168988	228554	204790
13	धौलपुर	1207293	131875	113820	31802	26792
14	डूँगरपुर	1388906	26543	25724	491631	491806
15	श्रीगंगानगर	1969520	376734	343678	7160	6317
16	हनुमानगढ़	1779650	258352	235837	7578	6711
17	जयपुर	6663971	524831	478471	276638	251328
18	जैसलमेर	672008	52776	46358	22497	19932
19	जालौर	1830151	185342	171854	93290	85429
20	झालावाड़	1411327	125965	117617	94185	88044
21	झुन्झुनूं	2139658	185879	174830	21380	20249
22	जोधपुर	3685681	315199	292825	61969	56955
23	करौली	1458459	189249	165216	176200	148760
24	कोटा	1950491	211161	194247	96428	87388
25	नागौर	3309234	360451	339460	5475	4943
26	पाली	2038533	203328	194768	74369	70209
27	प्रतापगढ़	868231	30755	29674	276742	273685
28	राजसमन्द	1158283	74738	73430	81173	79636
29	सवाईमाधोपुर	1338114	146333	132456	152745	133103
30	सीकर	2677737	216523	202283	39098	36251
31	सिरोही	1037185	104899	96964	148966	143504
32	टोंक	1421711	148110	139793	92677	85530
33	उदयपुर	3067549	97094	91431	773213	752076
	कुल	**68621012**	**6355564**	**5866029**	**4742943**	**4495591**

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की जिलेवार जनसंख्या, 0–6 वर्ष के बच्चों की संख्या तथा साक्षरता दर संबंधी आंकड़े निम्न तालिका अनुसार है :–

क्र.स.	जिले के नाम	कुल जनसंख्या	पुरूष जनसंख्या	महिलाएं जनसंख्या	बच्चों की संख्या 0–6वर्ष	साक्षरता प्रतिशत
1	अजमेर	2584913	1325911	1259002	374745	70.46
2	अलवर	3671999	1938929	1733070	580388	71.68
3	बाँसवाड़ा	1798194	908755	889439	321288	57.20
4	बारां	1223921	635495	588426	179496	67.38
5	बाड़मेर	2604453	1370494	1233959	499328	57.49
6	भरतपुर	2549121	1357896	1191225	430833	71.16
7	भीलवाड़ा	2410459	1224483	1185976	356230	62.71
8	बीकानेर	2367745	1243916	1123829	394396	65.92
9	बूंदी	1113725	579385	534340	158088	62.31
10	चितौड़गढ़	1544392	784054	760338	209376	62.51
11	चूरू	2041172	1053375	987797	313852	67.46
12	दौसा	1637226	859821	777405	256802	69.17
13	धौलपुर	1207293	654344	552949	215567	70.14
14	डूँगरपुर	1388906	698069	690837	239608	60.78
15	श्रीगंगानगर	1969520	1043730	925790	252376	70.25
16	हनुमानगढ़	1779650	933660	845990	232933	68.37
17	जयपुर	6663971	3490787	3173184	914327	76.44
18	जैसलमेर	672008	363346	308662	130400	58.04
19	जालौर	1830151	937918	892233	313808	55.58
20	झालावाड़	1411327	725667	685660	204140	62.13
21	झुन्झुनूं	2139658	1097390	1042268	285395	74.72
22	जोधपुर	3685681	1924326	1761355	592959	67.09
23	करौली	1458459	784943	673516	239449	67.34
24	कोटा	1950491	1023153	927338	248585	77.48
25	नागौर	3309234	1698760	1610474	498585	64.08
26	पाली	2038533	1025895	1012638	293002	63.23
27	प्रतापगढ़	868231	437950	430281	148753	56.30
28	राजसमन्द	1158283	582670	575613	173944	63.93
29	सवाईमाधोपुर	1338114	706558	631556	198777	66.19
30	सीकर	2677737	1377120	1300617	375752	72.98
31	सिरोही	1037185	535115	502070	171699	56.02
32	टोंक	1421711	729390	692321	200963	62.46
33	उदयपुर	3067549	1566781	1500768	499072	62.46
	कुल	**68621012**	**35620086**	**33000926**	**10504916**	**67.06**

I. शैक्षणिक विकास

1. छात्रावास सुविधा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनु.जाति/स्वच्छकार/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के विद्यालय स्तर के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं के लिये विद्यालय स्तरीय 749 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास स्वीकृत/संचालित किये जा रहे है। छात्रावास में निवास करने वाले छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवास,भोजन वस्त्र, स्टेशनरी, शिक्षण प्रशिक्षण, खेलकूद एवं कठिन विषयो हेतु विशेष कोचिंग, कम्प्यूटर शिक्षा की सुविघा व अन्य सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/विशेष पिछडा वर्ग के महाविद्यालयो में अध्ययनरत छात्राओ हेतु महाविद्यालय स्तरीय 35 छात्रावास भी स्वीकृत/संचालित किय जा रहे है। छात्रावासो का विवरण निम्नानुसार है:–

छात्रावास का प्रकार	छात्रावासो की संख्या			स्वीकृत छात्र संख्या वर्ष 2015–16			प्रवेशित संख्या वर्ष 2015–16		
	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
(अ) राजकीय छात्रावास									
1.अनु.जाति	293	34	327	13452	1510	14962	12435	1286	13721
2.अनु.जनजाति	140	52	192	7020	2325	9345	6716	2105	8821
3.स्वच्छकार	56	6	62	2455	245	2700	2205	215	2420
4.अन्य पिछडा वर्ग	34	1	35	1755	50	1805	1522	50	1572
5.विशेष पिछडा वर्ग	37	12	49	1985	565	2550	1721	360	2081
योग–	560	105	665	26667	4695	31362	24599	4016	28615
(ब)महाविद्यालयस्तर कन्या छात्रावास									
1.अनु.जाति	0	16	16	0	1150	1150	0	1092	1092
2.अनु.जनजाति	0	15	15	0	1230	1230	0	1030	1030
3.विशेष पिछडा वर्ग	0	4	4	0	300	300	0	120	120
योग–	0	35	35	0	2680	2680	0	2242	2242
(स)अनुदानित छात्रावास									
1.अनु.जाति	34	5	39	1329	375	1704	1121	282	1403
2.अनु.जनजाति	35	9	44	1165	350	1515	1026	340	1366
3.अन्य पिछडा वर्ग	1	0	1	50	0	50	50	0	50
योग–	70	14	84	2544	725	3269	2197	622	2819
महायोग–	**630**	**154**	**784**	**29211**	**8100**	**37311**	**26796**	**6880**	**33676**

छात्रावास भवनो की स्थिति

क्र. सं.	विद्यालय स्तरीय छात्रावास	राजकीय भवनों में			किराये के भवनो में		
		छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
1	अनु.जाति	287	30	317	8	2	10
2	स्वच्छकार	54	5	59	2	1	3
3	अनु.जनजाति	133	49	182	7	3	10
4	अन्य पिछडा वर्ग	34	1	35	0	0	0
5	विशेष पिछड़ा वर्ग	37	12	49	0	0	0
	योग	545	97	642	17	6	23

नोटः– दो छात्रावास छात्रों हेतु स्वीकृत (अनु. जाति.), देव नारायण आदर्श छात्रावास धौलपुर, दौसा, पाली एवं बीकानेर हेतु स्वीकृत है। राजकीय अथवा किराये के भवन में संचालित नहीं है।

क्र. सं.	महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास	राजकीय भवनों में			किराये के भवनो में		
		छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
1	अनु.जाति	0	16	16	0	0	0
2	अनु.जनजाति	0	15	15	0	0	0
3	विशेष पिछड़ा वर्ग	0	4	4	0	0	0
	योग	0	35	35	0	0	0

नोटः– एक महाविद्यालय स्तरीय (अनु.जाति) बालिका छात्रावास, देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास अलवर एवं जयपुर हेतु स्वीकृत है। राजकीय अथवा किराये के भवन में संचालित नहीं है।

<u>स्वीकृत / निर्माणाधीन छात्रावास भवन</u>

क्र.सं.	वर्ग	बालक छात्रावास	बालिक छात्रावास	योग
1	अनु.जाति	04	03	07
2	अनु.जनजाति	00	03	03
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	01	01
4	महाविद्यालय स्तरीय	00	12	12
5	नाबार्ड योजनान्तर्गत	13	02	15
	योग	17	21	38

छात्रावासों का जिलेवार विवरण परिशिष्ठ 4 पर, छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान परिशिष्ठ 5 एवं स्वीकृत / निर्माणाधीन छात्रावास भवन निर्माण की स्थिति परिशिष्ठ 7 पर उपलब्ध हैं।

विभाग का सदैव यह प्रयास रहा है कि किराये के भवनो के स्थान पर राजकीय भवनो में छात्रावास संचालन कराया जाये। इस हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 मे 38 छात्रावासो के भवन निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को भवनो के निर्माण हेतु वर्ष 2015–16 मे राज्य मद मे राशि 2083.36 लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया है। बी.आर.जी.एफ

योजनाान्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कुल 24 छात्रावासो के भवन निर्माण एवं 2 छात्रावासो के भवन विस्तार कुल 26 छात्रावासो हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राशि रूपये 1525.00 लाख स्वीकृत की गई है। 24 छात्रावासो मे से 20 छात्रावासो का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 2 छात्रावास भवनो का मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

विभाग द्वारा 2007–08 से 2009–10 तक अनु.जाति/अनु.जनजाति सफाई कर्मियो तथा डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बच्चो के अध्ययन को शिक्षण संस्थानो मे बढावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक जनसहभागिता (पी.पी.पी.) योजना के अन्तर्गत 50 छाात्रावासो के भवन निर्माण हेतु अनुदान जारी किया गया। इस योजना में प्रति विद्यार्थी 400 रूपये प्रति माह दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में जिलाधिकारियो की अभिशंषा के आधार पर 40 छात्रावासों के संचालन की मान्यता प्रदान की गयी, इनमे से 13 छात्रावासो का वर्ष 2010–11 में संचालन किया गया। वर्ष 2011–12 हेतु 16 छात्रावासो में अध्ययनरत 374 छात्रो के लिये 13.98 लाख रूपये का बजट 11 जिलाधिकारियो को स्वीकृत किया गया। वर्ष 2012–13 हेतु 12 छात्रावासो में अध्ययनरत 336 छात्रो के लिए राशि 14.05 लाख रूपये का बजट 10 जिलाधिकारियो को स्वीकृत किया तथा वर्ष 2013–14 में 10 शिक्षण संस्थाओ को मान्यता प्रदान कर छात्रावास संचालन पर राशि 4.45 लाख व्यय की जाकर 223 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 9 संस्थाओं को छात्रावास संचालन हेतु विभागीय जिलाधिकारियों को 20.00 लाख रूपयें का बजट आवंटन कर 19.26 लाख रूपये का व्यय किया गया है। जिसके अन्तर्गत 286 विद्यार्थियों का लाभान्वित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 12.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। जिसे विभाग के जिलाधिकारियों को आवंटित किया जा रहा है।

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासो मे रहने वाले विद्यार्थियो को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जूते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली, पानी आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा बढाकर 1750 रूपये किये गये थे उसके पश्चात पुन आदेश क्रमांक 59508 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा वर्ष 2014–15 से प्रति विद्यार्थी 1900 रूपये प्रति माह व्यय किये जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ठ 6 पर उपलब्ध है ।

(ब) छात्रावासो मे ज्ञानवर्धक पुस्तके उपलब्ध कराना

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय छात्रावासो में पुस्तके उपलब्ध करवाये जाने हेतु 1.27 लाख रूपये का बजट प्रावधान उपलब्ध है, जिसके विरूद्व माह दिसम्बर 2015 तक 0.20 लाख रूपये का व्यय किया गया है । जिससे छात्रावासो के छात्र–छात्राओ को ज्ञानवर्धक पुस्तके उपलब्ध करवायी जा रही है।

(स) छात्रावासो के राजकीय भवनो की मरम्मत एवं रख–रखाव

इस योजनान्तर्गत जीर्ण–शीर्ण छात्रावासो को दुरूस्त कर आधुनिक बनाया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 मे आयोजना भिन्न मद में भवनो की मरम्मत हेतु राशि 150.00 रूपये लाख का प्रावधान किया गया, जिसमे से 20 जिलाधिकारियो को मरम्मत एवं रंगरोगन हेतु राशि 116.24 लाख रूपये आवंटित किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में आयेाजना मद में राशि 1000.00 लाख आवंटन में से 648 छात्रावासों की मैस समिति खाते में, जिलाधिकारियों, संस्थाओं एवं आवासीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल राशि 567.25 लाख रूपये स्वीकृत किये जाकर भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य किया जा रहा है।

(द) अनावर्तक सामान

राजकीय छात्रावासो मे रहने वाले छात्र/छात्राओ हेतु छात्रावासो में बिस्तर, बर्तन, तख्त/पलंग आदि क्रय करने तथा प्रतिस्थापित करने की सुविधा दी जाती है। इस हेतु विभाग द्वारा अनावर्तक सामान क्रय करने के लिये वर्ष 2015–16 में 129.11 लाख रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरूद्व वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 0.50 लाख रूपये का व्यय किया गया है। राजकीय छात्रावासों हेतु अनावर्तक सामान निदेशालय स्तर पर क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(य) अनुदानित छात्रावासो को देय अनुदान

स्वैच्छिक अभिकरणो को सहायता नियम 1962 के नियमो के अन्तर्गत राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ जयपुर को प्रधान कार्यरत एवं पुनर्वास कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2.70 लाख रूपये का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

(र) छात्रावासो में प्रवेश प्रक्रिया

विभागीय योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की दिशा में एक कदम बढाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छात्रावास, आवासीय विद्यालय, हेतु आवेदन अब ऑनलाईन (एस.जे.एम.एस.) पॉर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2015–2016 से ऑनलाईन पेपर लेस (कागज रहित) आवेदन पत्र की प्रक्रिया सम्पूर्ण राजस्थान में प्रारम्भ की गई है। इस प्रक्रिया द्वारा आवेदकों द्वारा ऑनलाईन ही अपने आवेदन की स्थिति जांची जा सकती है।

(ल) छात्रावासो में सुधार हेतु किये गये नवाचार

(i) विभागीय छात्रावास भवनों की भौतिक दशा में सुधार हेतु ''भवन सुधारों अभियान'' के अन्तर्गत विभाग के लगभग 600 छात्रावास भवनों में मरम्मत, साफ–सफाई एवं अनुपयोगी सामान का निस्तारण करवाया गया।

(ii) छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में आवासरत विद्यार्थियों को देय सुविधाओं में गुणात्मकता एवं एकरूपता स्थापित किये जाने को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2015–2016 से उपभोक्ता भण्डार (कॉन्फेड) के माध्यम से ब्राण्डेड खाद्य सामाग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का राज्य स्तर पर क्रय किया जाकर आपूर्ति की जा रही है। इस व्यवस्था से राज्य के सभी छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियो को उच्च गुणवत्ता पूर्ण खाद्य एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता सामाग्री उपलब्ध हो रही है।

(iii) छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयो में आवासरत विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध करवाये जाने हेतु आगामी वर्षो में 200 छात्रावास एवं 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर लाईट सिस्टम स्थापित करवाये जायेगें।

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं, जैसे : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष पिछडा

वर्ग (SBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), **आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students - Centrally Sponsored Scheme**), **विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु जाति (DNTs- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the students for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes - Centrally Sponsored Scheme**), **मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (Mukhyamantri Sarvjan Uchcha Shikha Chhatravriti Yojna for students of IITs, IIMs and Other National Level Institutions- Budget annoucement 2014-15 no. 160**) **में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए** वर्ष 2015–16 से राज्य की राजकीय, स्वायत्तशाषी एवं निजी मान्यता प्राप्त/संबद्वता प्राप्त, **राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं**/पाठ्यक्रमों में राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा बेवपोर्टल **rajpms.nic.in पर** पेपरलेस (Paperless) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है। इस हेतु **पेपरलेस (Paperless) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश–2015** जारी किए गए हैं। **छात्रवृति प्राप्त करने के लिए योग्यता/पात्रता एवं अधिकतम वार्षिक आय सीमा विवरण एवं देय लाभ** का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 8 पर उपलब्ध है।

राज्य में अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक व व्यवसायिक पाठयक्रमों हेतु निम्नानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जा रही है :–

(अ) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु भारत सरकार के नियमानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है।

योजना का उद्वेश्य :– मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने मे समर्थ हो सके।

योजना की पात्रता :–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें राज्य कमिटेड लाईबिलीटीज से ऊपर का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार 10+2 पद्धति एवं कॉलेज स्तर पर यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन छात्र–छात्राओं

को दी जाती रही है, जिनके माता–पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक हो। इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

अनुरक्षण भत्ते की दरें (रुपये प्रतिमाह) निम्न प्रकार निश्चित की गई हैं :–

	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
पाठ्यक्रम समूह	छात्रावासी	डे–स्कॉलर	छात्रावासी	डे–स्कॉलर
1	1200	550	1200	550
2	820	530	820	530
3	570	300	570	300
4	380	230	380	230

योजनान्तर्गत प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)	लाभान्वित
2011–2012	28344.74	436037
2012–2013	32445.54	491712
2013–2014	33165.15	453901
2014–2015	32397.18	389912
2015–2016*	17827.85	140694

*(दिसम्बर 2015 तक)

(ब) विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति –

विभाग द्वारा विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु भारत सरकार के नियमानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

योजना का उद्देश्य :– मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले विशेष पिछडा वर्ग के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने मे समर्थ हो सके।

योजना की पात्रता :–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपय 2.50 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा विशेष पिछडा वर्ग का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

1. निर्वाह / अनुरक्षण भत्ते की दरें

पाठ्यक्रम समूह	अनुरक्षण भत्ते की दरें (रुपये प्रतिमाह)	
	छात्रावासी	डे–स्कॉलर
1	1200	550
2	820	530
3	570	300
4	380	230

वर्ष वित्तीय वर्ष 2010–11 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुरुप राज्य में विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना भी राज्य आयोजना मद से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)	लाभान्वित
2011–2012	1937.00	36764
2012–2013	3364.00	49912
2013–2014	3686.51	52785
2014–2015	5964.00	63087
2015–2016*	2906-00	18965

* (दिसम्बर 2015 तक)

(स) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति – अन्य पिछड़ा वर्गः–

विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु भारत सरकार के नियमानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

योजना का उद्देश्य :– मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने मे समर्थ हो सके।

योजना की पात्रता :–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता / सरंक्षक की वार्षिक आय रूपय 100000 / – तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें राज्य कमिटेड लाईबिलीटीज एवं केन्द्र सरकार से नोशनल एलोकेशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से छात्रवृति का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के छात्रावासी एवं डे–स्कॉलर छात्र–छात्राओं को जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक है, को वर्ष 1999 से छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफन्डेबल अनिवार्य फीस एवं अनुरक्षण भत्ते का भुगतान भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है। परन्तु योजना में सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 से केवल विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम 01 से 17 (अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में विभाग द्वारा 01 से 17 तक निर्धारित प्राथमिकता क्रम (यथा– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री, अन्त्योदय कार्डधारक का पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र, अनाथ बालिका, अनाथ बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री, विधवा का पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला का पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री तथा विशेष योग्यजन का पुत्र) में आने वाले विद्यार्थियों को ही योजना में लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

अनुरक्षण भत्ते की दरें (प्रति माह रुपये)

पाठ्यक्रम समूह	छात्रावासी	डे–स्कॉलर
1	750	350
2	510	335
3	400	210
4	260	160

योजनान्तर्गत प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)	लाभान्वित
2011–2012	2827.73	104852
2012–2013	6464.93	140700
2013–2014	14269.29	55053
2014–2015	6422.91	65392

(द) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाः–

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग **(अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछडा वर्ग के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी)** के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर, अपनी शिक्षा पूरी करने मे समर्थ बनाया जाना है। इस योजना का 100 प्रतिशत वित्तीय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं।

सीमित वित्तीय संशाधनों के दृष्टिगत आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में विभाग द्वारा 01 से 17 तक निर्धारित प्राथमिकता कम (यथा– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, बी.पी.एल. कार्ड धारक

का पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री, अन्त्योदय कार्डधारक का पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र, अनाथ बालिका, अनाथ बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री, विधवा का पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला का पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री तथा विशेष योग्यजन का पुत्र) में आने वाले विद्यार्थियों को ही योजना में लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

योजना की पात्रता :–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1,00,000/– तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (**अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछडा वर्ग के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी**) का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

देय निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दरें निम्न प्रकार है :––

पाठ्यक्रम समूह	अनुरक्षण भत्ते की दरें (प्रति माह रूपये)	
	छात्रावासी	डे–स्कॉलर
1	750	350
2	510	335
3	400	210
4	260	160

शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गई नोन रिफन्डेबल फीस का पुनर्भरण नियमानुसार देय है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत 5351 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। वर्ष 2014–15 के अन्तिम त्रैमास में राशि 50.00 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुए। वर्ष 2015–16 में 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्व माह दिसम्बर 2015 तक 4.65 लाख रूपये व्यय किये जाकर 23 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

<u>(य) डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्व–घुमन्तु (**DNTs**)उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना :–</u>

केन्द्र सरकार द्वारा DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोडकर) विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले उक्त श्रेणी के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने

हेतु भारत सरकार के नियमानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमे 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार व 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन किया जावेगा।

योजना की पात्रता :–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपय 2,00,000/– से कम हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा उक्त वर्ग **(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोडकर)** का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

देय निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दरें निम्न प्रकार है :–

पाठ्यक्रम समूह	अनुरक्षण भत्ते की दरें (प्रति माह रूपये)	
	छात्रावासी	डे–स्कॉलर
1	1200	550
2	820	530
3	570	300
4	380	230

वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 71.89 लाख रूपये राशि प्राप्त हुई। तथा राज्यांश 23.96 लाख सहित कुल 95.85 का प्रावधान प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु छात्रवृति पॉर्टल ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जा रहें है।

(र) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाः–

राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं (आई.आई.एम.एस., आई.आई.टी.) में अध्ययन करने वाले राज्य के सभी वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के रूप में ली जाने वाली कुल अनिवार्य अप्रतिदेय (Non refundable fees) फीस राशि का 50 प्रतिशत फीस राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना की पात्रता :–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपय 5.00 लाख रूपये से कम हो।
2. छात्र–छात्रा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।

3. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।

4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। समस्त वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं। उक्त योजना का बजट नियन्त्रण अधिकारी तकनीकी शिक्षा विभाग है तथा क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गई नोन रिफन्डेबल फीस का 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण/भुगतान नियमानुसार देय है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 3330 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। वर्ष 2015–16 में 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्व राशि रूपये 69.57 लाख व्यय किये जाकर 197 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ल) केन्द्रीय प्रवर्तित बुक बैंक योजनाः–

राज्य में संचालित डिग्री स्तर के मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, वेटरनरी एवं पोलीटेक्निक कॉलेजों के अलावा स्नातकोत्तर स्तर के विधि, सी.ए., एम.बी.ए. एवं बायोसाइन्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी जिन्हें उत्तर मैट्रिक छात्रवृति का लाभ प्राप्त होता है, को लाभान्वित करने हेतु इन कॉलेजों के पुस्तकालयों के लिए इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकें क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि महंगी पुस्तकें इन वर्गों के विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। उक्त योजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत राशि वहन की जाती है। वर्ष 2015–16 में अनु. जाति एव जनजाति के विद्यार्थियों हेतु क्रमशः 50.00–50.00 लाख का प्रावधान है।

गत वर्षों के दौरान रही प्रगति का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)	लाभान्वित
2010–2011	33.78	882
2011–2012	35.00	1180
2012–2013	45.41	1591
2013–2014	32.29	1024
2014–2015	45.15	1477

(व)**उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का कम्प्यूटरीकरण कार्य**

अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, डी.एन.टी, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में आने वाले छात्र–छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को शैक्षणिक सत्र 2012–13 से ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जिसको 5 सितम्बर, 2012 से विद्यार्थियों के लिये आवेदन पत्र हेतु प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्तमान में उक्त पोर्टल के द्वारा ही विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं एवं स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा रही है। विद्याथियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि सीधे ही हस्तान्तरित की जा रही हैं।

ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ होने से विद्यार्थियों को समय–समय पर एस.एम.एस. के जरिये सूचना देने तथा पूर्ण छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया ऑनलाइन होने से छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण हो सकेगा तथा अपेक्षित जनशक्ति के अभाव में छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के समयबद्ध निस्तारण में हो रही कठिनाइयों का निराकरण भी हो सकेगा।

इसके साथ ही वर्ष 2015–16 से उक्त योजनाओं को पेपरलेस किया जाकर प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2014–15 से उक्त योजनाओं हेतु देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृति में आने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को देय फीस राशि का विभागीय स्तर से निर्धारण किया गया है, ताकि फीस राशि में एकरूपता रह सके।

3. अनुप्रति योजना

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग बीपीएल/सामान्य वर्ग बीपीएल परिवारों के अभ्यार्थियों के लिए अनुप्रति योजना का निम्नानुसार संचालन किया जा रहा है।

योजना में विभिन्न स्तरों पर देय प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु :–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रूपये 65,000
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रूपये 30,000
(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रुपये 5,000

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु :–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	रूपये 25,000
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	रूपये 20,000
(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रुपये 5,000

प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानो जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम, ए.आई.आई.एम, एन.आई.टी. एन.एल.यू. आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि रूपये 40,000 से 50,000/– रूपये।

राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेड़िकल/इंजीनियरींग कॉलेज आर.पी.एम.टी./आर.पी.ई.टी. में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000/– रूपये।

पात्रता :—

I. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

II. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) एवं सामान्य वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) का सदस्य हो।

III. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

IV. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उतीर्ण कर लिया गया हो।

V. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एंव अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।

VI. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

नोटः—विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल, सामान्य वर्ग बीपीएल एवं विशेष पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना नियम 2012 में संशोधन कर संशोधित अनुप्रति योजना नियम 2015 विभागीय पत्रांक 66614 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा जारी किये गये है। उक्त नियमों में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन पत्र ऑन लाईन करने, ऑन लाईन ही स्वीकृति जारी कर बैक खाते के माध्यम से भुगतान करने, हार्ड कोपी जमा नहीं करवाने अर्थात् पेपरलेस योजना प्रारम्भ की गई है जिसमें आय सीमा 2.00 लाख रूपये से बढाकर 2.50 लाख रूपये की गई है।

योजनान्तर्गत उपलब्धि निम्नानुसार है :—

वर्ष	व्यय (लाखों रूपयों में)	लाभान्वित
2011—12	269.66	755
2012—13	337.46	1099
2013—14	260.29	728
2014—15	148.03	359
2015—16*	42.36	88

* (दिसम्बर 2015 तक)

4. आवासीय विद्यालय योजना

राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, निष्क्रमणीय पशुपालको, भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के गरीब बालक/बालिकाओं के लिये के.एफ.डब्लयू. जर्मन द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग से 10 आवासीय विद्यालय तथा 9 आवासीय विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा खोले गये। उक्त वर्गों के ऐसे गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2.50 लाख रुपये से कम हो, के

बालक / बालिका आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। इन विद्यालयों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन "राजस्थान रेजिडेन्शियल एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स सोसायटी" (राइस) द्वारा किया जा रहा है। संचालित आवासीय विद्यालयों का विवरण, पात्रताएं, देय सुविधाएं आदि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	योजना का नाम	आवासीय विद्यालय योजना
1.	योजना का उददेश्य	के.एफ.डब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्मित आवासीय विद्यालयों के सुन्दर, स्वच्छ एवं शिक्षानुकूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	

क.स.	आवा. विद्यालय	संचालन वर्ष	वर्तमान स्तर	विद्यार्थी क्षमता	छात्र / छात्रा	संकाय
1	खोडन (बांसवाडा)	2002–03	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
2	भैंसवाडा (जालौर)	2002–03	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
3	हिंगी (कोटा)	2003–04	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
4	पावटा (नागौर)	2003–04	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
5	छाण (स.माधोपुर)	2003–04	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
6	आटूण (भीलवाडा)	2004–05	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
7	वजीरपुरा (टोंक)	1997–98	6 से 12	252	छात्रा	कला
8	मण्डोर (जोधपुर)	2003–04	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, वाणिज्य
9	केनपुरा (पाली)	2002–03	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, कला
10	खेडाआसपुर (डूंगरपुर)	2002–03	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, कला
11	बगडी (दौसा)	2005–06	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, वाणिज्य
12	अटरू (बारां)	1997–98	6 से 12	252	छात्र	विज्ञान
13	हरियाली (जालौर)	2005–06	6 से 12	440	छात्र	विज्ञान, कला
14	मण्डाना (कोटा)	2008–09	6 से 12	280	छात्र	कला
15	धनवाडा (झालावाड)	2011–12	6 से 12	440	छात्र	विज्ञान, कला

		16	सागवाडा (डूंगरपुर)	2015–16	6 से 12	280	छात्र	कला
		17	सुवाना भीलवाडा	2014–15	6 से 12	280	छात्रा	कला
		18	यूसुफपुरा टोंक	2015–16	6 से 12	280	छात्रा	विज्ञान
		19	चाण्डपुरा जालौर	2015–16	6 से 12	280	छात्र	विज्ञान

3.	लाभान्वित वर्ग	राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग तथा निष्क्रमणीय, भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के तथा आर्थिक पिछडा वर्ग के गरीब बालक/बालिकाओं के लिए।
4.	पात्रता	राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा एवं विशेष पिछडा वर्ग तथा आर्थिक पिछडा वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के बालक/बालिकाओं के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर ऐसे परिवार जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम हो आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते है। **प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशतः**–

क्र. स.	वर्ग	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जाति • 15% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग(विशेष पिछडा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जनजाति • 15% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
3	विशेष पिछडा वर्ग क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु (देवनारायण आवासीय विद्यालय)	• 60% विशेष पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 10% अन्य पिछडा वर्ग • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
4	'निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु
5	'' भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु

		आवासीय विद्यालयों में उपरोक्त आरक्षित वर्गो में स्थानीय जिले के 50% तथा अन्य जिलों के लिए 50% स्थान आरक्षित हैं। विद्यालयों में प्रवेश पिछली कक्षा में अर्जित अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष राज्य स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाती है।
5.	देय सुविधाऐं	निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पोशाक, पाठयपुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि हेतु राशि रूपये 1900 प्रति माह 10 माह हेतु कुल राशि रूपये 19000 प्रति सत्र
6.	आवेदन	शैक्षणिक सत्र 2015–16 से आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष 10 मई से ऑनलाईन आवेदन पत्र sjms.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आमंत्रित किये जाते है। विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ई–मित्र, कियोस्क, साईबर कैफे, निजी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाते है तथा आवेदन पत्र पेपर लैस है।
7.	सम्पर्क सुत्र	संबंधित आवासीय विद्यालय

इन आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2012–13 में 5972 अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए 1834 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2013–14 में 5642 अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए 1943.81 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2014–15 में 5358 अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए 2068.69 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 6001 अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए बजट प्रावधान 2368.46 के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक 1682.08 लाख रूपये की राशि व्यय की गयी है।

II. आर्थिक विकास

समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के लोग, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. अनुसूचित जाति उप योजना

अनुसूचित जातियों के समयबद्ध एवं सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1979–80 से विशिष्ट संघठक योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विकास से सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए राज्य आयोजना से लक्ष्य निर्धारित कर तद्नुसार आवश्यक बजट राशि का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों के लिए योजनाएं बनाकर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित अन्य योजनाओं द्वारा लाभान्वित कर योजनान्तर्गत उत्पादक सम्पत्ति का सृजन किया जाना है, ताकि उक्त वर्ग के लक्षित परिवारों की आय में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2006–07 से विशिष्ट संघठक योजना का नाम बदलकर "अनुसूचित जाति उप योजना" कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्षों से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दिशा निर्देशन समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाती है। संबंधित विभाग द्वारा राज्य योजना मद में जिन योजनाओं में अनुसूचित जाति के विकास हेतु प्रवाह दर्शाया जाता है, उन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का आवंटन संबंधित विभाग द्वारा जिला अधिकारियों को किया जाता है। योजना के प्रारम्भ में जहाँ अनुसूचित जाति उप योजना प्रवाह 2.57 प्रतिशत था, वह वर्ष 2015–16 तक बढ़कर 17.90 प्रतिशत (प्रोविजनल) हो गया है। वर्तमान में उक्त प्रवाह राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की 17.80 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) जनसंख्या के अनुपात में रखा जाना है। उक्त प्रवाह को निर्धारित प्रतिशत (17.80 प्रतिशत) तक लाने हेतु आयोजना विभाग द्वारा सभी विभागों के वर्ष 2012–13 के बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत अलग से प्रावधान कर दिया गया है तथा सभी विभागों को मांग संख्या 51 के बजट उपशीर्ष 789 खुलवाकर अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

गत वर्षों में अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत व्यय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	राज्य योजना व्यय (करोड़ रु.)	अनु.जाति उपयोजना व्यय (करोड़ रु.)	राज्य योजना से व्यय (प्रतिशत)
2009–2010	18063.44	2821.59	15.62
2010–2011	21567.73	3364.35	15.60
2011–2012	25039.27	3881.54	15.50
2012–2013	32611.37	4935.49	15.13
2013–2014	40040.05	5906.20	14.75
2014–2015	55058.08	8399.90	15.26
2015–2016(राज्य प्रावधान)	71405.78	4829.48	06.76

(माह दिसम्बर 2015तक)

वर्षवार, सेक्टर अनुसार गत वर्षों में रखे प्रावधान एवं व्यय की प्रगति परिशिष्ट–9 पर उपलब्ध है।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास की योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों की आय में वृद्धि हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु उन योजनाओं के तहत व्यय की जाती है, जहां इनके लिए राज्य की वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। गत वर्षों में विशेष केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि	व्यय राशि (लाखों में)
2010–2011	3460.63	3420.56
2011–2012	4301.05	4172.02
2012–2013	5727.00	3746.25
2013–2014	3167.00	3183.58
2014–2015	6027.26	2440.25
2015–2016*	3438.30	1098.37

* (दिसम्बर 2015 तक)

3. राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

बैंकिंग ऋण योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु बैंकों द्वारा पोप शहरी, ग्रामीण, ऑटो रिक्शा, उन्नत गाय भैंस, व्यक्तिगत पम्पसैट आदि पर ऋण दिए जाने पर निगम द्वारा प्रति इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये जो भी कम हो, का अनुदान उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है। आवेदन पत्र जिले के निगम कार्यालय/पंचायत समिति/नगर पालिका/नगर निगम से निःशुल्क प्राप्त कर वहीं पर जमा कराये जा सकते हैं।

गैर बैंकिग योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लघु सीमान्त श्रेणी के कृषकों को कूप ब्लास्टिंग एवं कृषि कुओं पर विद्युतीकरण हेतु योजना इकाई का 50 प्रतिशत या 10,000 रुपये अधिकतम जो भी कम हो, अनुदान निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। कृषि यंत्र योजनान्तर्गत 3,000 रुपये तक अनुदान उपलब्ध करवाया जााता है। कार्यशाला योजनान्तर्गत दस्तकारों/शिल्पियों को कार्य करने हेतु कार्यशाला निर्माण हेतु अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

दक्षता विकास पर आधारभूत सुविधाओं हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाता है।

अनुसूचित जाति बाहुल्य सम्बल ग्रामों में आय सृजित गतिविधियों हेतु आधारभूत ढांचा विकास हेतु कार्य करवाये जाते हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर की प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है।

4. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियो के नियोजन का प्रतिषेघ और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013

भारत सरकार द्वारा "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियो के नियोजन का प्रतिषेघ और उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013" दिनांक 6.12.2013 से लागू किया जा चुका है। राज्य में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य में नोडल विभाग बनाया गया।

इस अधिनियम की क्रियान्विति में सर्वप्रथम स्वच्छकारों का राज्य में सर्वेक्षण एवं अन्य प्रावधित कार्य कराया जाना है, इस हेतु शहरी क्षेत्र में स्वायत शासन विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जाकर सूची पुर्नवास हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित करेंगे। इस अधिनियम के क्रियान्विति के लिए राज्य स्तरीय कमेटी माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित की जा चुकी है।

हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिको के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानुसार शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत शासन विभाग/पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कराये गये सर्वे के दौरान चिन्हित किये गये मैन्युअल स्कैवेन्जरों की चयनित/सत्यापित सूची स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अनुसार नगरीय क्षेत्र में चिन्हित स्वच्छकारों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. स.	नाम जिला	नगर निकाय	चिन्हित स्वच्छकार
1	टोंक	मालपुरा	38
2	दौसा	दौसा – 95 लालासोट –19 बांदीकुई –10	124
कुल			**162**

उक्त 162 चिन्हित स्वच्छकारों को राशि रूपये 40,000/– एक मुश्त नकद सहायता राशि सीधे ही उनके खातों में जमा कराने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली को प्रेषित किये गये। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली से उक्त चिन्हित स्वच्छकारों के खातों में राशि रूपये 40000/– हस्तान्तरित कर दी गयी है।

टोंक एवं दौसा जिलों के कौशल प्रशिक्षण व बैंक ऋण व अनुदान दिये जाने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली को भिजवाये जा चुके है।

भरतपुर नगरीय निकाय में चिन्हित 17 एवं सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुरसिटी के 177 इस प्रकार कुल 194 चिन्हित स्वच्छकारेां की समस्त सूचनायें बैंक विवरण मय आई एफ एस कोड, आधार नम्बर, तथा अन्य जानकारी ऑन–लाईन करने हेतु परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया गया है। चिन्हित स्वच्छकारों को प्रशिक्षण दिलवाकर आर्थिक सम्बल के लिए राष्ट्रीय निगम व बैंक से ऋण व अनुदान का लाभ दिलवाया जावेगा।

5. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

राजस्थान सरकार के राज्यादेश दिनांक 19.04.2000 के द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु निगम के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा रुपये 10 करोड़ की राज्य गारन्टी प्रदान कर इस निगम का गठन किया जाकर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत दिनांक 29.05.2000 को पंजीकृत करवाया गया। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(1) स्था./सान्याअवि/2015/39531–635 दिनांक 22.6.2015 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को प्रबन्ध निदेशक का चार्ज सम्भला दिया गया है। वर्तमान में प्रशासक का चार्ज प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास है।

योजनाओं का विवरण एवं उनकी परियोजना लागतः

राष्ट्रीय निगम आयजनित सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत क्रमशः सामान्य ऋण योजना, न्यू स्वर्णिमा योजना, महिला समृद्धि योजना, माईक्रो वित्त ऋण, शिक्षा ऋण योजना आदि को कृषि, लघु व्यवसाय, सेवा क्षेत्र के व्यवसाय, परिवहन सेवायें में विभाजित किया गया है। 2,00,000/– रुपये से अधिक की परियोजनाएं राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम स्तर से संचालित की जाकर, संबंधित राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से अनुमोदित होती हैं। राष्ट्रीय निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाने वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों में कृषि, व्यापार, यातायात एवं लघु उद्योग सेवाओं की गतिविधियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

निगम द्वारा संचालित योजनाएं एवं उनकी परियोजना लागत राशि निम्न प्रकार से है :–

1.	एस.टी.डी/पी.सी.ओ.	80000	2.	चाक निर्माण	35000
3.	मसाला उद्योग	30000	4.	कारपेन्टरी शॉप	30000
5.	इलेक्ट्रिक मोटर	25000	6.	डेयरी भैंस	50000
7.	चाय पान की दुकान	20000	8.	ऑटो टायर रिपेयर शॉप	25000
9.	लुहारी कार्य	30000	10.	ऑटो पार्ट्स	50000
11.	बुक बाईंडिंग	35000	12.	टाइपिंग सेन्टर	50000
13.	सुनारी कार्य	50000	14.	चांदी,सोने की प्लेटिंग का कार्य	100000
15.	बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान	50000	16.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट	80000
17.	बर्तन की दुकान	50000	18.	साईकिल बिक्री, मरम्मत, किराये पर देना	25000
19.	बिजली के सामान की दुकान	40000	20.	छापाखाना	50000
21.	जूते चप्पल बनाना एवं बिक्री	30000	22.	जीप टैक्सी	350000
23.	मिनी बस	350000	24.	इंजीनियरिंग वर्कशॉप	50000
25.	कृषि उपकरण	30000	26.	डीजल पम्प	20000
27.	मनीहारी सामान, दुकान	30000	28.	मिठाई की दुकान	40000
29.	कपड़ा व्यवसाय	40000	30.	जनरल स्टोर	35000
31.	पत्तल दोने	30000	32.	फोटोकॉपीयर यूनिट	110000
33.	फूल झाडू	10000	34.	नमकीन व्यवसाय	50000

35.	म्यूजिक / साउण्ड सिस्टम	50000	36.	बैटरी निर्माण	50000
37.	लेथ मशीन	50000	38.	साबुन व्यवसाय	50000
39.	कम्प्यूटर जॉब वर्क	50000	40.	टेलरिंग शॉप	30000
41.	टेलरिंग मैटेरियल	40000	42.	स्टील फैब्रीकेशन	100000
43.	हेयर कटिंग सैलून / ब्यूटी पार्लर	40000	44.	गाय डेयरी	40000
45.	गोल्ड प्लेटिंग ऑन मेटल प्लांट	113500	46.	बैण्डबाजे की दुकान	50000
47.	फोटोग्राफी	50000	48.	एलोपैथी क्लिनिक	40000
49.	ऑटो रिक्शा	90000	50.	नाई की दुकान	20000
51.	ब्यूटी पार्लर	40000	52.	कृत्रिम आभूषण शॉप	50000
53.	फल–फूल, सब्जी की दुकान	25000	54.	खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरण शॉप	50000
55.	टैन्ट हाउस	100000	56.	ड्राइक्लीन / वॉशिंग शॉप	30000
57.	बेकरी	40000	58.	स्टेशनरी एवं पेन,किताब की दुकान	35000
59.	कपड़ों की रंगाई एवं प्रिन्टिंग	30000	60.	ट्रेक्टर मय ट्रॉली	230000
61.	कार टैक्सी	250000	62.	मिनी ट्रक	350000
63.	कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट	50000	64.	कुआं गहरा करवाना	20000
65.	आटा चक्की	40000	66.	जूते चप्पल की दुकान	30000
67.	हैण्डीक्राफ्ट	15000	68.	रेडीमेड गारमेन्ट्स	50000
69.	मेडिकल स्टोर	50000	70.	कशीदाकारी	40000
71.	पेन्टिंग दुकान	15000	72.	प्लेइंग टेम्पू	100000
73.	मिक्सर मशीन	50000	74.	ऑटो सर्विस सेन्टर	50000
75.	मसाला उद्योग	30000	76.	कुट्टी खाखला	40000
77.	किराना दुकान	30000	78.	तेल मिल	45000

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त अनुजा निगम के जिला परियोजना प्रबन्धक अन्य योजनाओं को सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भेज सकेंगे। प्रार्थी अपनी इच्छा अनुसार औचित्यपूर्ण आयजनित व्यवसाय का चयन करने को स्वतंत्र होगा।

प्रगति :

निगम द्वारा माह सितम्बर, 2002 से ऋण वितरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2008–09 से 31.12.2015 तक वर्षवार प्रगति विवरण निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	जारी स्वीकृति		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	भौतिक	वित्तीय (लाखों में)	भौतिक	वित्तीय (लाखों में)
2009–2010	1984	948.74	583	259.91
2010–2011	4513	2513.09	1451	619.33
2011–2012	1064	633.44	1762	848.21
2012–2013	1543	1201.08	787	434.58
2013–2014	4	3.80	487	331.30
2014–2015	......	....	148	115.92

योजनावार वर्ष 2002—03 से 2014—15 तक वितरित किये गये ऋण का विवरण निम्न प्रकार से है

योजना का नाम	लाभार्थी	राशि (लाखों में)
कृषि क्षेत्र	2093	909.16
लघु व्यवसाय	3021	1290.57
सेवा क्षेत्र	1658	814.85
यातायात क्षेत्र	126	139.71
सूक्ष्म ऋण	236	55.19
महिला समृद्धि	154	37.56
न्यू स्वर्णिमा	1511	731.09
शिक्षा	160	255.62
मार्जिन मनी	3	2.28
कुल योग —	**8962**	**4236.03**

राष्ट्रीय निगम, नई दिल्ली से ऋण अग्रिम के पेटे अब तक कुल 4801.97 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, 4236.03 लाख रुपये के 8962 व्यक्तियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र राष्ट्रीय निगम, नई दिल्ली को भिजवा दिये गये हैं। ऋण राशि में से 1906.07 लाख रुपये मूल ऋण एवं 713.22 लाख रुपये ब्याज के पेटे राष्ट्रीय निगम को पुनर्भगतान किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा मार्जिन मनी के पेटे 371.48 लाख रुपये तथा हिस्सा राशि के पेटे 260 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये है।

वसूली :

जिलों से अब तक 1906.07 लाख रुपये की वसूली प्राप्त हुई जिसे राष्ट्रीय निगम को भिजवा दिया गया है।

मार्केटिंग सुविधा :

राज्य निगम के द्वारा ऐसे दस्तकार जिनके द्वारा निर्मित सामान राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनको राष्ट्रीय निगम के सहयोग से भारत में एवं भारत से बाहर आयोजित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भिजवाया जाता है। इन्हें निःशुल्क स्टाल के अलावा आने—जाने का किराया तथा मानदेय भी दिया जाता है। राज्य निगम द्वारा अब तक 102 लाभार्थियों को देश में आयोजित विभिन्न मेलों तथा 4 लाभार्थियों को दुबई तथा दो लाभार्थियों को इजिप्ट (मिश्र) भी भिजवाया गया है।

प्रशिक्षण सुविधा :

राष्ट्रीय निगम द्वारा ऐसे प्रशिक्षण संस्थान जो कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के हों, के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। अब तक रुडसैट, खादी ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली तथा ए.टी.डी.सी., जयपुर के माध्यम से 597 व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

6. बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 10 "अ"–01 "अनुसूचित जाति को न्याय" की प्रगति

20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या 10"अ"–01 "अनुसूचित जातियों को न्याय" के अन्तर्गत गत वर्षों में निम्न प्रकार से परिवारों को लाभान्वित किया गया है :–

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
2009–2010	412000	469042
2010–2011	412000	520388
2011–2012	412000	578887
2012–2013	349321	611216
2013–2014	344137	330291
2014–2015	344137	456184
2015–2016*	307576	182356

* (दिसम्बर 2015 तक)

7. सम्बल ग्राम विकास योजना

यह योजना वर्ष 1997–98 में लागू हुई। यह शत्–प्रतिशत राज्य योजना है। अगस्त, 2009 से ऐसे गांव, जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, को सम्बल ग्राम माना गया है। ऐसे गांवों की संख्या 4110 है। एक सम्बल ग्राम में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है। विभागीय समसंख्यक पत्रांक 8876 दिनांक 23.02.2015 द्वारा सम्बल ग्राम के संशोधित दिशा निर्देशों के अन्तर्गत आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु सीमेन्ट कन्क्रीट सडक, इन्टर लॉकिंग सडक, नाली निर्माण, खरंजा एव कलवर्ट/रपट/पुलिया निर्माण, हेण्डपम्प, सामुदायिक ट्युबवेल (समुदाय द्वारा संचालित किये जाने की स्थिति में), विद्यालयों/ महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष/लैब इत्यादि का निर्माण, बस्ती विद्युतीकरण के कार्य, डॉ अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, चिकित्सा भवनों हेतु अतिरिक्त कक्ष/लैब इत्यादि का निर्माण तथा उक्त के अतिरिक्त कार्यों हेतु निदेशालय से पूर्वानुमति ली जानी होती है।

योजनानतर्गत वर्ष 2008–09 में 200.00 लाख रुपये, वर्ष 2009–10 में 400.00 लाख रुपये, वर्ष 2010–11 में 400.00 लाख, वर्ष 2011–12 में 600.00 लाख रुपये , वर्ष 2012–13 में 800.00 लाख की राशि, 2013–14 में 1000.00 लाख की राशि एवं वर्ष 2014–15 में 717.20 लाख की राशि व्यय की गई।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा संख्या–58 के तहत राज्य के 100 सर्वाधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले सम्बल ग्रामों में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्रति ग्राम 20.00 लाख, कुल 2000.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा संख्या–87 के अन्तर्गत 1000 सम्बल गाँवों का चयन कर आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 5000.00 लाख रूपये जिला परिषदों (ग्रा.वि.प्र.) के निजि निक्षेप खातों में हस्तान्तरित किये गये है। वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 4060.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। जिसमें 4000.00 लाख का बजट वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा संख्या–93.3.0 के तहत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु प्रावधान स्वीकृत है।

सम्बल ग्रामों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 10 एवं सम्बल ग्राम विकास योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट–11 पर उपलब्ध है।

8. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

वर्ष 2010–11 में भारत देश के पाँच राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक रहने वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारम्भ की गई है। पाँच राज्यों में राजस्थान राज्य का चयन किया गया है, जिसके अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले की 3 (अनुपगढ., घडसाना एवं पदमपुर) एवं हनुमानगढ़ जिले की 3 (टिब्बी, हनुमानगढ एवं पीलीबंगा) पंचायत समिति के कुल 225 ग्रामों में इस योजना का संचालन किया गया।

9. गाड़िया लोहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना :–

गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है। विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 से गाड़िया लोहारों को मकान निर्माण हेतु देय अनुदान सहायता राशि रुपये 45000 को बढ़ाकर 70000 रुपये प्रति परिवार कर दिया है। यह राशि तीन किश्तों में क्रमशः 25000/–, 25000/– एवं 20000/– रुपये के रूप में दी जा रही है।

गाड़िया लोहार भवन निर्माण योजना में वर्ष 2013–14 में उक्त योजनान्तर्गत 161.15 लाख रुपये व्यय किये गये। जिसमें से प्रथम किश्त में 64.95 लाख रूपये से 475 गाड़िया लोहार को, द्वितीय किश्त में 71.80 लाख रूपये से 462 गाड़िया लोहारों को एवं तृतीय किश्त में 24.40 लाख रूपये से 255 गाड़िया लोहारों को लाभानवित किया गया ।

वर्ष 2014–15 में उक्त योजनान्तर्गत 250.00 लाख रूपयें का बजट प्रावधान स्वीकृत है जिसमें से 204 गाडिया लोहार परिवारों को लाभान्वित किया तथा वर्ष 2015–16 में 200.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया तथा माह दिसम्बर 2015 तक 105.20 लाख रूपये व्यय कर 143 परिवारों को लाभन्वित किया गया है।

10. गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान सहायता योजनाः

गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 से राशि 2500 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दी गयी हैं।

उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 25.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्व 17.825 लाख रूपये का बजट आवंटन कर 713 गाड़िया लोहारों को लाभान्वित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में 25.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध 25.00 लाख रूपये की राशि जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातें में हस्तान्तरित की गयी थीं। वर्ष 2014–15 में उक्त योजनान्तर्गत 30.00 लाख रूपयें का बजट प्रावधान स्वीकृत था, 31 मार्च 2015 तक जिलो की मांग के आधार पर 26.15 लाख रूपये की राशि जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित की जाकर 523 गाडिया लोहार परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 हेतु 15.00 लाख रूपये बजट प्रावधान रखा गया तथा माह दिसम्बर 2015 तक 3.50 लाख रूपये व्यय कर 70 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

III. सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण

राज्य सरकार का यह मानना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार विकास की विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त कर, अर्थोपार्जन के साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी प्रतिष्ठित एवं सुरक्षित जीवन बिता सकें। इस दृष्टि से कानूनी परामर्श एवं विधिक सहायता हेतु निम्न सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं :–

1. नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन

संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा ''अस्पृश्यता'' को निषिद्ध आचरण घोषित कर दिया गया है और नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा करने संबंधी इस अधिनियम की क्रियान्विति की समय–समय पर समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से छुआछूत करने, बेगार लेने, अपमान करने, शील भंग करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, उनको उनकी कृषि–भूमि से बेदखल करने इत्यादि अपराधों के दोषी पाये जाने वाले सवर्ण व्यक्तियों को न्यूनतम 6 माह से उम्र कैद तक के कारावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में अनुसूचित जाति/ जनजाति के 25 विशेष न्यायालय संचालित हैं। राज्य के शेष जिलों में जिला सेशन न्यायाधीशों को इस अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायालय घोषित किया गया है। इन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी की गई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 9 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी श्री प्रेमसिंह मेहरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं नियम 10 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को प्रत्येक जिले में विशेष अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरी समिति एवं नियम 17 के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन किया गया है।

3. अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अत्याचार के अंतर्गत पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को तुरन्त आर्थिक

सहायता राशि जिला कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में विभाग के आदेश पत्रांक 55103 दिनांक 20.10.2014 के अनुसरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत दिनांक 23.06.2014 से संशोधित बढी हुई दरों से राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है। नियमों की प्रति संलग्न अनुसूची परिशिष्ट 12 पर उपलब्ध है। तथा नियम–11 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति के आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं (संलग्न – परिशिष्ट– 12 एवं 13)।

योजनान्तर्गत विगत वर्षों में प्रदत्त सहायता राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		योग	
	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	प्रदत्त आर्थिक सहायता	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	प्रदत्त आर्थिक सहायता	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	प्रदत्त सहायता
2011–12	1060	316.21	328	65.65	1961	381.86
2012–13	1597	661.97	359	153.47	1956	815.44
2013–14	1270	483.32	272	108.22	1542	591.54
2014–15	2097	847.36	433	197.58	2530	1044.94
2015–16*	1120	660.00	230	140.00	1350	800.00

* (दिसम्बर 2015 तक)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम–11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में (दिसम्बर 15) तक 1.00 लाख रूपयें का प्रावधान रखा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राज्य योजना मद में अनुसूचित जाति अन्तर्गत रुपये 450.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 100.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय अर्थ प्रबंधित योजनान्तर्गत भारत सरकार से इतनी ही राशि की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची परिशिष्ट–14 एवं 15 पर उपलब्ध है।

4. टेलीफोन हैल्पलाइन की स्थापना

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रकरणों पर त्वरित/प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस मुख्यालय, जयपुर में राज्य स्तरीय हैल्पलाइन हेतु टोल फ्री टेलीफोन संख्या 1800–180–6025 दिनांक 15.01.2010 से स्थापित किया गया है।

5. अन्तर्जातीय विवाह

छुआछूत उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय

विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.2013 तक के विवाहित प्रकरणों हेतु प्रोत्साहन राशि 0.50 लाख रूपयें प्रति युगल एवं दिनांक 01.04.2013 से विवाहित प्रकरणों हेतु प्रोत्साहन राशि 5.00 लाख रूपयें दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राज्य योजना मद में 1000.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा केन्द्रीय हिस्से की राशि 750.00 लाख रूपयें के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये है।

योजनान्तर्गत विगत वर्षों में प्रदत्त प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	लाभान्वित युगल	दी गई प्रोत्साहन राशि
2011—12	130	65.00
2012—13	175	87.50
2013—14	261	726.00
2014—15	370	1688.00
2015—16*	184	911.00

* (दिसम्बर 2015 तक)

6. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संरक्षण एवं कार्य संचालन

इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची में विभिन्न वर्गों/ जातियों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना है, आयोग में श्री जितेन्द्र राय गोयल माननीय न्याय मूर्ती (सेवा निवृत) को अध्यक्ष, श्री हरि कुमार गोदारा राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा (सेवा निवृत) को सदस्य सचिव एवं श्री सीता राम शर्मा तथा डॉ अर्जुन सिंह भाटी को सदस्य बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, को तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा पिछड़ी जाति/वर्गों की नवीन सूची का प्रकाशन किया गया है। विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की सूची परिशिष्ट–16 पर, राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची परिशिष्ट–17, पिछड़े वर्ग की राज्य की सूची परिशिष्ठ – 17 एवं पिछड़े वर्ग की केन्द्र की सूची 18 पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 39035 दिनांक 16.07.2007 के द्वारा राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, तत्पश्चात् विभाग की अधिसूचना क्रमांक 42454 दिनांक 02.08.2007 द्वारा इस आयोग की सदस्यता, कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण किया गया।

आयोग के प्रशासनिक व्यय हेतु वर्ष 2013–14 में रुपये 100.97 लाख का बजट प्रावधान रखा गया, जिसके विरूद्ध 99.88 लाख रुपये की राशि पी.डी. खाते में हस्तान्तरित की गई। वर्ष 2014–15 में राशि रुपये 105.56 लाख का बजट प्रावधान रखा गया, जिसके विरूद्ध रुपये 100.16 लाख रूपये की राशि पी डी खाते में हस्तान्तरित की गयी। तथा वर्ष 2015–16 में 116.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया माह दिसम्बर 2015 तक 116.00 लाख रूपये आयोग के पीडी खाते में हस्तान्तिरित किये जा चुके है।

7. राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 159/2011 दिनांक 30.11.2011 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.11(136)आरएण्डपी/सकवि/2001/10999 दिनांक 19.03.2001 को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का गठन अधिसूचना क्रमांक एफ.11(136)आरएण्डपी/सन्याअवि/2001/89229दिनांक 30.11.2011 के द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है आयोग में 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष एवं 1 सदस्य होगा जिसमे अध्यक्ष पद पर श्री सुन्दर लाल को एवं उपाध्यक्ष पद पर श्री विकेश खोलिया को मनोनीत किया गया है। दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है एवं श्री सुरजा राम नायक को सदस्य मनोनित किया गया है। आयोग के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रुपये 55.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसके विरुद्ध 34.00 लाख रुपये की राशि पी.डी. खाते में हस्तान्तरित की गई वर्ष 2014–15 में राशि रुपये 28.94 लाख का प्रावधान रखा गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2014–15 में 23.94 लाख रूपये पी.डी. खाते में हस्तान्तरित की गई है।तथा वर्ष 2015–16 में 34.58 लाख रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसमें से दिसम्बर 2015 तक 18.50 लाख रूपये पीडी खाते में हस्तान्तरित किये जा चुके है।

8. राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड

राज्य में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर परम्परागत व्यवसाय व आजीविका के साधनों के अनुसार पिछड़े वर्गों/जातियों के नाम, जिनका काम मवेशी पालन यथा ऊँट व भेड़ आदि पालन, दूध बेचना व ऊन विक्रय करना है, में रैबारी प्रमुख हैं। इनको पशुपालक के नाम से जाना जाता है। अधिकतर यह जातियाँ वर्ष में अपने मवेशियों सहित निष्क्रमण करती हैं। निष्क्रमण करने वाली इन जातियों के अप्रवासी पशुपालकों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान संबंधी सिफारिशों हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13 अप्रेल, 2005 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया तथा दिनांक 16 जून, 05 के अन्तर्गत बोर्ड के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियम बनाये गये हैं। उक्त बोर्ड में 8 सदस्य होगे जिसमें 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष एवं 6 सदस्य होगें जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 26.12 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया हैं जिसके विरूद्ध वर्ष 2013–14 में 11.50 लाख रूपये की राशि पी डी खातें में हस्तान्तरित की गयी हैं। वर्ष 2014–15 में 17.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

9. राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड :–

विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के परिवारों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुये है और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नही उठा पा रहे हैं। अतः इन जातियों के समुदायों के कल्याण हेतु सर्वागीण विकास एवं उत्थान संबंधी सुझाव देने एवं योजनाओं के क्रियान्यवयन हेतु मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 222/2012 दिनांक 10.10.2012 की अनुपालना में राज्य सरकार ने विभागीय

अधिसूचना क्रमांक 78514 दिनांक 19.10.2012 के द्वारा राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया तथा विभागीय आदेश क्रमांक 80361 दिनांक 19.11.2012 के द्वारा नियम बनाये गये। उक्त बोर्ड में 5 सदस्य होंगे जिसमें 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेंगा।

उक्त बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013—14 में 11.96 लाख रूपयें का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्ध वर्ष 2013—14 में 6.00 लाख रूपयें की राशि बोर्ड के पी डी खाते में हस्तान्तरित की गयी। वर्ष 2014—15 में 7.00 लाख रूपये का प्रावधान है तथा वर्ष 2015—2016 में 9.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

10. अम्बेडकर पुरस्कार योजना

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की वर्ष 2005 में 114वीं जयन्ती समारोह में विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 14 अप्रेल को अम्बेडकर जयन्ती पर विभिन्न क्षेत्रों में अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र—छात्राओं को जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, को अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार स्वरूप 51—51 हजार रुपये नकद दिये जाते हैं।

अम्बेडकर सामाजिक सेवा, महिला कल्याण एवं न्याय पुरस्कार अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रेल के उपलक्ष्य में प्रदान किए जाते हैं। अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने हेतु संघर्ष करने वाले व्यक्ति/ संस्था को एक लाख रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र, अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार अन्तर्गत महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था/महिला को 51,000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसी प्रकार अम्बेडकर न्याय पुरस्कार अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में निःशुल्क अथवा न्यूनतम राशि से पैरवी करने वाले अधिवक्ता को 51,000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।

अम्बेडकर पुरस्कार योजना में वित्तीय वर्ष 2015—16 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति के 11 छात्र—छात्राओं को 51,000 रुपये प्रत्येक को नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। इसी प्रकार अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार अन्तर्गत श्रीमती विमला कुमावत, शारदा कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर को 1.00 लाख नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के अन्तर्गत श्रीमती कामिनी शुक्ला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं संस्थापक सदस्य, स्माईल संस्था, जयपुर को 51000 रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अम्बेडकर न्याय पुरस्कार अन्तर्गत श्री संजय धारीवाल पुत्र श्री मदन लाल धारीवाल, मकान नम्बर सी—639 वार्ड नं. 4, केदार नगर पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, को 51000 रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

IV. समाज कल्याण प्रवृत्तियां

(अ) महिला कल्याण :

विभाग द्वारा महिलाओं के पुनरूत्थान, सुरक्षा, जीविकोपार्जन आदि की दृष्टि से निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैंः—

1. महिला सदन

महिला सदन का मुख्य उद्देश्य अनैतिक एवं सामाजिक रूप से उत्पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनमें नवजीवन का संचार करना है। इस सदन में महिलाओं को प्रवेश देकर उन्हें निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनर्वास व्यवस्था के अन्तर्गत जिन आवासनियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज हैं, उनको सम्बन्धित राज्यों एवं जिलों के न्यायालयों में अपना पक्ष रखने हेतु भेजा जाता है तथा न्यायालय के निर्णय अनुसार आवासनियों को उनके अभिभावकों व संरक्षकों को सौंप दिया जाता है। महिला सदन में निवासित आवासनियों के विवाह द्वारा पुनर्वासित किया जाता है। महिला सदन जो कि जयपुर में संचालित है, की स्वीकृत आवासनी संख्या 150 है। अब तक 389 आवासनियों का विवाह कराया जाकर पुनर्स्थापित किया जा चुका है, एवं 5600 आवासनियों को उनके अभिभावकों व संरक्षकों को सुपुर्द किया गया है। अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर में ऐसे ही सदन "नारी निकेतन" के नाम से संचालित हैं। महिला सदन एव नारी निकेतनो की सूची परिशिष्ठ —24 पर उपलब्ध है ।

गत वर्षों में लाभार्थियों पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
2011—2012	163.63
2012—2013	179.56
2013—2014	215.55
2014—2015	266.18
2015—2016*	190.64

*(दिसम्बर 2015 तक)

2. विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2007—08 के बजट में विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि रुपये 15,000/— देने की घोषणा की गई।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2007 द्वारा विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना दिनांक 01.04.2007 से लागू की गई। योजना के नियमानुसार राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की उक्त योजना का लाभ लेने के लिए उसे विभाग के सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा, जिसकी आवश्यक जांच

पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उपहार राशि भुगतान की जायेगी। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में राशि 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध 13 विधवाओं को उनके पुनर्विवाह पर उपहार स्वरुप 1.95 लाख रुपये प्रदान किये गये।

गत वर्षों में योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार रही :–

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2011–2012	1.05	7
2012–2013	0.75	5
2013–2014	1.05	7
2014–2015	0.75	5
2015–2016*	0.75	5

* (माह दिसम्बर 2015 तक)

3. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना

वर्ष 1997–98 से एकीकृत पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवारों की विधवाएं, जिनके कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है, की पुत्रियों के विवाह के लिये राज्य सरकार द्वारा 5000/– रुपये की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। दिनांक 21.06.2003 से विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 5000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। सहायता केवल दो पुत्रियों के विवाह पर देय है। अधिक से अधिक विधवाओं को इस योजना का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के द्वारा पात्रता नियमों में शिथिलता प्रदान कर परिवार में 18 वर्ष के व्यस्क कमाऊ पुत्र के प्रावधान को संशोधित कर परिवार के कमाऊ पुत्र की आयु 25 वर्ष करने के साथ ही विधवा की वार्षिक आय 12000/– रुपये के स्थान पर 50000/– रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया है ।

गत वर्षों में योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार रही :–

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2011–2012	106.80	1068
2012–2013	102.75	1027
2013–2014	45.00	450
2014–2015	64.00	640
2015–2016*	46.30	463

* (माह दिसम्बर 2015 तक)

4. सहयोग योजना

बी.पी.एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर पूर्व में अनुसूचित जाति के परिवारों की 18 से 20 वर्ष तक आयु की पुत्री के विवाह पर राशि 5000/– रुपये की सहायता तथा सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों

की 21 वर्ष व उससे अधिक की आयु की पुत्रियों के विवाह पर राशि 10000/— रुपये की सहायता प्रदान की जा रही थी।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 7.10.2009 जारी कर सहयोग योजना का विस्तार कर समस्त बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर एक समान सहायता राशि 10000/— रुपये प्रदान करने की व्यवस्था के साथ ही कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसे परिवारों की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कन्या के विवाह पर राशि 5000/— रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 10000/— रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय किया गया।

गत वर्षों में योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2011—2012	1565.25	14024
2012—2013	1482.44	14286
2013—2014	1290.45	10352
2014—2015	1562.62	12005
2015—2016*	1078.70	7730

* (माह दिसम्बर 2015 तक)

5. महिला स्वयंसिद्धा योजना

महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना है। केन्द्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिलाओं की समस्या के प्रसंग में महिला स्वयंसिद्धा योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि विधवा और निराश्रित जरूरतमंद महिलाएं विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाया जा सके।

प्रथम चरण में जयपुर मुख्यालय पर महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र स्थापित करने हेतु 50 एकड़ भूमि आगरा रोड जयपुर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वयंसिद्धा केन्द्रों पर महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षण, नशामुक्ति प्रशिक्षण तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध प्रचार कार्य बाबत प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। इन स्वयसिद्धा केन्द्रों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। नारी निकेतन, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा पर स्थित स्वयंसिद्धा केन्द्रों के संचालन हेतु 20.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। वर्ष 2012—13 में इन चार केन्द्रों पर 19.92 लाख रूपये व्यय कर 512 को लाभान्वित किया गया, वर्ष 2013—14 में 20.00 लाख का बजट प्रावधान के विरूद्व 17.95 लाख रूपये का व्यय कर 487 महिलाओं को लाभांवित किया गया है एवं वर्ष 2014—15 में 20.00 लाख रूपयें का बजट प्रावधान में से 17.60 लाख रूपये का व्यय कर 253 महिलाओं को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2015—16 में 15.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य :

1. निराश्रित, विधवा एवं अवांछित परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को उपयुक्त सामाजिक परिवेश प्रदान करते हुए उनकी योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. प्रशिक्षित महिलाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाना ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें।

पात्रता :

1. इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित जरूरतमंद तथा विधवा महिलाओं को प्रवेश दिया जायेगा।
2. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

महिला स्वयंसिद्धा केन्द्रों में प्रवेशित महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र व अन्य जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी। इन केन्द्रों में प्रवेशित महिलाएं अपने 10 वर्ष तक के बच्चों को भी साथ रख सकेंगी।

6. राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर

राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर द्वारा राजस्थान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान सहायता कार्यक्रमों जैसे प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम योजना, कामकाजी एवं बीमार माताओं के शिशुओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुपालनागृह योजना, पारिवारिक तनावों के कारण परिवारों को विघटित होने से बचाने के लिए परिवार परामर्श केन्द्र योजना, ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध जागृति उत्पन्न करने के लिए महिला जागरूकता प्रसार परियोजना, निराश्रित महिलाओं को आश्रय हेतु महिला अल्पावास योजना आदि का संचालन किया जाता है। इन अनुदान सहायता कार्यक्रमों हेतु शत प्रतिशत राशि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से राज्य बोर्ड को उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य बोर्ड संचालन में संस्थापन मद में हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड का पद राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। यह बोर्ड वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय भवन में कार्यरत है। अध्यक्ष सुविधा के लिए शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2011–12 में 66.23 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 66.23 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2012–13 में 95.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। वर्ष 2013–14 में कुल 100.00 लाख रुपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध 56.50 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। वर्ष 2014–15 में 50.00 लाख का बजट प्रावधान के विरूद्ध 45.00 लाख रूपयें का व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 के लिए 60.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान में से माह दिसम्बर 2015 तक 55.00 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

(ब) बाल कल्याण

1. पालनहार योजना :–

उद्देश्य : अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक/बालिका के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना। **इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।**

- 08.02.2005 से अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु योजना का प्रारम्भ।
- 23.08.2005 से सभी जातियों के अनाथ बच्चों को योजना में सम्मिलित किया गया।
- 25.04.2007 से निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के एक बच्चे को योजना का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- 27.01.2010 से पुनर्विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया।
- 30.04.2010 से कुष्ठ/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया।
- 03.03.2011 से नाता जाने वाली महिला की एक संतान को योजना का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- 03.03.2011 से लाभान्वित बच्चों की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक योजना का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2013–14 में पालनहार योजनान्तर्गत 06–18 आयु वर्ग के बच्चों को देय राशि 675/– के स्थान पर 1000/– रूपये दिये जाने का प्रावधान किया गया, जो 01 अप्रेल, 2013 से देय है।
- 30.10.2012 से नगरीय क्षेत्र में स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया।
- 26.04.2013 से विशेष योग्यजन माता–पिता की संतान को योजना का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- 01.05.2013 से परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला की संतान को योजना का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

- 29.05.2013 से निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाता जाने वाली महिला की उसकी तीन संतान को योजना का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- 01.04.2014 से पालनहार योजना को स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (SSDG) के माध्यम से ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया।
- 02.06.2015 से पालनहार योजना को बाल अधिकारिता विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में हस्तानान्तरित किया गया है।

पात्रता

1. अनाथ बालक/बालिका।
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता के बच्चें।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की तीन संतान।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चें।
5. एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चें।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चें।
7. नाता जाने वाली माता की तीन संतान।
8. विशेष योग्यजन माता–पिता की संतान।
9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान।

पालनहार को अनुदान राशि व शर्ते

1. 0–06 वर्ष तक की आयु के बच्चें हेतु – **500** रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 06–18 वर्ष तक की आयु के बच्चें हेतु – **1000** रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – **2000** रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
4. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. बच्चें की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
6. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहें हो।

पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

वर्षवार लाभान्वित बच्चों की संख्या

(राशि लाखों में)

वर्ष	व्यय राशि	लाभान्वित
2011–12	4315.00	65927
2012–13	6170.00	73360
2013–14	7498.67	97935
2014–15	14030.00	140595
2015–16*	8938.03	147788

(दिसम्बर, 15 तक)*

(स) विशेष योग्यजन निदेशालयः

स्थापना एवं अधिसूचना– दिनांक 18.10.2011 से पूर्व निःशक्तजनों को विभिन्न योजनाओं का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2011–12 की बजट घोषणा संख्या 64 निःशक्तजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान हेतु अलग से निदेशालय स्थापित करने की घोषणा की पालना में आदेश क्रमांक 80621 दिनांक 19.10.2011 से निदेशालय प्रारम्भ कर दिया गया। निःशक्तजन निदेशालय का नाम परिवर्तित कर विशेष योग्यजन निदेशालय हेतु मंत्रिमण्डल आज्ञा 41/2012 दिनांक 14 फरवरी, 2012 को जारी की जा चुकी है महामहिम राज्यपाल महोदय के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 01.03.12 को अधिसूचना जारी कर दी गई जिसका 6 मार्च 2012 को राजस्थान राज–पत्र विशेषांक में प्रकाशन हो चुका है।

उक्त के क्रम में निदेशालय का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 पृथक से प्रकाशित करवाया गया है। प्रतिवेदन में आवश्यक सभी सूचनाएं संकलित हैं।

(द) निदेशालय बाल अधिकारिता का गठन एवं परिचय :–

राजस्थान सरकार ने राज्य में बजट घोषणा सं 111 वर्ष 2013–14 के अंतर्गत बाल अधिकार के संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु निदेशालय बाल अधिकारिता का गठन किया गया है। निदेशालय का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 पृथक से प्रकाशित करवाया गया है। प्रतिवेदन में आवश्यक सभी सूचनाएं संकलित हैं।

V. सामाजिक सुरक्षा योजना

वृद्ध कल्याण

1. वृद्धाश्रम एवं अशक्त गृहः—

विभाग द्वारा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह, पुष्कर (अजमेर) में संचालित किया जा रहा है।

राज्य वृद्धजन नीति के अन्तर्गत राज्य के जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, में एक—एक वृद्धाश्रम एवं उदयपुर में एक वृद्धाश्रम में 2 युनिट (50 वृद्ध) तथा कोटा में तीन वृद्धाश्रम इस प्रकार से कुल 7 आवासीय वृद्धाश्रम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम संचालित किये जा रहे हैं। इन वृद्धाश्रमों में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष/महिला को प्रवेश दिया जाता है। वृद्धाश्रमों में सभी वृद्धजनों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन वृद्धाश्रमों में गरीब/निराश्रित/सन्तानहीन/अपने पुत्रों एवं परिजनों से प्रताड़ित वृद्ध व्यक्ति प्रवेश ले सकते है। किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति या भिखारी/पागल व्यक्ति का प्रवेश निषेध/वर्जित है। राज्य में संचालित वृद्धाश्रमों का विवरण परिशिष्ट—20 पर उपलब्ध है।

वृद्धाश्रम व डे—केयर सेन्टर्स पर व्यय की प्रगति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
2011—2012	61.45
2012—2013	78.10
2013—2014	68.99
2014—2015	76.92
2015—2016*	53.67

* (दिसम्बर 2015 तक)

2. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004

वृद्धावस्था में वृद्धजन अपने जीवन को उल्लासपूर्वक बिता सकें, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निःसहाय/निराश्रित/वृद्ध/अशक्त/वृद्ध दम्पति की उचित देखभाल हेतु राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार वृद्ध कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004 जारी किये गये। इन केन्द्रों में 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के पुरूष तथा 55 वर्ष या इससे ऊपर की आयु की महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। इन केन्द्रों का उद्देश्य वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को उनके परिवार से जुड़े रहते हुए एक ओर उनकी आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक प्रवचन, धार्मिक स्थलों का भ्रमण आदि की पूर्ति करना है व दूसरी ओर उनके अमूल्य हुनर व अनुभव द्वारा संबंधित वर्गों को लाभान्वित करना है। भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में एकीकृत पैकेज के अन्तर्गत 25—25 वृद्ध व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। वृद्धजनों को आश्रमों में निःशुल्क चाय, अल्पाहार, भुने हुए चने, कभी—कभी हलुवा आदि देने का प्रावधान है। इन आश्रमों का समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक का है। वर्तमान में

राज्य सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 27 आश्रमों का संचालन किया जा रहा है (सूची परिशिष्ट–21 पर उपलब्ध है), जिनमें 27x25=675 वृद्ध व्यक्तियों/महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इन आश्रमों में वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन हेतु राज्य सरकार द्वारा टेलीविजन, ताश, कैरम, ढोलक, हारमोनियम, गीता, रामायण व दैनिक समाचार पत्र की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा इन वृद्ध आश्रमों/डे–केयर केन्द्रों के लिए वर्ष 2015–16 में 80.00 लाख रुपये का प्रावधान में से माह दिसम्बर 2015 तक 53.67 लाख रूपये व्यय किये गये।

3. संभाग मुख्यालय पर वृद्धाश्रम संचालन

वित्तीय वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर संभाग मुख्यालय पर 25 की क्षमता के वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिये 638.40 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया। उक्त स्थानों पर निःशुल्क भूमि आवंटित करवाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2013–14 में 368.40 लाख रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में 189.21 लाख रूपये तथा वर्ष 2015–16 में 85.00 लाख का बजट आवंटन भवन निर्माण हेतु किया गया हैं। इनमें से जोधपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर ,एवं बीकानेर में वृद्धाश्रम भवन निर्माण पूर्ण तथा उदयपुर में कार्य प्रगति पर है। भरतपुर में राज्य सरकार द्वारा तथा बीकानेर में हनुमानदास मूंदडा ट्रस्ट द्वारा 50 आवासीय क्षमता का वृद्धाश्रम पीपीपी मोड़ के आधार पर संचालित किया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर व कोटा में संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

4. जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रम

वित्तीय वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा संख्या 88 की क्रियान्विति की पालना में वृद्धाश्रम संचालन नियम 2006 के अंतर्गत किरायें के भवनों में स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम का संचालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 16 जिलों में 40 लाख का बजट आबंटित किया गया,जिसके विरूद्ध 33.99 लाख रूपये व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 180.00 लाख का बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि 179.69 लाख रूपये व्यय हुए है । वर्तमान में जिला एवं तहसील मुख्यालय पर 14जिलों में 23वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है जिनकी सूची परिशिष्ठ– 23 पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 180.00 लाख का बजट आबंटन किया गया जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि 92.40 लाख रूपये व्यय हुए है ।

5. नवजीवन योजना

अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों/ समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा पुनर्वास (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना) हेतु नवजीवन योजना का संचालन दिनांक 1 अप्रेल, 2011 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस योजनान्तर्गत ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त हैं कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, मोंगिया (मोंग्या), बावरिया, बेड़िया, बागरिया, सीरकीवाला, चौबदार एवं ढोली समुदायों के व्यक्ति तथा जिला कार्यकारी समिति द्वारा इस हेतु चिन्हित व्यक्ति/परिवारों के पुनर्वास के लिये विभिन्न वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

राज्य में नवजीवन योजना क्रियान्वयन के दिशा निर्देश विभाग के पत्रांक एफ 15/न.मु./नवजीवन/सान्याअवि/11/93021—93 दिनांक 11.12.11 के द्वारा सभी जिला कलक्टर एवं जिलाधिकारियों को भिजवाये गये हैं। इन निर्देशों के अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाकर अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं व्यवसाय में लिप्त परिवारों एवं पात्र समुदाय/अन्य परिवारों को योजना से लाभान्वित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य रखा गया है। योजना में परिवारों का चिन्हीकरण, आधारभूत सुविधाओं का विकास, प्रशिक्षण स्वरोजगार एवं आश्रित बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में कुल प्रावधित राशि में से 40 प्रतिशत राशि की सीमा तक आधारभूत सुविधाओं/निर्माण कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

उक्त योजना में छात्रावास भवन जोधपुर का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। छात्रावास का संचालन शैक्षणिक सत्र 2016—17 से किया जाना प्रस्तावित है।

गत वर्षों में योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2011—2012	329.82	3436
2012—2013	571.06	6249
2013—2014	316.05	5004
2014—2015	406.98	5153
2015—2016*	57.01	....

* (माह दिसम्बर 2015 तक)

6. पेन्शन योजनाएं :

अ) वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन पेंशन

राज्य में राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 (दिनांक 1.04.2013 से प्रभावी) के तहत वृद्धावस्था, विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 (दिनांक 1.04.2013 से प्रभावी) के तहत विशेष योग्यजन पेंशन दी जा रही।

1. <u>इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः</u>—केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

पेंशन दरः— 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.500/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू.750/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.200/—प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू.500/—प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

गत 5 वर्षो में व्यय राशि एवं लाभान्वितों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
1	2011—12	17404.96	632860
2	2012—13	18999.24	696933
3	2013—14	25114.77	758654
4	2014—15	22941.24	743140
5	2015—16 *	15450.98	624172

*(दिसम्बर, 2015 तक)

2. <u>इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाः</u>— केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी 2009 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 07.10.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं।

पेंशन दरः— 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू.500/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर रू.750/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 300/—प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रू.500/—प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

गत 5 वर्षो में व्यय राशि एवं लाभान्वितों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
1	2011—12	2534.55	99658
2	2012—13	3157.47	107550
3	2013—14	4255.78	119997
4	2014—15	3943.36	121163
5	2015—16 *	2827.93	102390

*(दिसम्बर, 2015 तक)

3. **<u>इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाः</u>–** केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना माह फरवारी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं।

इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त ''निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995'' में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा।

(i) अंधता (ii) कम दृष्टि (iii) कुष्ठ रोग मुक्त (iv) श्रवण शक्तिह्रास

(v) चलन निःशक्तता (vi) मानसिक मंदता (vii) मानसिक रूग्णता

पेंशन दरः– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 500/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू.750/– प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 300/–प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू.500/–प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

गत 5 वर्षो में व्यय राशि एवं लाभान्वितों का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
1	2011–12	446.34	15442
2	2012–13	573.78	17549
3	2013–14	854.48	22874
4	2014–15	718.97	23182
5	2015–16 *	523.34	17324

*(दिसम्बर, 2015 तक)

4. **<u>मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना :–</u> 55** वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/ – से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/ सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दरः– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.500/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू. 750/– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

गत 5 वर्षो में व्यय राशि एवं लाभान्वितों का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
1	2011–12	33012.76	125643
2	2012–13	36649.62	174871
3	2013–14	197068.98	3537992
4	2014–15	277695.96	3793523
5	2015–16 *	202674.00	4087100

*(दिसम्बर, 2015 तक)

5. <u>मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना :–</u> 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है

बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव जो एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दरः– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 500/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू. 750/– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

गत 5 वर्षो में व्यय राशि एवं लाभान्वितों का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
1	2011–12	20003.17	285014
2	2012–13	20604.39	296736
3	2013–14	35839.17	562901
4	2014–15	40955.03	618813
5	2015–16 *	30447.00	641734

*(दिसम्बर, 2015 तक)

6. <u>मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाः–</u> किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामलों में उॅचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एंव प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से

हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से)रू.60000/– तक हो पेंशन का पात्र होगा।

बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दरः– 8 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 250/– प्रतिमाह तथा 8 वर्ष से अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.500/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू.750/– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

गत 5 वर्षो में व्यय राशि एवं लाभान्वितों का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
1	2011–12	7629.05	115339
2	2012–13	8726.27	147127
3	2013–14	17125.67	328302
4	2014–15	20551.14	355027
5	2015–16 *	14760.00	325407

*(दिसम्बर, 2015 तक)

<u>नोटः</u> मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान/एकलनारी सम्मान / विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाओं में यदि प्रार्थी के स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

7. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना)

केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल परिवारों एवं आस्था कार्डधारी परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच की हो की मृत्यु होने पर ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर दिनांक 14.08.06 से पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सम्पूर्ण राज्य में लागू की गई थी। दिनांक 14.8.2013 से यह योजना पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के रूप में संचालित की जा रही है।

योजना के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार हैः–

(अ) सामान्य मृत्यु होने की दशा में 30000/– रू.

(ब) दुर्घटना होने की स्थिति में :—

(क) मृत्यु होने पर 75000/— रू.

(ख) स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75000/— रू.

(ग) 2 आंखे या 2 हाथ/पैर (Limb) या एक आंख व एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर 75000/— रू.

(घ) एक आंख या एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर 37500/— रू.

इस योजना के अन्तर्गत बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को रू. 100 प्रतिमाह की दर (तिमाही आधार पर रू. 1200 प्रतिवर्ष) से छात्रवृति का लाभ इस योजना के अन्तर्गत देय हैं। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में गत वर्षो में बीमा कराये गये परिवारों की संख्या, प्रीमियम राशि, लाभार्थियों की संख्या व उनको किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	बीमित परिवारों की संख्या	प्रीमियम भुगतान राशि (राशि लाखों में)
2006—07	22,23,185	2223.18
2007—08	26,48,185	1802.09
2008—09	25,84,376	1693.11
2009—10	26,04,620	1844.73
2010—11	26,21,645	1931.88
2011—12	26,59,835	2163.50
2012—13	26,90,920	1605.26
2013—14	27,11,611	1681.90
2014—15	27,34,351	1752.55
2015—16*	2748454	1326.60

*(दिसम्बर, 2015)

वर्ष	मृत्यु/अपंगता दावों एवं छात्रवृति भुगतान			
	मृत्यु/अपंगता दावों की संख्या	भुगतान राशि (राशि लाखों में)	विद्यार्थियों की संख्या	छात्रवृति भुगतान राशि (राशि लाखों में)
2006—07	7253	2175.90	65818	592.36
2007—08	5972	17916.00	63777	765.32
2008—09	7575	2272.50	70134	841.60
2009—10	7692	2307.60	90306	1083.67
2010—11	7922	2459.02	110585	1327.02.
2011—12	7317	2303.70.	125422	1505.06
2012—13	7752	2424.00	124986	1500.00
2013—14	7679	2536.57	101966	1225.59
2014—15	6075	1946.77	92700	1112.40

8. परिवीक्षा सेवायें

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 राज्य में जनवरी, 1962 से लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को जो आजीवन कारावास, मृत्युदण्ड से संबंधित अपराधों में लिप्त न हों, को कारावास दण्ड की अपेक्षा न्यायालय द्वारा अच्छे आचरण रखने पर प्रतिभूति के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में छोड़ा जाता है। परिवीक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे किशोरों का परिवीक्षण करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में पुनः स्थापित कराने हेतु मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया जाता है।

9. कारागृह कल्याण सेवायें

पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल–चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल–चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के मुख्य कर्त्तव्य एवं दायित्व कारागार में भ्रमण कर बंदियों की कारागार से बाहर की समस्याओं जैसे बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध, बन्दी की जमीन–जायदाद आदि की सुरक्षा की व्यवस्था, बन्दी के रूके हुए अन्य क्लेमों को दिलवाने की व्यवस्था, बन्दियों की अपीलों की शीघ्र सुनवाई आदि व्यवस्था कराना है।

10. राज्य वृद्धजन नीति

राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु 8 दिसम्बर, 2004 को राज्य वृद्धजन नीति घोषित की जा चुकी है।

11. वृद्ध कल्याण बोर्ड

वृद्ध व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए "राजस्थान राज्य वृद्ध कल्याण बोर्ड" का गठन जून, 2002 में किया जा चुका है।

12. चिरायु योजना–2008

राज्य में उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से चिरायु योजना वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत पी.पी.पी. मोड पर वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा जिन 13 संस्थाओं को वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गई, उनकी सूची परिशिष्ट–22 पर उपलब्ध है।

13. निराश्रित सम्बल योजना –

राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से ऐसे बेसहारा लोग जो अत्यन्त दयनीय परिस्थितियों में आते हैं तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसी

विशेष परिस्थितियों के लिये राजस्थान राज्य के बेसहारा व्यक्तियों को सहायता देने हेतु बजट घोषणा 2012–13 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक नवीन योजना ''निराश्रित सम्बल योजना'' आरम्भ की गई, जिसे वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना के नाम से अपग्रेड/संशोधित किया गया। इस घोषणा की क्रियान्विति के लिए योजना के दिशा–निर्देश सभी जिला कलक्टरों को जारी किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अधिकतम सिर्फ एक बार 2000/– रुपये (दो हजार रुपये मात्र) तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रत्येक जिले को 5.00 लाख रुपये आवंटित करते हुये कुल 165.00 लाख का प्रावधान रखा है, जिसके विरूद्ध 32.58 लाख रू व्यय किये जाकर 1683 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2013–14 में 80.90 लाख रूपये व्यय कर 4142 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में 65 लाख का बजट आबंटन किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 65 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिलो से मांग प्राप्त नही होने के कारण राशि का व्यय नहीं हो पाया।

VI. देवनारायण योजना

राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक डी–131–मं.मं./07. दिनांक 18.12.2007 के अनुसरण में जस्टिस (सेवानिवृत) चौपडा समिति द्वारा राज्य के अविकसित, सुविधाविहीन व दूरदराज के क्षेत्रों यथा नदी घाटी, डांग, छिन्द, वन एवं पहाडी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के उत्तरोत्तर विकास हेतु दिये गये सुझावों तथा इस संबंध में एक विशेष पैकेज के तहत इन्हें लाभान्वित किये जाने संबंधी सुझावों के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य योजना निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(5)/प्र.सु./ग्रुप–3/2008, दिनांक 21.01.2008 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्डल की आज्ञा सं. 72/2008 दिनांक 29.05.2008 से गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया गया।

प्रतिवेदन में 10 विभागों के प्रस्तावों के आधार पर योजनान्तर्गत समिति द्वारा विशेष पैकेज के अन्तर्गत 100 करोड रूपये के प्रावधानों को उचित माना गया। इस प्रकार देवनारायण योजनान्तर्गत विकास कार्य वर्ष 2008–09 से आरम्भ हुये। वर्ष 2008–09 से 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) की प्रगति निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण एवं संख्या	योजना की कुल लागत	व्यय वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक	व्यय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक)
1.	जन स्वा. अभि. विभाग	हैण्डपम्प स्थापना 2121	1272.60	1254.03	0.00
2.	स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक)	20 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 10 उ.प्रा. वि. से मा.वि., 16 मा.वि. से उ.मा.वि. में क्रमोन्नयन एवं संचालन व कक्षा कक्षों का निर्माण, कोचिंग कैम्प आदि कार्यक्रम	2459.90	1341.77	316.78
3.	तकनीकी शिक्षा विभाग	आईटीआई भवन निर्माण व संचालन 6	1475.64	1897.06	145.97
4.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना 207 एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण 152	1504.62	3008.11	285.99
5.	डेयरी विभाग	महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना 650 एवं प्राकृतिक गर्भाधान हेतु बैलों का वितरण 130, बल्क मिल्क कूलर की स्थापना 40	994.50	994.50	0.00

6.	सा.न्या. एवं अधि. विभाग	छात्रावास भवन निर्माण व संचालन 12 एवं देवनारायण योजना संस्थापन व्यय एवं देवनारायण बोर्ड को सहायता	864.46	1669.35	27.46
7.	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम एवं आंगनबाडी भवन निर्माण 195	699.23	730.05	0.00
8.	सैनिक कल्याण विभाग	मिनी सैनिक विश्राम गृह, सैनिक छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र निर्माण	214.40	194.40	0.00
9.	देवस्थान विभाग	मंदिरों का जीर्णोद्धार 2	50.00	50.00	0.00
10.	पशुपालन विभाग	गोपाल योजना (समन्वित पशुधन विकास केन्द्र) 200	464.00	0.00	0.00
		योग	**9999.35**	**11139.27**	**776.20**

इस प्रकार योजनान्तर्गत विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2008—09 से वर्ष 2014—15 तक कुल 11139.27 लाख रूपये का व्यय हो चुका है। वर्ष 2015—16 में बजट प्रावधान 1352.38 लाख रूपये के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक 776.20 लाख रूपये का व्यय हुआ है।

1. विशेष पिछडा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना :—

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के अनुरूप देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडे वर्ग 1 बंजारा, बालदिया, लबाना 2 गाडिया—लोहार, गाडोलिया 3 गूजर, गुर्जर 4 राईका, रैबारी (देबासी) 5 गडरिया, (गाडरी), गायरी के विद्यार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना वर्ष 2010—11 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010—11 में 13.01 करोड रूपये का व्यय कर 26419, वर्ष 2011—12 में 19.37 करोड रूपये का व्यय कर 36764, वर्ष 2012—13 में 33.64 करोड रूपये का व्यय कर 49912, वर्ष 2013—14 में 36.86 करोड रूपये का व्यय कर 52785 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2014—15 में 59.64 करोड रूपये का व्यय कर 63087 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2015—16 में 50.00 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक 29.06 करोड रूपये का व्यय कर 18385 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

2. विशेष पिछडा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना :—

राज्य सरकार द्वारा देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग 1 बंजारा, बालदिया, लबाना 2 गाडिया—लोहार, गाडोलिया 3 गूजर, गुर्जर 4 राईका, रैबारी (देबासी), 5 गडरिया, (गाडरी), गायरी के युवाओं को अनुप्रति योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने हेतु अनुप्रति योजना वर्ष 2010—11 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010—11 में 21.20 लाख रूपये का व्यय हुआ है जिसमें 72 अभ्यर्थियों, वर्ष 2011—12 में 10.05 लाख रूपये का व्यय कर 38 अभ्यर्थियों, वर्ष 2012—13 में 37.95 लाख रूपये का व्यय कर 137 अभ्यर्थियो, वर्ष 2013—14 में 15.90 लाख रूपये का व्यय कर 61 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष

2014–15 में 3.10 लाख रूपये का व्यय कर 9 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में 50.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक 2.07 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है।

3. देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु घोषित 200 करोड रूपये का विशेष पैकेज–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2011–12 के बिन्दु संख्या 75 के अनुसार विशेष पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु 200 करोड रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई। विशेष पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निम्न योजनाऐं स्वीकृत की जा चुकी है।

1. देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना–41, 2. देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना–9, 3. देवनारायण मोबाइल हॉस्पिटल योजना–10, 4. छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल बयाना, 5. छात्रों हेतु कॉलेज नादौती, 6. 25000 कि.ग्रा. का डेयरी प्लांट खेतडी जिला झुन्झुनूं, 7. विशेष पिछडा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना, 8. विशेष पिछडा वर्ग अनुप्रति विस्तार योजना, 9. देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना, 10. देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना, 11. देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना, 12. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, 13. देवनारायण गुरूकुल योजना, 14. ऋण एवं अनुदान सम्बन्धी योजनाऐं।

उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2011–12 से किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक 171.51 करोड रूपये का व्यय हुआ है। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक 23.76 करोड रूपये का व्यय हो चुका है।

देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक पूर्व में स्वीकृत 100 करोड़ रूपये के कार्यो के संचालन पर 7.76 करोड़ रूपये, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति में 29.06 करोड़ रूपये तथा 200 करोड़ के पैकेज के कार्यो पर 23.76 करोड़ रूपये इस प्रकार कुल व्यय 60.58 करोड़ रूपये हुआ है ।

VII. समाज सुधार के क्षेत्र में अन्य प्रयास

1. नशामुक्ति कार्यक्रम :–

समाज के बढ़ते भौतिकवाद के फलस्वरूप नशे जैसी बुराइयों का प्रभाव शनैः शनैः बढ़ता जा रहा है। नशे की बढ़ती हुई आदत की रोकथाम करने तथा लोगों को नशे की आदत से मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार की योजना को राजस्थान राज्य में वर्ष 1987 से संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार की योजना ''स्कीम फॉर प्रोहिबिशन एण्ड ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन'' को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा कार्यक्रमों के प्रस्तावों की जाँच कर प्रस्तावों को भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जाँच विभागीय जिलाधिकारी से करवाये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों की संविक्षा उपरान्त योग्य पाये जाने पर प्रस्तावों को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाता है। इस समिति द्वारा संस्था के उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में 14 प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्यक्रम संचालन हेतु 90 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है, शेष 10 प्रतिशत राशि संबंधित स्वयंसेवी संस्था को वहन करनी होती है। विभाग द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन में समन्वय का कार्य किया जाता है।

राज्य में नशा मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वचनबद्ध (On Going)कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के भारत सरकार को भिजवाये गये प्रस्तावों की सूची निम्नालिखित हैः–

क्र. सं.	नाम जिला	स्वयं सेवी संस्थाओं का नाम व पता	
		नवीनीकरण के प्रस्ताव वर्ष 2015–16	
1	टोंक	1	आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान, देवली टोक आई.आर.सी.ए. हेतू
2	बून्दी	2	आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान, देवली टोक आई.आर.सी.ए. हेतू
3	जोधपुर	3	अफीम मुक्ति चिकित्सा एवं अनुसंधान ट्रस्ट माणकलाव जोधपुर में नशा मुक्ति केन्द्र हेतु
4	सिरोही	4	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान मण्डी दंतौर, तह. खाजूवाला, बीकानेर आई.आर.सी.ए. हेतू
5	कोटा	5	राजस्थान अनुसूचित जाति महिला एवं शिशु विकास समिति, कोटा नशा मुक्ति केन्द्र
6	नागौर	6	राजस्थान नव चेतना समिति ग्राम सुराणा, त0 शाहपुरा जिला जयपुर आई.आर.सी.ए हेतू
7	श्रीगंगानगर	7	तपोवन नशा मुक्ति एवं पुर्नवास संस्थान, श्रीगंगानगर आई.आर.सी.ए हेतू
8	बीकानेर	8	दंतोर विकास सार्वजनिक पुणयार्थ ट्रस्ट गाँव दंतोर तहसील खाजूवाला, बीकानेर

राजस्थान राज्य को नशामुक्त की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से दिनांक 26.06.2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के

माध्यम से नशे से ग्रसित व्यक्तियों को नशामुक्त करने हेतु उपचार, पुनर्वास करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत, विषय–विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त कार्य योजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में डोडा पोस्ट उपभोगकर्ताओं को नशामुक्त करने के लिए चिकित्सा विभाग के सहयोग से उपचार की कार्य योजना क्रियान्वित किया जाना प्रक्रियाधीन है। जयपुर एवं कोटा जिले में नशे से प्रभावित व्यक्तियों का सर्वे के माध्यम चिन्हीकरण करने एवं नशे की लत से मुक्त करने हेतु उनका उपचार उपरान्त पुनर्वास करने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जायेगी।

2. दहेज निषेध को प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार

दहेज का ''लेना व देना'' प्रतिबन्धित करने के लिए अधिनियम हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961'' है। इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में है।

समाज सुधार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विभाग द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों में जिलाधिकारियों (उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) को उनके क्षेत्राधिकार सहित नियुक्त किया गया है। अधिसूचित ''नियम 2004'' के अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध से सम्बन्धित कार्यों का प्रशासन व समन्वय का कार्य मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में ''राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियम 2004'' 19 जुलाई को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की कार्यक्षमता और प्रक्रिया को बढ़ाने, सलाह देने और निर्धारण के उद्देश्य से सम्बन्धित मामलों में उचित सहयोग प्रदान करेगा।

कोई भी परिवाद किसी भी व्यक्ति या ऐसे माता–पिता या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा या किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याण अधिकारी को या तो व्यक्तिशः या सन्देशवाहक के माध्यम से या डाक से लिखित में प्रस्तुत कराया जा सकता है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह

एक अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार 01 अक्टूबर, 2015 को राज्य स्तरीय समारोह में सामाजिक, वृद्ध–कल्याण, सांस्कृतिक, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान प्रदान कर रहे वृद्धजन श्री महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री समुन्द्र सिंह शेखावत, श्री नरेन्द्र कुमार बनवीर पुत्र स्व.श्री गणपत लाल, श्री रामचन्द्र शास्त्री पुत्र श्री पं0 गोवर्धन लाल शर्मा , श्री जगदीश नन्दन शर्मा , श्री रमेशचन्द्र माहेश्वरी, श्री हरिप्रसाद शर्मा, श्री बालूशाहनी पुत्र श्री नथूमल शाहनी डॉ0 बन्शीधर तातेड़ पुत्र श्री केशरीमल तातेड उस्ताद श्री अकबर खॉ पुत्र श्री आरब खॉ, श्री लालदास राकेश पुत्र श्री गंगाराम वैष्णव, श्री राव गणपत सिंह पुत्र श्री राव रिडमल श्री मनुरामसिंह पुत्र श्री शिवशंकर सिंह, श्री मूलचन्द मेघवंशी पुत्र श्री चन्द्राराम बलाई, श्री रघुवीर सिंह तॅवर पुत्र स्व. श्री

गोविन्दसिंह तॅवर, श्री आर बी एल माथुर, श्री आर.डी.मंत्री पुत्र श्री रामकुमार, डॉ0 प्रहलाद राय मेहता पुत्र श्री नारायण दास मेहता, श्री नरेन्द्र केशव विडवालकर, श्री ओमप्रकाश गुप्ता, श्री ताराचन्द जैन, श्रीमती नीरू शर्मा, श्री प्रेमकिशन शर्मा, सुश्री कुसुम शर्मा, पुत्री श्री भगवत प्रसाद, श्री भगवत प्रसाद प्रमोद, डॉ0 वी0के0 वशिष्ठ, श्री बंशीधर शर्मा पुत्र श्री सुर्य नारायण शर्मा, श्री एस एल पाण्डिया, श्री छोटूलाल शर्मा, श्री मूलचन्द पुत्र श्री प्रताप जी स्वर्णकार, श्री राम निवास पुत्र श्री जगन्नाथ राव जी गाजरे, श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री पुरूर्षोतम चतुर्वेदी, श्री कालु राम पुत्र श्री मोहन लाल सोनी, डॉ एम एल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर एल अग्रवाल, डॉ अरूणा अग्रवाल पन्ति एम एल अग्रवाल, श्री जगदीश चन्द शर्मा पुत्र श्री बाबु राम उपाध्याय, श्री छीतर मल लढ्ढा पुत्र श्री गुदड मल लढ्ढा, श्री राम किशोर अग्रवाल पुत्र स्व. श्री जसराज अग्रवाल, श्री सुन्दर लाल अलावत पुत्र श्री पन्ना लाल, श्री उमाशंकर अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश अग्रवाल, श्री नूर मोहम्मद कुरैशी पुत्र श्री वजीर मोहम्मद, श्री कुंज बिहारी अग्रवाल पुत्र श्री बजरंग लाल, श्री माता प्रसाद शर्मा पुत्र श्री शिवराज, श्री कैलाश चन्द टेलर पुत्र श्री कुरडा राम टेलर, श्री नेमी चन्द पुनियां पुत्र श्री चन्दरा राम पूनियां वरिष्ठ नागरिकों को माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया गया ।

4. पूज्य स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार योजना

पूज्य स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं को स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर सम्मानित किया जाता है। यह योजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत वर्ष 2010 में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में जिलाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया हैं।

VIII. जेण्डर प्रतिसंवेदी बजट

जेण्डर बजटिंग की अवधारणा से अभिप्राय शासकीय बजट प्रावधान में जेण्डर गेप के परीक्षण उपरान्त जेण्डर हेतु अनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोडनें की प्रतिबद्धता प्रकट करना हैं। जेण्डर बजटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती हैं।

जेण्डर बजटिंग के उद्देश्यः–

1. आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय के जेण्डर अनुपात को देखते हुए विश्लेषण करना।
2. शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत महिला वर्ग पर व्यय उपरान्त पड़े प्रभाव का आकलन करना।
3. महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।
4. महिलाओं को विकास क्षेत्र की मुख्यधारा में जोड़ने एवं उनके समग्र विकास हेतु सुझावों का संकलन करना।

जेण्डर बजटिंग की आवश्यकताः–

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुंच रहा हैं यह जानने के उद्देश्य से बजट 2005–06 में जेण्डर बजट एवं अंकेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा चयनित किय गये–6 विभागों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भी चयन किया गया है, और जेण्डर बजटिंग विश्लेषण का प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष आयोजना मूल्यांकन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। वर्तमान में निर्णय लिया गया है, कि विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन में भी जेण्डर बजटिंग एवं अंकेक्षण की सूचना दर्शाई जाये। इस निर्णय के अनुसरण में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में लाभान्वित होने वाले महिला एवं पुरूषों का विवरण निम्न प्रकार दिया जा रहा हैं:–

राशि लाखो में लाभान्वित

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय दिसम्बर 2015 तक	पुरूष	स्त्री	योग
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (अनु.जाति वर्ग)	21184.41	10118.42	50211	33510	83721
2.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (अनु.जनजाति वर्ग)	17917.30	7709.43	34283	22690	56973
3.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (अन्य पिछड़ा वर्ग)	9000.00	7.38	27	12	39
4	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (विशेष पिछड़ा वर्ग)	5000.00	2906.07	12153	6232	18385
5.	विधवाओं की पुत्रियों के लिए विवाह अनुदान	49.00	46.30	–	463	463
6.	सहयोग योजना	1600.00	1078.78	–	8105	8105
7.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	300000.00	202674.00	2145727	1941373	4087100
8.	विधवा पेंशन योजना	45000.00	30447.00	–	641734	641734
9.	विशेष योग्यजन पेंशन योजना	25000.00	14760.00	178974	146433	325407
10.	अनुप्रति योजना	275.00	42.36	79	9	88
11.	विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना	5.00	0.75	–	5	5
12	पालनहार योजना	17113.17	8938.03	36945	110843	147788
	योग	442143.88	278728.52	2458399	291140	536980

विभाग द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले पुरूष एवं महिलाओं में लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 54.22 रहा हैं।

IX. अन्य गतिविधियाँ

1. विभागीय योजनाओं का पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरण

भारत के संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक एफ.4(02)पंराज/ सशक्त/ 2010/27 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 द्वारा विभिन्न गतिविधियां मय फण्ड्स एवं स्टाफ, पंचायती राज संस्थाओं के अधीन किये जाने की आज्ञा के अनुसरण में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ.1/स्था. /सकवि/03/ 47128 दिनांक 28.06.2003 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.1/स्था./सकवि/03/68032 दि.01. 11.2003 का अतिक्रमण करते हुए आदेश क्रमांक एफ.1(8)सामान्य/सान्याअवि/2010/ 52430 दिनांक 02. 10.2010 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये :—

"सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर संचालित सभी गतिविधियों को सम्बन्धित जिला परिषदों को हस्तान्तरित किया जाता है, सम्बन्धित जिला स्तरीय उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा अधिकारी/ छात्रावास अधीक्षक को सम्बन्धित जिला परिषद् के अधीन किया जाता है एवं जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी द्वारा सम्पादित सभी गतिविधियाँ जिला परिषदों को हस्तान्तरित की जाती हैं।"

उक्त आदेश के तहत विभाग द्वारा संचालित निम्न 50 योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया गया :—

1 अनुसूचित जाति छात्रावास
2 अनुसूचित जनजाति छात्रावास
3 स्वच्छकार छात्रावास
4 विमुक्त एवं घुमन्तू जाति छात्रावास
5 अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावास
6 अनुदानित अनुसूचित जनजाति छात्रावास
7 अनुदानित विमुक्त एवं घुमन्तू जाति छात्रावास
8 टी.ए.डी. क्षेत्र में संचालित छात्रावास
9 टी.ए.डी. क्षेत्र में संचालित अनुदानित छात्रावास
10 संयुक्त सहायता हेतु अनुदान (सामान्य क्षेत्र)
11 संयुक्त सहायता हेतु अनुदान (जनजाति क्षेत्र)

12 विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (सामान्य क्षेत्र)

13 विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (जनजातीय क्षेत्र)

14 विशेष योग्यजन का चिन्हीकरण (सामान्य क्षेत्र)

15 विशेष योग्यजन का चिन्हीकरण (जनजातीय क्षेत्र)

16 विशेष योग्यजन के विवाह परिचय सम्मेलन हेतु कैम्प (सामान्य क्षेत्र)

17 विशेष योग्यजन के विवाह परिचय सम्मेलन हेतु कैम्प (जनजातीय क्षेत्र)

18 अन्तर्जातीय विवाह योजना

19 गाड़िया लुहार कच्चा माल क्रय अनुदान

20 विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता (सामान्य क्षेत्र)

21 कोढ़ पीड़ित परिवारों के अध्ययनरत बच्चों को विशेष विकलांग छात्रवृत्ति

22 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

23 सहयोग योजना

24 विधवा पुनर्विवाह योजना

25 डे–केयर सेन्टर

26 नागरिक अधिकार संरक्षण (पी.सी.आर.) अनुसूचित जाति/जनजाति (सामान्य क्षेत्र)

27 नागरिक अधिकार संरक्षण (पी.सी.आर.) अनुसूचित जाति/जनजाति (जनजातीय क्षेत्र)

28 गाड़िया लुहार को भवन निर्माण हेतु सहायता योजना

29 पालनहार योजना

30 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना (वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्तजन पेंशन)

31 राज्य पेंशन योजना (वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्तजन पेंशन)

32 पन्नाधाय जीवन अमृत (जनश्री बीमा) योजना

33 सम्बल ग्राम योजना

34 चिरायु योजना

35 आस्था योजनान्तर्गत चिन्हित निःशक्तजन के परिवारों को सहायता

36 पेंशनधारी विशेष योग्यजन को स्वावलम्बन हेतु एक मुश्त सहायता

37 विशेष योग्यजन हेतु खेलकूद कार्यक्रम

38 पी.पी.पी. मोड़ के अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन

39 विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता (जनजातीय क्षेत्र)

40 विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु देवनारायण योजना का क्रियान्वयन

41 देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास

42 आवासीय विद्यालय

43 विशेष योग्यजनों के लिए पोलियो करैक्शन कैम्प

44 शिशु गृहों का संचालन

45 सम्प्रेक्षण गृह

46 किशोर गृह

47 महिला सदन

48 विमन्दित मानसिक पीड़ित महिला गृहों का संचालन

49 नशामुक्ति कार्यक्रम

50 नारी निकेतन

2. कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में किये गये नवाचार

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के लिए सम्पूर्ण राज्य में आवेदन पत्र पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किए गएः–

1. छात्रावास प्रवेश
2. आवासीय विद्यालयों में प्रवेश
3. अनुप्रति योजना
4. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

उक्त योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन पेपरलेस माध्यम से प्राप्त कर उनकी ऑनलाईन ही जांच करने के उपरान्त वांछित स्वीकृतियां जारी करने के पश्चात् राशि सीधे ही संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन का कार्य भी अभियान के रूप में करवाया गया। अभियान के दौरान लाभार्थियों के आधार आईडी, भामाशाह आईडी, मोबाईल नम्बर, बैंक खाते का विवरण आदि भी संकलित किया गया एवं भविष्य में पेंशन का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से प्रारम्भ किया गया।

इसी प्रकार पालनहार योजना के पूर्व में स्वीकृत सभी लाभार्थियों के डाटा की ऑनलाईन एन्ट्री कर उनके सत्यापन के उपरान्त देय परिलाभ की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही हस्तान्तरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का राज्य स्तरीय प्रशासनिक स्वरूप

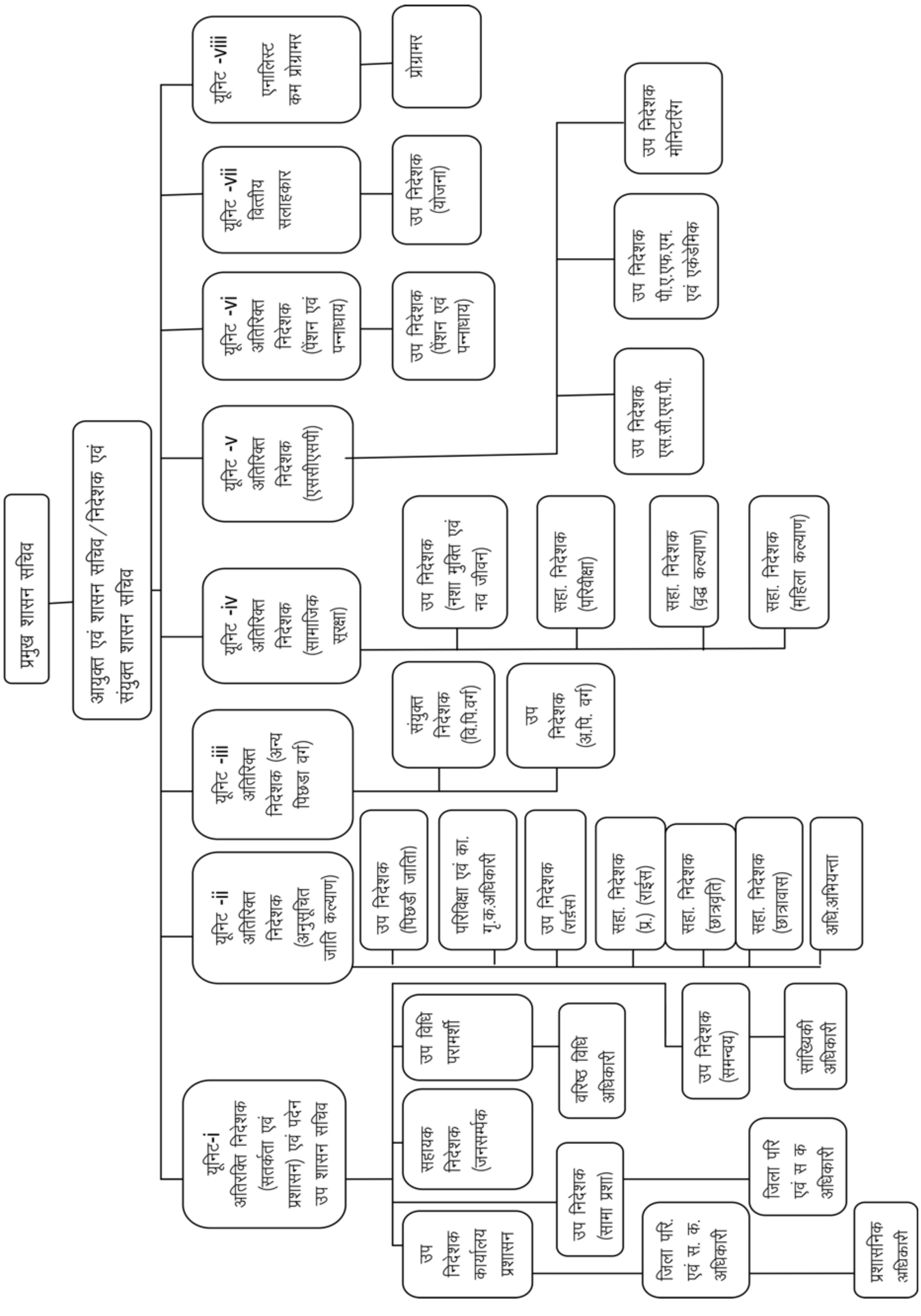

परिशिष्ट–2

जिला स्तर पर विभाग का प्रशासनिक ढांचा

उप निदेशक	सहायक निदेशक	अधीक्षक	प्रधानाचार्य	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
		<u>नारी निकेतन</u>		
(क) जिला स्तर	(क) जिला स्तर	1. अजमेर	आवासीय	प्रत्येक
1. जयपुर	1. अलवर	2. कोटा	विद्यालय	पंचायत
(शहर)	2. गंगानगर	3. उदयपुर	(19)	समिति स्तर
2. जयपुर	3. जैसलमेर	4. जोधपुर		पर
(ग्रामीण)	4. टोंक	5. बीकानेर		(248)
3. जोधपुर	5. झुन्झुनूं	6. भरतपुर		
4. उदयपुर	6. पाली			
5. कोटा	7. स.माधोपुर			
6. अजमेर	8. सीकर			
7. बीकानेर	9. डूँगरपुर			
8. भरतपुर	10. बाँसवाड़ा			
	11. चित्तौड़गढ़			
	12. बारां			
	13. भीलवाड़ा			
	14. नागौर			
	15. झालावाड			
	16. दौसा,			
	17. बून्दी			
	18. धौलपुर			
	19. हनुमानगढ़			
	20. करौली			
	21. राजसमन्द			
	22. जालौर			
	23. प्रतापगढ़			
	24. बाड़मेर			
	25. सिरोही			
	26 चुरू			
	27. राज्य महिला सदन, जयपुर			

परिशिष्ट – 3

जिला स्तर पर कार्यालय का ढांचा

उप निदेशक स्तर के कार्यालय – 8

उप निदेशक	8	
सहायक निदेशक	1	
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	18	
परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी	9	
सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	8	
कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	8	
सहायक कार्यालय अधीक्षक	14	
स्टेनो	8	
लिपिक ग्रेड–प्रथम	24	
लिपिक ग्रेड–द्वितीय	39	
सूचना सहायक	10	(जयपुर शहर एवं ग्रामीण में दो–दो पद)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	

सहायक निदेशक स्तर के कार्यालय – 26

सहायक निदेशक	26
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	32
परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी	29
सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	26
सहायक कार्यालय अधीक्षक	15
स्टेनो	26
लिपिक ग्रेड–प्रथम	63
लिपिक ग्रेड–द्वितीय	94
सूचना सहायक	26
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	78

जिला स्तर पर छात्रावास अधीक्षक – 702

महिला सदन/नारी निकेतन –

सहायक निदेशक	1
अधीक्षक (समकक्ष जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी)	6
परिवीक्षा अधिकारी	1
सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	1
छात्रावास अधीक्षक प्रथम	7
लिपिक ग्रेड–प्रथम	1
लिपिक ग्रेड–द्वितीय	7
केयर टेकर	14
नर्स	4
ए.एन.एम.	6
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16

वृद्ध एवं अशक्त गृह

छात्रावास अधीक्षक प्रथम	7
लिपिक ग्रेड–द्वितीय	7
नर्स	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8

परिशिष्ट – 4

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	योजना	संस्थापन वर्ष	बालक / कन्या	राजकीय / किराया	स्वीकृत क्षमता वर्ष 15–16	कुल प्रवेशित संख्या वर्ष 15–16	रिक्तियां
	अजमेर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अजमेर	SC	1958	बालक	राजकीय	30	20	10
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गंगवाना	SC	1982	बालक	राजकीय	45	31	14
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगढ़	SC	1991	बालक	राजकीय	40	35	5
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, प्रान्हेड़ा	SC	1982	बालक	राजकीय	25	21	4
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पिसांगन	SC	1994	बालक	राजकीय	40	40	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पुष्कर	SC	1968	बालक	राजकीय	60	56	4
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रूपनगढ़	SC	1986	बालक	राजकीय	45	45	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांपला	SC	1999	बालक	राजकीय	45	36	9
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सावर	SC	1994	बालक	राजकीय	35	35	0
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अराईं	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	21	4
11	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अजमेर	SC	1993	कन्या	राजकीय	25	19	6
12	राजकीय कन्या महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास अजमेर	SC	2007-08	कन्या	राजकीय	85	83	2
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मसूदा	ST	1962	बालक	राजकीय	45	39	6
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, विजयनगर	ST	1967	बालक	राजकीय	65	64	1
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भिनाय	scavanger	1981	बालक	राजकीय	35	31	4
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सरवाड़	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
17	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, हटूण्डी	SC	1965	कन्या	संस्था का	75	73	2
18	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, हटूण्डी	ST	1996	कन्या	संस्था का	25	25	0
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ब्यावर	OBC	1965	बालक	राजकीय	60	60	0

20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केकडी	OBC	1962	बालक	राजकीय	70	70	0
21	राजकीय देवनारायण छात्रावास भिनाय	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	24	26
22	राजकीय देवनारायण छात्रावास मसूदा	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	48	2
23	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास अजमेर	SBC	2012-13	कन्या	राजकीय	50	49	1
	23	TOTAL				**1075**	**975**	**100**
	अलवर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अलवर–1	SC	1961-62	बालक	किराये का	75	68	7
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बानसूर	SC	1994	बालक	राजकीय	35	32	3
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बहरोड़	SC	1991	बालक	राजकीय	55	55	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कठूमर	SC	1982	बालक	राजकीय	60	59	1
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खैरथल	SC	1986	बालक	राजकीय	50	50	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खेड़ली	SC	1982	बालक	राजकीय	60	50	10
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजगढ़–3	SC	1999	बालक	राजकीय	35	35	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थानागाजी	SC	1991	बालक	किराये का	35	35	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तिजारा	SC	1971	बालक	राजकीय	50	50	0
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगढ़वास	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	22	3
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मल्लाना (राजगढ़)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	50	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मुण्डावर	SC	2004-05	बालक	किराये का	25	25	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टिटपुरी (कठूमर)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
14	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अलवर	SC	1990-91	कन्या	राजकीय	35	31	4
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अलवर–2	ST	1961-62	बालक	किराये का	55	55	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गढ़ीसवाईराम	ST	1971	बालक	राजकीय	40	36	4

17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नारायणपुर	ST	1991	बालक	किराये का	25	25	0
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजगढ़	ST	1958	बालक	राजकीय	65	65	0
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रेणी	ST	1969	बालक	राजकीय	35	35	0
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सकट	ST	1985-86	बालक	राजकीय	55	40	15
21	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, किशनगढ़वास	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	40	40	0
22	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मुण्डावर	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	35	31	4
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हजूरीगेट, अलवर–3	scavanger	1981	बालक	किराये का	35	31	4
24	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लक्ष्मणगढ़	scavanger	1989	बालक	राजकीय	25	25	0
25	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजगढ़–2	scavanger	1981	बालक	राजकीय	35	35	0
26	राजकीय देवनारायण छात्रावास, थानागाजी	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	50	0
27	राजकीय देवनारायण छात्रावास, बानसूर	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	50	0
28	राजकीय देवनारायण छात्रावास, राजगढ़	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	60	60	0
29	राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास, अलवर	SBC	2008-09	कन्या	राजकीय	40	21	19
30	राजकीय देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, अलवर	SBC	2012-13	कन्या	किराये का	75	0	75
31	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, अलवर	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	55	30	25
	31	TOTAL				1390	1216	174
	जिला (बांसवाडा)							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सेनावासा़.	SC	1999	बालक	किराये का	50	50	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तलवाड़ा	SC	1999	बालक	राजकीय	50	50	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बडी सरवा (टीएडी)	ST	1989	बालक	राजकीय	50	49	1
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बागीदौरा (टीएडी)	ST	1994	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बजवाना (टीएडी)	ST	1985	बालक	राजकीय	40	40	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाँसवाड़ा (टीएडी)	ST	1952	बालक	राजकीय	120	120	0

7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बोरी (टीएडी)	ST	1971	बालक	राजकीय	65	65	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छींछ (टीएडी)	ST	1989	बालक	राजकीय	35	35	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छोटी बदरेल (टीएडी)	ST	1986	बालक	राजकीय	40	35	5
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दानपुर (टीएडी)	ST	1969	बालक	राजकीय	70	70	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गढ़ी (टीएडी)	ST	1958	बालक	राजकीय	100	100	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, घाटोल (टीएडी)	ST	1953	बालक	राजकीय	85	85	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुशलगढ़ (टीएडी)	ST	1964	बालक	राजकीय	60	55	5
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लोहारिया (टीएडी)	ST	1975	बालक	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सज्जनगढ़ (टीएडी)	ST	1956	बालक	राजकीय	60	60	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सरेड़ी बड़ी (टीएडी)	ST	1989	बालक	राजकीय	50	50	0
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भूंगड़ा (टीएडी)	ST	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
18	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बागीदौरा (टीएडी)	ST	1985	कन्या	राजकीय	65	64	1
19	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बाँसवाड़ा (टीएडी)	ST	1956	कन्या	राजकीय	60	57	3
20	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, गढ़ी (टीएडी)	ST	1976	कन्या	राजकीय	50	35	15
21	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, घाटोल (टीएडी)	ST	1989	कन्या	राजकीय	50	49	1
22	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, कुशलगढ़ (टीएडी)	ST	1982	कन्या	राजकीय	50	50	0
23	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सज्जनगढ (टीएडी)	ST	1993	कन्या	राजकीय	50	50	0
24	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, बागीदौरा (टीएडी)	ST	1974	बालक	किराये का	25	25	0
25	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, भीमकुण्ड (टीएडी)	ST	1979	बालक	संस्था का	25	25	0
26	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, भूंगडा (बामनपाडा) (टीएडी)	ST	1968	बालक	राजकीय	25	25	0
27	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, खोडन (टीएडी)	ST	1966	बालक	संस्था का	30	30	0

28	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, (मोर) कुशलगढ़ (टीएडी)	ST	1995	बालक	संस्था का	25	25	0
29	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, टिमेडा बडा (टीएडी)	ST	1995	बालक	संस्था का	25	0	25
30	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, कुशलगढ़ बांसवाडा (टीएडी)	ST	1959	बालक	संस्था का	25	25	0
31	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, बांसवाडा (टीएडी)	ST	2004-05	बालक	संस्था का	25	25	0
32	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, बांसवाडा	ST	2013-14	कन्या	राजकीय	75	0	75
	32	TOTAL				1605	1474	131
	बारां							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कटावर	SC	2004	बालक	राजकीय	25	24	1
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगंज	SC	2004	बालक	राजकीय	50	50	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चरड़ाना	SC	2004	बालक	राजकीय	35	35	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुन्जेड़	SC	2004	बालक	राजकीय	25	25	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आटोन	SC	2004	बालक	राजकीय	35	35	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कस्बाथाना	SC	1999	बालक	राजकीय	25	25	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अटरू	SC	1961	बालक	राजकीय	70	63	7
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बडौरा	SC	1993	बालक	राजकीय	25	23	2
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बारां	SC	1967	बालक	राजकीय	60	59	1
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बराना	SC	1997	बालक	राजकीय	25	25	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छीपा बड़ौद	SC	1968	बालक	राजकीय	40	39	1
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फतेहपुर, बारां	SC	1999	बालक	राजकीय	35	33	2
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हरनावदा शाहजी	SC	1994	बालक	राजकीय	35	35	0
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कवाई	SC	1971	बालक	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीसवाली	SC	1997	बालक	राजकीय	35	34	1
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कलमण्डा	SC	2012-13	बालक	राजकीय	35	0	35
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सकतपुर	SC	2001	बालक	राजकीय	25	16	9

18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, समरानिया	SC	2004-05	बालक	राजकीय	35	35	0
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बामला	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	13	12
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सहरोद (तह. अटरू)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	0	25
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बारां	SC	1991	कन्या	राजकीय	25	12	13
22	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, देवरी	SC	2001	कन्या	राजकीय	25	25	0
23	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, खेड़लीगंज	SC	2004-05	कन्या	राजकीय	25	25	0
24	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जलवाड़ा (सहरिया क्षेत्र)	ST	1991	बालक	राजकीय	35	35	0
25	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कैलवाड़ा (सहरिया क्षेत्र)	ST	1958	बालक	राजकीय	45	45	0
26	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगंज (सहरिया क्षेत्र)	ST	1959	बालक	राजकीय	50	38	12
27	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मांगरोल	ST	1989	बालक	राजकीय	35	34	1
28	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, गरड़ा (सहरिया क्षेत्र)	ST	1989	कन्या	राजकीय	25	24	1
29	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नाहरगढ़ (सहरिया क्षेत्र)	ST	1987	कन्या	राजकीय	35	35	0
30	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, समरानिया (सहरिया क्षेत्र)	ST	1989	कन्या	राजकीय	35	35	0
31	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, शाहबाद (सहरिया क्षेत्र)	ST	1994	कन्या	राजकीय	50	50	0
32	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, चरड़ाना	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	25	0
33	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भूलोन	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	25	0
34	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, रायथल	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	24	1
35	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अन्ता	scavanger	1986	बालक	राजकीय	50	27	23
36	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अटरू	scavanger	1989	कन्या	राजकीय	50	50	0
37	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, कसबाथाना (सहरिया क्षेत्र)	ST	1967	बालक	संस्था का	30	30	0
38	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, नहारगढ़ (सहरिया क्षेत्र)	ST	1967	बालक	संस्था का	40	40	0
39	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, शाहबाद (सहरिया क्षेत्र)	ST	1953	बालक	संस्था का	50	50	0
40	अनुदानित मा.ला.वर्मा. अनु. जनजाति छात्रावास, शाहबाद (सहरिया क्षेत्र)	ST	1996	बालक	संस्था का	25	25	0

41	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, भवंरगढ़ (सहरिया क्षेत्र)	ST	2004-05	बालक	संस्था का	25	24	1
42	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छबड़ा	OBC	1959	बालक	राजकीय	75	75	0
43	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाली	OBC	1991	बालक	राजकीय	60	47	13
44	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, बारां	SBC	2012-13	बालक		50	47	3
45	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, बारां	ST	2013-14	कन्या	राजकीय	75	65	10
	45	TOTAL				1705	1531	174
	बाड़मेर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाड़मेर–2	SC	1976	बालक	राजकीय	60	60	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चौहटन	SC	1965	बालक	राजकीय	110	102	8
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, धोरीमन्ना	SC	1976	बालक	राजकीय	55	55	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गडरा रोड़	SC	1965	बालक	राजकीय	80	80	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मोकलसर	SC	1992	बालक	राजकीय	55	54	1
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पादरू	SC	1990	बालक	राजकीय	55	55	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाटोदी	SC	1991	बालक	राजकीय	50	50	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, समदड़ी	SC	1981	बालक	राजकीय	75	75	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गूंगा	SC	1991	बालक	राजकीय	25	25	0
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सिणधरी	SC	1986	बालक	राजकीय	50	49	1
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सिवाना	SC	1961	बालक	राजकीय	100	99	1
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैसिन्धर स्टेशन	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	46	4
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बालोतरा–2	SC	2004-05	बालक	राजकीय	100	92	8
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बायतू	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, चौहटन, बाड़मेर	SC	1993	कन्या	राजकीय	50	49	1
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बालोतरा–1	ST	1959	बालक	राजकीय	60	54	6
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बांकासर	ST	1965	बालक	राजकीय	30	30	0

18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाड़मेर–1	ST	1965	बालक	राजकीय	50	36	14
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रामसर	ST	2004-05	बालक	राजकीय	50	49	1
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाड़मेर–3	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पचपदरा	OBC	1964	बालक	राजकीय	50	49	1
22	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, चौहटन	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0
23	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, बाडमेर	SC	2012-13	कन्या		50	0	50
	23	TOTAL				1355	1259	96
	भरतपुर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बैर	SC	1990	बालक	राजकीय	65	65	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, एसटीसी कॉलोनी, भरतपुर	SC	1952	बालक	राजकीय	80	77	3
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कामां	SC	1963	बालक	राजकीय	50	50	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नदबई	SC	1971	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नगर	SC	1986	बालक	राजकीय	50	46	4
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रूपबास	SC	1981	बालक	राजकीय	35	35	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रूदावल	SC	1991	बालक	राजकीय	35	35	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीकरी	SC	1991	बालक	राजकीय	25	25	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उच्चैन	SC	1986	बालक	राजकीय	40	39	1
10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सावौरा	ST	2004-05	कन्या	किराये का	25	25	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बयाना	scavanger	1991	बालक	राजकीय	50	49	1
12	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, भुसावर	SC	1958	कन्या	संस्था का	65	0	65
13	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, भरतपुर	SC	2007-08	कन्या	राजकीय	80	80	0
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भरतपुर–2	OBC	1956	बालक	राजकीय	50	49	1
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डीग	OBC	1961	बालक	राजकीय	50	50	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुम्हेर	OBC	1978	बालक	राजकीय	30	30	0
17	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भरतपुर	OBC	1964	कन्या	राजकीय	50	50	0
18	राजकीय देवनारायण छात्रावास, नगर	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0

19	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास, भरतपुर	SBC	2012-13	कन्या	राजकीय	50	50	0
	19	TOTAL				855	920	75
	भीलवाडा							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आमली सहाड़ा	SC	1986	बालक	राजकीय	35	35	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बडलियास	SC	1986	बालक	राजकीय	25	25	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बदनोर	SC	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनेड़ा	SC	1994	बालक	राजकीय	25	25	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बापूनगर, भीलवाड़ा	SC	1956	बालक	राजकीय	75	74	1
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देवरिया	SC	1997	बालक	राजकीय	50	35	15
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गंगापुर	SC	1986	बालक	राजकीय	50	50	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हुरड़ा	SC	1989	बालक	राजकीय	35	35	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करेड़ा	SC	1992	बालक	राजकीय	25	23	2
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोशीथल	SC	1991	बालक	राजकीय	40	37	3
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटड़ी	SC	1986	बालक	राजकीय	35	35	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लाडपुरा	SC	1986	बालक	राजकीय	35	35	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, माँडल	SC	1998	बालक	राजकीय	25	25	0
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भॉडलगढ़	SC	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मंगरोप	SC	1981	बालक	राजकीय	25	24	1
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नन्दराय (शाहपुरा)	SC	1998	बालक	राजकीय	40	40	0
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपलून्द (जहाजपुर)	SC	1998	बालक	राजकीय	35	35	0
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फूलिया कलां	SC	1981	बालक	राजकीय	65	45	20
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रायपुर	SC	1986	बालक	राजकीय	60	60	0
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सलावटिया (माँडलगढ़)	SC	1998	बालक	राजकीय	25	25	0
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, शाहपुरा	SC	1961	बालक	राजकीय	80	69	11

22	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कनेछन कलां (शाहपुरा)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	40	40	0
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बरसनी (आसीन्द)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
24	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, दौलतगढ़	SC	1998	कन्या	राजकीय	25	16	9
25	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बिजोलियां	ST	1994	बालक	राजकीय	25	25	0
26	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पारोली	ST	1989	बालक	राजकीय	50	50	0
27	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, शक्करगढ़	ST	1986	बालक	राजकीय	50	50	0
28	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, जहाजपुर	ST	1986	कन्या	राजकीय	35	35	0
29	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हमीरगढ़	scavanger	1981	बालक	राजकीय	35	35	0
30	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुभाषनगर (भीलवाड़ा)	scavanger	1981	बालक	राजकीय	25`	25	0
31	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास भीलवाडा	SC	2012-13	कन्या	राजकीय	100	95	5
32	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, जहाजपुर	ST	1961	बालक	संस्था का	50	50	0
33	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बागोर	OBC	1986	बालक	राजकीय	25	22	3
34	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पण्डेर	OBC	1961	बालक	राजकीय	100	95	5
35	राजकीय देवनारायण छात्रावास आसीन्द	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	75	75	0
36	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास भीलवाडा	SBC	2012-13	कन्या	राजकीय	25	16	9
	36	TOTAL				1570	1486	84
	बीकानेर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बज्जू	SC	1986	बालक	राजकीय	40	40	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बीकानेर–1	SC	1952	बालक	राजकीय	75	57	18
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छतरगढ़	SC	1965	बालक	राजकीय	60	55	5
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देशनोक	SC	1991	बालक	राजकीय	35	35	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दियातरा	SC	1992	बालक	राजकीय	55	51	4
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खाजूवाला	SC	1997	बालक	राजकीय	50	50	0

7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोलायत	SC	1982	बालक	राजकीय	50	34	16
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लूणकरणसर	SC	1978	बालक	राजकीय	55	53	2
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नोखा	SC	1990	बालक	राजकीय	35	25	10
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जसरासर	SC	2000	बालक	राजकीय	40	39	1
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पूंगल	SC	1964	बालक	राजकीय	55	53	2
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, श्रीडूँगरगढ़	SC	1991	बालक	राजकीय	40	35	5
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पांचू, नोखा	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	14	11
14	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बीकानेर	SC	1991	कन्या	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गोगागेट (बीकानेर)	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	50	41	9
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नापासर	scavanger	1998	बालक	राजकीय	35	29	6
17	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, बीकानेर	SC	2007-08	कन्या	राजकीय	75	75	0
18	अनुदानित त्रिलोंक मेघवंशी छात्रावास, नोखा	SC	1958	बालक	स्वंय का	49	43	6
19	अनुदानित जय भीम छात्रावास, बीकानेर	SC	2004-05	बालक	संस्था का	25	25	0
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बीकानेर–2	OBC	1985	बालक	राजकीय	50	46	4
21	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, बीकानेर	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	0	50
	21	TOTAL				999	850	149
	बून्दी							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गरड़दा	SC	1989	बालक	राजकीय	25	25	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, इन्दरगढ़	SC	1991	बालक	राजकीय	60	60	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करवड़	SC	1997	बालक	राजकीय	35	35	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केशोरायपाटन	SC	1959	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लक्ष्मीपुरा	SC	1989	बालक	राजकीय	40	40	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लबान	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0

7	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बून्दी	SC	1993	कन्या	राजकीय	50	50	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डाबी	ST	1986	बालक	राजकीय	40	40	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लाखेरी	ST	1985	बालक	राजकीय	60	60	0
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नमाना	ST	1962	बालक	राजकीय	50	50	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, समीधी	ST	1992	बालक	राजकीय	25	25	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बून्दी–1	OBC	1956	बालक	राजकीय	60	56	4
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हिण्डोली	OBC	1964	बालक	राजकीय	70	69	1
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बून्दी–2	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देई	scavanger	1983	बालक	राजकीय	40	40	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कापरेन	scavanger	1991	बालक	राजकीय	40	40	0
17	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास नेनवां	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	50	50	0
18	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, बुन्दी	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	100	98	2
19	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, बून्दी	ST	1961	बालक	संस्था का	25	25	0
20	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, हिण्डोली	SBC	2012-13	बालक	किराये का	50	50	0
21	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, नेनवां	SBC	2012-13	बालक	किराये का	50	50	0
22	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास, बून्दी	SBC	2012-13	कन्या	किराये का	50	50	0
23	अनुदानित अनुसूचित जनजति छात्रावास, तालेडा, बून्दी	ST	2015	बालक	संस्था का	50	50	0
	23	TOTAL				1095	1088	07
	चितौडगढ़							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बांसी	SC	1980-81	बालक	राजकीय	50	49	1
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गंगरार	SC	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, निम्बाहेड़ा	SC	1973-74	बालक	राजकीय	60	60	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, साड़ास	SC	1999	बालक	राजकीय	40	39	1
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बड़ी सादड़ी	ST	1974	बालक	राजकीय	50	47	3

6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बेगूं	ST	1960	बालक	राजकीय	60	59	1
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बोराव	ST	1997	बालक	राजकीय	30	29	1
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रावतभाटा	ST	1987	बालक	राजकीय	30	30	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बस्सी	ST	2004-05	बालक	राजकीय	50	50	
10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बेगूं	ST	1993	कन्या	राजकीय	50	49	1
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राशमी	OBC	1992	बालक	राजकीय	40	40	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चित्तौड़गढ़	scavanger	1980-81	बालक	राजकीय	50	50	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डूंगला	scavanger	1989	बालक	राजकीय	50	45	5
14	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, बड़ी सादडी	ST	2001-02	बालक	संस्था का	25	20	5
15	राजकीय देवनारायण छात्रावास, चितौडगढ़	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	150	72	78
16	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास ,चित्तौडगढ़	ST	2013-14	कन्या	राजकीय	95	95	0
	16	TOTAL				880	784	96
	चुरू							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छापर (सुजानगढ़)	SC	2003	बालक	राजकीय	35	35	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भूखरेडी	sc	1992	बालक	राजकीय	25	25	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चूरू–प्रथम	SC	1960	बालक	राजकीय	60	49	11
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजलदेसर	SC	1994	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सादुलपुर (राजगढ़)	SC	1979	बालक	राजकीय	50	50	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रतननगर	SC	1992	बालक	राजकीय	25	16	9
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सालासर	SC	1999	बालक	राजकीय	35	35	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुजानगढ़	SC	1974-75	बालक	राजकीय	45	39	6
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तारानगर	SC	1991	बालक	राजकीय	50	50	0
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सडू बड़ी	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चूरू–द्वितीय	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	15	10

12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रतनगढ़	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	49	1
13	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, चूरू	scavanger	1981	कन्या	राजकीय	25	25	0
14	अनुदानित बापासेवा सदन सरदारशहर	SC	1950	बालक	राजकीय	85	0	85
15	अनुदानित सरस्वती मेमोरियल शिक्षण संस्थान सरदारशहर	SC	2004-05	बालक	संस्था का	50	42	8
16	अनुदानित जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान साण्डवा (चूरू)	SC	2004-05	बालक	संस्था का	25	25	0
17	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, चुरू	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	100	95	5
	17	TOTAL				760	622	138
	दौसा							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बांदीकुई	SC	1971	बालक	राजकीय	95	95	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दौसा–1	SC	1969	बालक	राजकीय	75	70	5
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तलाबगांव	SC	1994	बालक	राजकीय	60	60	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बहरावण्डा (सिकराय)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, दौसा	SC	1993	कन्या	किराये का	50	50	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बसवा	ST	1996	बालक	राजकीय	50	50	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गण्डरावा	ST	1991	बालक	राजकीय	50	47	3
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, महुवा	ST	1962	बालक	राजकीय	95	94	1
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सिकराय	ST	1995	बालक	राजकीय	95	93	2
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दौसा, मु.	ST	2004-05	बालक	राजकीय	60	59	1
11	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, महुवा	ST	1994	कन्या	राजकीय	50	50	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दौसा–2	scavanger	1989	बालक	राजकीय	50	42	8
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लवाण	scavanger	1985	बालक	राजकीय	25	25	0
14	राजकीय सावित्री फुले छात्रावास लालसोठ	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, दौसा	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	75	75	0
16	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास,सैथल	SC	1976	बालक	संस्था का	35	35	0

17	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, लालसोट	ST	1959	बालक	संस्था का	35	33	2
18	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, बड़ीयालकला (बसवा)	ST	2004-05	बालक	किराये का	50	50	0
19	अनुदानित कन्या अनु.जनजाति छात्रावास, गीजगढ़ (सिकराय)	ST	2004-05	कन्या	किराये का	50	50	0
20	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, मण्डावरी	ST	2004-05	कन्या	किराये का	25	23	2
21	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, भाण्डारेज	SC	2004-05	बालक	किराये का	25	25	0
22	अनुदानित अनु.जाति बालक छात्रावास, गुढ़ाकटला	SC	2011-12	बालक	संस्था का	25	25	0
23	अनुदानित अनु.जाति बालक छात्रावास, कुण्डल	SC	2011-12	बालक	संस्था का	50	50	0
24	राजकीय देवनारायण छात्रावास बांदीकुई	SBC	2004-05	बालक	राजकीय	50	40	10
25	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास दौसा	SBC	2012-13	कन्या	किराये का	50	0	50
26	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, दौसा	OBC	2015	बालक	राजकीय	50	0	50
	26	TOTAL				1375	1241	134
	धौलपुर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाड़ी	SC	1975	बालक	राजकीय	50	48	2
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, धौलपुर–1	SC	1967	बालक	राजकीय	60	57	3
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मनिया	SC	1994	बालक	राजकीय	40	40	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजाखेड़ा	SC	1971	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सैपऊ	SC	1991	बालक	राजकीय	50	50	0
6	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, धौलपुर	SC	1990	कन्या	राजकीय	50	33	17
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बसेडी	ST	2013-14	बालक	राजकीय	50	50	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, धौलपुर–2	scavanger	1982	बालक	राजकीय	50	50	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सैपऊ	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	42	8
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाड़ी	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	49	1
11	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास, धौलपूर	SBC	2012-13	कन्या	किराये का	50	0	50
	11	TOTAL				550	469	81
	डूंगरपुर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनकोड़ा (टीएडी)	ST	1959	बालक	राजकीय	70	68	2

2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भांसौर (टीएडी)	ST	1966	बालक	राजकीय	75	57	18
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बोखलापाल (टीएडी)	ST	1989	बालक	राजकीय	50	38	12
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चीखली (टीएडी)	ST	1962	बालक	राजकीय	80	80	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरसारण (टीएडी)	ST	1996	बालक	राजकीय	40	40	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गेंजी (टीएडी)	ST	1986	बालक	राजकीय	35	35	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खड़लाई (टीएडी)	ST	1965	बालक	राजकीय	60	49	11
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुंआ (टीएडी)	ST	1975	बालक	राजकीय	55	55	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नवाडेरा, डूंगरपुर (टीएडी)	ST	1989	बालक	राजकीय	50	48	2
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ओबरी (टीएडी)	ST	1989	बालक	राजकीय	35	35	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, साबला (टीएडी)	ST	1956	बालक	राजकीय	80	63	17
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सागवाड़ा (टीएडी)	ST	1962	बालक	राजकीय	115	94	21
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सरोदा (टीएडी)	ST	1986	बालक	राजकीय	35	35	0
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीमलवाड़ा (टीएडी)	ST	1991	बालक	राजकीय	35	35	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, विकासनगर (टीएडी)	ST	1991	बालक	किराये का	35	22	13
16	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भीलूड़ा (टीएडी)	ST	1986	कन्या	राजकीय	35	22	13
17	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बीछीवाड़ा (टीएडी)	ST	1992	कन्या	राजकीय	45	42	3
18	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बूचियाबड़ा (टीएडी)	ST	1984	कन्या	राजकीय	35	35	0
19	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, चीखली (टीएडी)	ST	1990	कन्या	राजकीय	45	45	0
20	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पुनाली (टीएडी)	ST	1993	कन्या	राजकीय	35	34	1
21	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, साबला (टीएडी)	ST	1980	कन्या	राजकीय	50	50	0
22	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सागवाड़ा (टीएडी)	ST	1970	कन्या	राजकीय	80	57	23

23	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, डूंगरपुर	scavanger	1990	कन्या	राजकीय	50	38	12
24	अनुदानित नूतनबापा अनु.जनजाति छात्रावास, डूंगरपुर (टीएडी)	ST	1952	कन्या	संस्था का	45	40	5
25	अनदानित तपस अनु.जनजाति छात्रावास, डूंगरपुर (टीएडी)	ST	2004-05	बालक	किराये का	25	0	25
26	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, बागदरी (टीएडी)	ST	2004-05	बालक	संस्था का	30	29	1
27	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, थाना (टीएडी)	ST	1970	बालक	किराये का	25	25	0
28	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास डूंगरपुर	ST	2013-14	`कन्या	राजकीय	75	73	2
	28	TOTAL				1425	1244	181
	श्रीगंगानगर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अनूपगढ़	SC	1976-77	बालक	राजकीय	75	75	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गजसिंहपुर	SC	1990-91	बालक	राजकीय	45	45	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गंगानगर–1	SC	1960-61	बालक	राजकीय	82	65	17
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, घड़साना	SC	1978-79	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैतसर	SC	1990-91	बालक	राजकीय	40	40	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लालगढ़	SC	1997-98	बालक	राजकीय	25	25	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रावलामण्डी	SC	1997-98	बालक	राजकीय	35	33	2
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, समेजाकोठी	SC	1982-83	बालक	राजकीय	40	40	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सूरतगढ़	SC	1979-80	बालक	राजकीय	50	49	1
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केसरीसिंहपुर–1	SC	2000-01	बालक	राजकीय	50	27	23
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केसरीसिंहपुर –2	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	35	15
12	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, गंगानगर	SC	1989-90	कन्या	राजकीय	50	46	4
13	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, रायसिंहनगर	SC	1989-90	कन्या	राजकीय	50	50	0
14	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, विजयनगर	SC	1984-85	कन्या	राजकीय	35	26	9

15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मुकलावा	OBC	1985-86	बालक	राजकीय	50	48	2
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रायसिंहनगर	OBC	1964-65	बालक	राजकीय	70	70	0
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, श्रीकरणपुर	OBC	1960-61	बालक	राजकीय	35	34	1
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, 22पीएस, रायसिंहनगर	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	50	38	12
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, 365 हैड	scavanger	1991-92	बालक	राजकीय	35	35	0
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गंगानगर	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	40	24	16
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सादुलशहर	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	50	50	0
22	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पदमपुर	SC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0
23	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, अनुपगढ़	SC	2007-08	बालक	किराये का	25	25	0
24	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, केसरीसिंहपुर	SC	2004-05	बालक	किराये का	25	24	1
25	अनुदानित के.के.माडल स्कूल अनु. जाति छात्रावास, श्रीगंगानगर	SC	2004-05	बालक	किराये का	50	49	1
26	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, पतरोड़ा	SC	2004-05	बालक	संस्था का	50	0	50
27	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास गंगानगर	SC	2014-15	बालिका	राजकीय	75	70	5
	27	TOTAL				1282	1134	148
	हनुमानगढ़							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भादरा	SC	1994	बालक	राजकीय	50	49	1
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हनुमानगढ	SC	1990	बालक	राजकीय	50	50	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पक्कासारण	SC	1998	बालक	राजकीय	25	25	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पण्डितावाली	SC	1999	बालक	राजकीय	35	35	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीलीबंगा	SC	1985	बालक	राजकीय	100	94	6
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रावतसर	SC	1982	बालक	राजकीय	85	84	1
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टिब्बी	SC	1999	बालक	राजकीय	50	47	3
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पल्लू	SC	2004-05	बालक	राजकीय	35	35	0
9	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, रावतसर (टिब्बी)	SC	2004-05	कन्या	किराये का	35	35	0

10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, संगरिया	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	50	41	9
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नोहर	scavanger	1982	बालक	किराये का	50	42	8
12	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास हनुमानगढ़	SC	2012-13	कन्या	राजकीय	85	85	0
13	अनुदानित ग्रामोत्थान विद्यापीठ छात्रावास, संगरिया	SC	1954	बालक	संस्था का	60	59	1
	13	TOTAL				710	681	29
	जयपुर शहर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बापूआश्रम, जालूपुरा, जयपुर	SC	1962	बालक	राजकीय	30	23	7
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जगतपुरा	SC	1999	बालक	किराये का	35	35	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लबाना	SC	1986	बालक	राजकीय	45	42	3
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गोनेर	SC	1999	बालक	किराये का	30	24	6
5	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, गांधी नगर–1	SC	1962	कन्या	राजकीय	75	55	20
6	राजकीय कन्या महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास, गांधीनगर,	SC	20110-11	कन्या	राजकीय	100	83	17
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बगरू	ST	1978	बालक	किराये का	35	35	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गांधीनगर, झालाना डूंगरी	scavanger	1981	बालक	राजकीय	100	71	29
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रूण्डल़.	scavanger	1986	बालक	राजकीय	25	0	25
10	राजकीय देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, जयपुर	SBC	2012-13	कन्या		75	0	75
11	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, जयपुर	ST	2008-09	कन्या	राजकीय	100	99	1
	11					650	467	183
	जिला जयपुर ग्रामीण							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांभरलेक	SC	1968	बालक	राजकीय	60	60	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, शाहपुरा	SC	1981	बालक	राजकीय	50	46	4
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फुलेरा	scavanger	1993	बालक	राजकीय	45	29	16
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चाकसू	SC	2008-09	बालक	राजकीय	50	49	1
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दूदू	SC	1982	बालक	राजकीय	40	33	7
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गागरडू	SC	1991	बालक	राजकीय	25	13	12

7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटपूतली	SC	1994	बालक	राजकीय	105	105	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मनोहरपुर	SC	1962	बालक	राजकीय	70	70	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मेढ	SC	1982	बालक	किराये का	40	34	6
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पावटा	SC	1996	बालक	राजकीय	50	35	15
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फागी	SC	1986	बालक	राजकीय	50	50	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राड़ावास	SC	1991	बालक	किराये का	35	35	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गोविन्दगढ़	SC	1986	बालक	राजकीय	50	43	7
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटखावदा	SC	1999	बालक	राजकीय	25	25	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नायला	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	50	0
16	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, शाहपुरा	SC	2004-05	कन्या		25	0	25
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनेठी	ST	2012-13	बालक	राजकीय	35	35	0
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बांसखो	ST	1992	बालक	राजकीय	25	25	0
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बस्सी	ST	1986	बालक	राजकीय	50	50	0
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जमवारामगढ़	ST	1976	बालक	राजकीय	35	35	0
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उदयपुरिया, चौमूं	ST	1986	बालक	किराये का	25	25	0
22	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, विराट नगर	OBC	2004-05	बालक	राजकीय	35	35	0
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अमरसर	scavanger	1986	बालक	राजकीय	25	24	1
24	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तुंगा	scavanger	1964	बालक	राजकीय	35	35	0
25	अनुदानित श्री नेहरू अनु.जाति छात्रावास, चौमू	SC	2001-02	बालक	संस्था का	35	35	0
26	अनुदानित श्री नेहरू अनु.जाति छात्रावास, अमरसर	SC	2012-13	बालक	संस्था का	25	25	0
27	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास आंधी	SC	2012-13	बालक	किराये का	50	50	0
28	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, विराटनगर	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0
29	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, जमवारामगढ़	SC	2015	बालिका		25	1	24
30	अनुदानित अनुसूचित जनजाति छात्रावास, कोटखावदा	ST	2015	बालक	संस्था	50	47	3
	30	TOTAL				1270	1149	121

	जैसलमेर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फतेहगढ़	SC	1993	बालक	राजकीय	70	68	2
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैसलमेर–1	SC	1960	बालक	राजकीय	120	116	4
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खिंया	SC	1986	बालक	राजकीय	25	25	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नाचना–1	SC	1966	बालक	राजकीय	45	43	2
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पोकरण	SC	1961	बालक	राजकीय	75	68	7
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रामदेवरा	SC	1962	बालक	राजकीय	80	79	1
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रामगढ़	SC	1965	बालक	राजकीय	35	25	10
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांकड़ा	SC	1999	बालक	राजकीय	70	61	9
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झिनझिनयाली	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	48	2
10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मोहनगढ़	SC	1987	कन्या	राजकीय	35	25	10
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैसलमेर–2	ST	1960	बालक	राजकीय	60	54	6
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नाचना–2	ST	2004-05	बालक	राजकीय	50	50	0
13	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, पदरोड़ा	SC	2001-02	बालक	संस्था का	25	23	2
14	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास जैसलमेर	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	50	47	3
	14	TOTAL				790	732	58
	जालौर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बागरा	SC	1998	बालक	राजकीय	25	19	6
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांचोर	SC	1993-94	बालक	राजकीय	60	59	1
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सायला–1	SC	1989	बालक	राजकीय	50	36	14
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आहोर	SC	2002	बालक	राजकीय	50	48	2
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भद्रा जून ढाणी	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
6	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, जालौर	SC	1993	कन्या	राजकीय	50	50	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भीनमाल	ST	1966	बालक	राजकीय	45	45	0

8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जालौर–1	ST	1961	बालक	राजकीय	65	44	21
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रानीवाड़ा	ST	1992	बालक	राजकीय	55	55	0
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अरणाय	ST	2004-05	बालक	राजकीय	25	24	1
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सियाणा	ST	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, माण्डवला	ST	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जालौर–2	scavanger	1984	बालक	राजकीय	50	45	5
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सायला–2	scavanger	1986	बालक	राजकीय	50	46	4
15	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, सांचोर	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	46	4
16	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास, जालौर	SBC	2012-13	कन्या	राजकीय	50	40	10
17	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास जालौर	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	75	75	0
	17	TOTAL				775	707	68
	झालावाड							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीडावा	SC	1997	बालक	राजकीय	50	40	10
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तोपखाना, झालावाड़	SC	1960	बालक	राजकीय	50	40	10
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उन्हेल नागेश्वर	SC	1997	बालक	राजकीय	50	50	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भीलवाड़ी	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	21	4
5	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, डग	SC	1995	कन्या	राजकीय	25	25	0
6	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, झालावाड़	SC	1995	कन्या	राजकीय	50	17	33
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अकलेरा	ST	1992	बालक	राजकीय	50	50	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खानपुर	ST	1960	बालक	राजकीय	50	50	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मनोहर थाना	ST	1992	बालक	राजकीय	50	50	0
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मु. झालावाड़	ST	1993	बालक	राजकीय	50	45	5
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुनेल	ST	1994	बालक	राजकीय	25	25	0

12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सारोला कलां	ST	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कालूखेड़ी कलां	ST	2004-05	बालक	राजकीय	25	20	5
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चौमहला	OBC	1961	बालक	राजकीय	40	40	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झालरापाटन	OBC	1961	बालक	राजकीय	50	49	1
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भवानी मण्डी	scavanger	1990	बालक	राजकीय	75	75	0
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बकानी	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	35	35	0
18	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सरड़ा	scavanger	1981	कन्या	राजकीय	25	25	0
19	राजकीय देवनारायण छात्रावास, खानपुर	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	50	0
020	राजकीय देवनारायण छात्रावास, अकलेरा	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	48	2
21	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास झालावाड़	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	75	47	28
22	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, झालावाड	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	48	2
	22	TOTAL				975	875	100
	झुन्झुनू							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बगड़	SC	1990-91	बालक	किराये का	25	25	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चिड़ावा	SC	1999-2000	बालक	किराये का	35	35	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झुन्झुनू–1	SC	1970-71	बालक	राजकीय	60	60	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मुकुन्दगढ़	SC	1989-90	बालक	राजकीय	25	25	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पिलानी	SC	1994-95	बालक	राजकीय	35	35	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, महरमपुर	SC	2004-05	बालक	किराये का	25	23	2
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सूरजगढ़	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	50	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बुहान	SC	2013-14	बालक	राजकीय	60	60	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उदयपुरवाटी	OBC	1990-91	बालक	राजकीय	35	32	3
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झुन्झुनू–2	scavanger	1982-83	बालक	राजकीय	60	60	0

11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खेतड़ी	scavanger	1985-86	बालक	राजकीय	50	40	10
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मंडावा	scavanger	1985-86	बालक	राजकीय	50	48	2
13	अनुदानित इन्द्रागांधी बालिका छात्रावास, अरडावता	SC	1960-61	कन्या	संस्था का	25	18	7
14	अनुदानित नेहरू छात्रावास, अलसीसर	SC	1964-65	बालक	किराये का	50	50	0
15	अनुदानित गांधी छात्रावास, नवलगढ़	SC	1972-73	बालक	संस्था का	25	25	0
16	अनुदानित राजेन्द्र छात्रावास, बीसाऊ	SC	1982-83	बालक	किराये का	30	0	30
17	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास झुंझुनूं	SC	2013-14	`कन्या	राजकीय	75	65	10
	17	TOTAL				715	651	64
	जोधपुर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मल्लार	SC	2000-01	बालक	राजकीय	30	30	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बालेसर	SC	1967	बालक	राजकीय	75	74	1
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाप	SC	1987	बालक	राजकीय	85	85	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बेलवा	SC	1991	बालक	राजकीय	35	35	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भगत की कोठी	SC	1954	बालक	राजकीय	100	74	26
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भोपालगढ़	SC	1971	बालक	राजकीय	50	26	24
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बिलाड़ा	SC	1982	बालक	राजकीय	60	60	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बीसलपुर	SC	1989	बालक	राजकीय	35	35	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झंवर	SC	1999	बालक	राजकीय	35	24	11
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कैरू	SC	1990	बालक	राजकीय	35	35	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करवड़–1	SC	1992	बालक	राजकीय	35	33	2
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लूणी	SC	1986	बालक	राजकीय	60	60	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ओसियां	SC	1986	बालक	राजकीय	50	45	5
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फलौदी	SC	1974	बालक	राजकीय	130	124	6
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सालवां कलां	SC	1986	बालक	राजकीय	45	41	4
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सेतरावा	SC	1989	बालक	राजकीय	35	35	0
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चामू (शेरगढ़)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	40	40	0

18	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नागौरी गेट, जोधपुर	SC	1959	कन्या	राजकीय	60	60	0
19	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास,पीपाड़शहर	SC	1978	कन्या	राजकीय	40	38	2
20	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, फलोदी	SC	2004-05	कन्या	राजकीय	50	50	0
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मगरा पूंजला	OBC	1993	बालक	राजकीय	35	35	0
22	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपाड़शहर	OBC	1961	बालक	राजकीय	60	56	4
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भरवासीया	scavanger	1981	बालक	राजकीय	35	30	5
24	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नागौरी गेट 11 वीं पाल रोड सरदार पुरा	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	24	26
25	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भदवासिया	scavanger	1981	कन्या	राजकीय	50	45	5
26	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, जोधपुर	SC	2009-10	कन्या	राजकीय	75	69	6
27	अनुदानित अम्बेडकर अनु.जाति छात्रावास, लोहावट	SC	1969	बालक	संस्था का	30	26	4
28	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, केशवानगर, पालरोड़	ST	2004-05	बालक	संस्था का	25	25	0
29	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, पीपाड़ शहर, जोधपुर	ST	2004-05	बालक	राजकीय	25	0	25
30	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, जोधपुर	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	49	1
	30	TOTAL				1520	1363	157
	करौली							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हिण्डौन	SC	1970	बालक	राजकीय	55	55	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करौली	SC	1962	बालक	राजकीय	75	75	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करणपुर	SC	1997	बालक	राजकीय	50	49	1
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सपोटरा–2	SC	1999	बालक	राजकीय	40	40	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मण्डरायल	ST	1992	बालक	राजकीय	40	32	8
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नादौती	ST	1981	बालक	राजकीय	40	40	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सपोटरा–1	ST	1985	बालक	राजकीय	45	45	0

8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टोडा भीम	ST	1985	बालक	राजकीय	40	40	0
9	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, करौली	ST	1993	कन्या	राजकीय	45	38	7
10	राजकीय देवनारायण छात्रावास, सपोटरा	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	50	0
11	राजकीय देवनारायण छात्रावास, नादौती	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	50	0
12	राजकीय देवनारायण छात्रावास, हिण्डौन	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	40	10
13	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास, करौली	SBC	2012-13	कन्या	किराये का	50	40	10
14	राजकीय देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, महावीर जी	SBC	2012-13	कन्या	किराये का	75	45	30
15	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास करौली	ST	2013-14	कन्या	राजकीय	75	70	5
	15					780	709	71
	कोटा							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास,कमोलर	SC	1994	बालक	राजकीय	25	20	5
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावासा,कैथुन	SC	1996-97	बालक	किराये का	25	25	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खतौली (इटावा)	SC	1999	बालक	राजकीय	35	35	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मालारोड़, कोटा	SC	1952	बालक	राजकीय	100	92	8
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खैराबाद	SC	1969	बालक	राजकीय	50	50	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांगोद	SC	1978	बालक	राजकीय	75	61	14
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मण्डावरा	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	21	4
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, महावीर नगर, कोटा	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	33	17
9	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, छावनी कोटा	SC	1960	कन्या	राजकीय	75	74	1
10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पीपल्दा	SC		कन्या	राजकीय	50	49	1
11	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नान्ता, कोटा	SC	2004-05	कन्या	राजकीय	50	50	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बपावर	ST	1990	बालक	राजकीय	50	50	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छावनी, कोटा	ST	1960-61	बालक	राजकीय	75	60	15
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, इटावा	ST	1960	बालक	राजकीय	75	75	0

15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुल्तानपुर	ST	1991	बालक	राजकीय	75	74	1
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दीगोद	ST	2013-14	बालक	राजकीय	50	30	20
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कन्सुआ, कोटा	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	50	18	32
18	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, कोटा	ST	2009-10	कन्या	राजकीय	75	75	0
19	राजकीय देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, कोटा	SBC	2012-13	कन्या	राजकीय	75	75	0
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटा	OBC	2015	बालक	राजकीय	50	0	50
	19	TOTAL				1135	967	168
	नागौर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छोटी खाटू (डीडवाना)	SC	1999	बालक	राजकीय	35	35	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डेगाना	SC	1969	बालक	राजकीय	60	60	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खींवसर	SC	1969	बालक	राजकीय	25	25	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुचामन सिटी	SC	1999	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मकराना	SC	1991	बालक	राजकीय	40	39	1
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मोलासर	SC	1981	बालक	राजकीय	25	25	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नागौर–1	SC	1989	बालक	राजकीय	70	70	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रियांबाड़ी	SC	1964	बालक	राजकीय	35	33	2
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गच्छीपुरा (मकराना)	SC	1997	बालक	राजकीय	35	35	0
10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नागौर	SC	2004-05	कन्या	राजकीय	50	50	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जायल	SC	2013-14	बालक	राजकीय	50	48	2
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास ,लूणवा	ST		बालक	राजकीय	25	25	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बडू	OBC	1982	बालक	राजकीय	25	25	0
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लाडनूं	OBC	2001-02	बालक	राजकीय	60	58	2
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नागौर–2	scavanger	1986	बालक	राजकीय	50	50	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नावां	SC	1964	बालक	राजकीय	50	50	0
17	अनुदानित अम्बेडकर छात्रावास, डीडवाना	SC	1981	बालक	किराये का	50	47	3

18	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, मैडतासिटी	SC	2012-13	बालक	किराये का	50	50	0
19	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, नागौर	SC	1983	बालक	किराये का	45	44	1
20	अनुदानित अनु.जोति छात्रावास, परबतसर	SC	1970	बालक	किराये का	60	60	0
21	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, जायल	SC	1962	बालक	किराये का	50	50	0
22	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, मेडतासिटी	SBC	1970	बालक	राजकीय	50	45	5
23	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास नागौर	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	80	79	1
	23	TOTAL				1070	1053	17
	पाली							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आनन्दपुर कालू	SC	1991	बालक	राजकीय	35	35	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बगड़ी	SC	1997	बालक	राजकीय	35	35	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बूसी	SC	1994	बालक	राजकीय	25	25	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फालना	SC	1957	बालक	राजकीय	65	63	2
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैतारण	SC	1971	बालक	राजकीय	55	55	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खोड़	SC	1991	बालक	राजकीय	25	25	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रायपुर	SC	1992	बालक	राजकीय	35	35	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सादड़ी	SC	1989	बालक	राजकीय	40	40	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सोजत सिटी (बी)	SC	1971	बालक	राजकीय	50	42	8
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुमेरपुर	SC	1991	बालक	राजकीय	50	50	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रास	SC	2004	बालक	राजकीय	25	25	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कानूजा	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	23	2
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देवली कलां	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
14	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पाली	SC	1993	कन्या	राजकीय	50	44	6
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बेड़ा	ST	1992	बालक	राजकीय	25	23	2
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नाडोल	ST	1991	बालक	राजकीय	40	32	8
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रानी	ST	1962	बालक	राजकीय	60	60	0
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रोहट	ST	1997	बालक	राजकीय	50	50	0

19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सेवाड़ी	ST	1957	बालक	राजकीय	70	70	0
20	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सुमेरपुर	ST	2004-05	कन्या	किराये का	35	21	14
21	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, निमाज	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	50	50	0
22	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सादड़ी	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	23	2
23	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मुण्डारा	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	22	3
24	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाली	OBC	1964	बालक	राजकीय	60	60	0
25	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाली (बी)	OBC	1955	बालक	राजकीय	60	60	0
26	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सोजत सिटी (सी)	OBC	1973	बालक	राजकीय	50	35	15
27	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देसूरी	scavanger	1989	बालक	राजकीय	50	50	0
28	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मारवाड़ जंक्शन	scavanger	1982	बालक	राजकीय	25	25	0
29	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाली (सी)–2	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
30	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, नाना	ST	1959	बालक	संस्था का	35	33	2
31	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास जेतारण	SBC	2012-13	बालक	किराये का	50	40	10
32	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास सुमेरपुर	SBC	2012-13	बालक	किराये का	50	50	0
33	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास पाली	SBC	2012-13	कन्या	किराये का	50	0	50
	33	TOTAL				1400	1276	124
	प्रतापगढ़							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपलखूंट	SC	2004-05	बालक	राजकीय	50	49	1
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपलखूंट (टीएडी)	ST	1991	बालक	राजकीय	50	50	0
3	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पीपलखूट (टीएडी)	ST	1999	कन्या	राजकीय	50	49	1
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छोटी सादड़ी	ST	1992	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, प्रतापगढ. (टीएडी)	ST	1956	बालक	राजकीय	95	84	11
6	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, प्रतापगढ़ (टीएडी)	ST	1994	कन्या	राजकीय	80	75	5

7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, धरियावाद (टीएडी)	ST	1961	बालक	राजकीय	115	107	8
8	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अरनोद (टीएडी)	ST	1991	कन्या	राजकीय	25	25	0
9	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, धमोत्तर	ST	1993	कन्या	राजकीय	50	44	6
10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सालमगढ़	ST	1980-81	कन्या	राजकीय	35	35	0
11	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, देवगढ़	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	25	0
12	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, प्रतापगढ़(टीएडी)	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	85	85	0
13	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, अरनौद (टीएडी)	ST	1999-2000	बालक	संस्था का	50	39	11
	13	TOTAL				760	717	43
	राजसमन्द							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भीम	SC	1995	बालक	राजकीय	60	57	3
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आमेट	SC	1986-87	बालक	राजकीय	65	62	3
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गिलूण्ड	SC	1997-98	बालक	राजकीय	25	22	3
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुरज	SC	1995	बालक	राजकीय	35	24	11
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रेलमगरा	SC	1960-61	बालक	राजकीय	50	35	15
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपली आचार्यान	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	23	2
7	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, राजसमन्द, (कांकरोली)	SC	1993-94	कन्या	राजकीय	35	12	23
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजसमन्द (धोइन्दा)	ST	1989-90	बालक	राजकीय	35	30	5
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खमनोर	ST	1986-87	बालक	राजकीय	35	17	18
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नाथद्वारा	ST	1990-91	बालक	राजकीय	40	34	6
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुम्भलगढ़ (केलवाड़ा)	ST	2011-12	बालक	राजकीय	60	55	5
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देवगढ़	scavanger	1982-83	बालक	राजकीय	55	53	2
13	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, देवगढ़	scavanger	2004-05	कन्या	राजकीय	35	26	9
14	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, राजसमन्द	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	75	36	39

15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजसमन्द	OBC	2013-14	बालक	राजकीय	50	10	40
16	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, राजसमन्द	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	12	38
	16	TOTAL				730	518	212
	सवाईमाधोपुर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चौथ का बरवाड़ा	SC	1994	बालक	राजकीय	60	60	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फलौदी (क्वारी)	SC	1999	बालक	राजकीय	40	40	0
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गंगापुर सिटी	SC	1991	बालक	राजकीय	50	50	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खण्डार	SC	2004	बालक	किराये का	40	40	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बामनवास	ST	1985	बालक	किराये का	25	25	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ईसरदा	ST	1991	बालक	किराये का	25	25	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खण्डार–1	ST	1989	बालक	राजकीय	40	40	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सवाईमाधोपुर–1	ST	1960	बालक	राजकीय	80	80	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, शिवाड़	ST	1985	बालक	राजकीय	25	25	0
10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सवाईमाधोपुर	ST	1982	कन्या	राजकीय	55	55	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास,ॅ बौली	scavanger	1989	बालक	राजकीय	50	50	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सवाईमाधोपुर–2 (खेरदा)	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
13	राजकीय देवनारायण सावित्री बाई फूले छात्रावास, सवाईमाधोपुर	SBC	2008-09	कन्या	राजकीय	50	50	0
14	राजकीय देवनारायण छात्रावास, खण्डार	SBC	2008-09	बालक	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मल्लाना डूंगर	OBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0
16	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, गंगापुर सिटी	ST	1957	बालक	संस्था का	35	0	35
17	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, पिपलवाड़ी	ST	2004-05	बालक	किराये का	25	25	0
18	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, सवाईमाधोपुर	OBC	2007-08	बालक	किराये का	50	50	0
19	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास सवाईमाधौपुर	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0

20	राजकीय देवनारायण छात्रावास, बौंली	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	49	1
	20	TOTAL				900	864	36
	सीकर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थोई	SC	2000-01	बालक	राजकीय	50	43	7
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, धोंद	SC	1999	बालक	राजकीय	50	38	12
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गुहाला	SC	1983-84	बालक	राजकीय	35	35	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लक्ष्मणगढ़	SC	1992-93	बालक	राजकीय	50	50	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपराली	SC	1994-95	बालक	राजकीय	50	47	3
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, श्री माधोपुर	SC	2000-01	बालक	राजकीय	40	40	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फतेपुर	SC	1999	बालक	राजकीय	35	35	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाटन	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	17	8
9	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास नाम का थाना	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	50	43	7
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खन्डेला	ST	2000-01	बालक	किराये का	45	45	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीकर प्रथम	ST	1959	बालक	राजकीय	45	45	0
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अजीतगढ	scavanger	1991-92	बालक	राजकीय	35	34	1
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दातारामगढ	scavanger	1988-89	बालक	राजकीय	50	50	0
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीकर द्वितीय	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	35	28	7
15	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास सीकर	scavanger	1992	कन्या	किराये का	35	31	4
16	अनुदानित ग्रामोदय विद्यापीठ अनु. जाति छात्रावास, रींगस	SC	1977-78	बालक	संस्था का	40	40	0
17	अनुदानित श्री आत्माराम लक्ष्य अनु. जाति छात्रावास रीगस	SC	1986-87	बालक	संस्था का	40	39	1
18	अनुदानित श्री कृष्ण अनु.जाति छात्रावास, सीकर	SC	1950-51	बालक	संस्था का	45	41	4
19	अनुदानित अनु.जाति छात्रावास, रीगस (खाटूश्याम जी)	SC	2004-05	बालक	संस्था का	25	25	0
20	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, नीम का थाना	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0
21	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास सीकर	SC	2013-14	कन्या	राजकीय	75	61	14
	21	TOTAL				905	857	68

	सिरोही							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अनादरा	SC	1985-86	बालक	राजकीय	35	25	10
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कालेन्द्री	SC	1985-86	बालक	राजकीय	25	15	10
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रेवदर	SC	1979-80	बालक	राजकीय	25	23	2
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, शिवगंज	SC	1979-80	बालक	राजकीय	50	41	9
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सिरोही–2	SC	1966-67	बालक	राजकीय	60	60	0
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ढोढुआ	SC	1994	बालक	राजकीय	25	16	9
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, माउण्ट आबू द्वितीय	SC	2004-05	बालक	किराये का	35	34	1
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जावाल	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अचपुरा (पिण्डवाडा)	ST	1985	बालक	राजकीय	35	32	3
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कैलाश नगर	ST	1988-89	बालक	राजकीय	25	25	0
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मानपुरा, आबूरोड–1 (टीएडी)	ST	1963-64	बालक	राजकीय	35	21	14
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, निचलागढ (टीएडी)	ST	1956-57	बालक	राजकीय	50	36	14
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सिरोही–1	ST	1954-55	बालक	राजकीय	60	60	0
14	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, आबूपर्वत (टीएडी)	ST	1982-83	कन्या	किराये का	35	35	0
15	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, आबू रोड (टीएड)	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	35	35	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आबूरोड–2	scavanger	1991-92	बालक	राजकीय	25	12	13
17	अनुदानित आदिम जाति सेवक संघ, पिण्डवाडा	ST	1963-64	बालक	संस्था का	30	27	3
18	राजकीय देवनायारण बालक छात्रावास, सिरोही	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	46	4
19	राजकीय देवनायारण कन्या छात्रावास, आबूरोड	SBC	2012-13	कन्या	राजकीय	50	44	6
20	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास सिरोही	ST	2013-14	कन्या	राजकीय	75	37	38
	20	TOTAL				785	649	136

	टोंक							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दत्तवास	SC	1991-92	बालक	राजकीय	60	60	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास,दूणी, देवली	SC	2000-01	बालक	राजकीय	50	49	1
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मण्डवार	SC	2000-01	बालक	राजकीय	50	44	6
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नासीरदा देवलर	SC	2000-01	बालक	राजकीय	35	35	0
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, निवाई–2	SC	2000-01	बालक	राजकीय	50	45	5
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राहोली निवाई	SC	2000-01	बालक	राजकीय	35	28	7
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टोडारायसिंह	SC	1991-92	बालक	राजकीय	35	35	0
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जेलरोड टोंक	SC	1961-62	बालक	राजकीय	80	75	5
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उनीयारा	SC	1978-79	बालक	राजकीय	35	35	0
10	राजकीय सावीत्री बाई फूले छात्रावास, मालपुरा	SC	1991-92	कन्या	राजकीय	50	47	3
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मालपुरा	ST	1961-62	बालक	राजकीय	85	75	10
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, निवाई–1	ST	1975-76	बालक	राजकीय	60	56	4
13	राजकीय सावीत्री बाई फूले छात्रावास, अलीगढ	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	40	33	7
14	राजकीय सावीत्री बाई फूले छात्रावास, पीपलू	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	50	50	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देवली	OBC	1961-62	बालक	राजकीय	50	50	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टोक–2	scavanger	1981-82	बालक	राजकीय	35	35	0
17	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, टोंक	ST	2012-13	कन्या	राजकीय	75	75	0
18	अनुदानित शिवा प्रशिक्षण संस्थान अनु. जाति, छात्रावास, पीपलू	SC	2000-01	बालक	संस्था का	25	25	0
19	अनुदानित अनु. जाति, छात्रावास, हमीरपुर (टोडारायसिंह)	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
20	अनुदानित अनु. जाति, छात्रावास, धुआकला	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	14	11

21	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, निवाई	SBC	2012-13	बालक	किराये का	50	50	0
22	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, उनियारा	SBC	2012-13	बालक	किराये का	50	50	0
	22	TOTAL				1050	991	59
	उदयपुर							
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गेगला	SC	1999	बालक	राजकीय	35	35	0
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बल्लभनगर	SC	1989	बालक	राजकीय	25	19	6
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फतेहपरिसर(उदयपुर)	SC	1961	बालक	राजकीय	50	50	0
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सेमारी	SC	2004-05	बालक	किराये का	25	16	9
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चीरवा	SC	2004-05	बालक	राजकीय	25	25	0
6	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मधुबन, उदयपुर	SC	1986	कन्या	राजकीय	50	50	0
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास,वड़गांव (मदार)	ST	1991	बालक	राजकीय	35	35	0
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भवराना	ST	1961	बालक	किराये का	70	58	12
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भिण्डर	ST	1985	बालक	राजकीय	60	51	9
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छाणी (टीएडी)	ST	1961	बालक	राजकीय	50	21	29
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, प्रतापनगर–1,उदयपुर (टीएडी)	ST	1981	बालक	राजकीय	50	47	3
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गोगुन्दा	ST	1986	बालक	राजकीय	35	35	0
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जवास	ST	1989	बालक	राजकीय	35	22	13
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झाडोल	ST	1961	बालक	राजकीय	80	80	0
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झल्लारा	ST	1989	बालक	राजकीय	35	35	0
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खैरवाड़ा	ST	1994	बालक	राजकीय	35	25	10
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटड़ा	ST	1961	बालक	राजकीय	90	90	0
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुरावड़ (टीएडी)	ST	1982	बालक	राजकीय	35	35	0
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मावली (टीएडी)	ST	1982	बालक	राजकीय	50	25	25
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ओगना	ST	1985	बालक	राजकीय	35	35	0

21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फलसिया	ST	1961	बालक	राजकीय	80	78	2
22	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सलूम्बर (टीएडी)	ST	1982	बालक	राजकीय	50	50	0
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सनवाड़	ST	1991	बालक	राजकीय	25	25	0
24	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सायरा	ST	1994	बालक	राजकीय	50	50	0
25	राजकीय सावित्री बाई फूले, छात्रावास, झाड़ोल	ST	1990	कन्या	राजकीय	50	45	5
26	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, खैरवाडा	ST	1961	कन्या	राजकीय	80	80	0
27	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, कोटड़ा (टीएडी)	ST	1982	कन्या	राजकीय	35	35	0
28	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नाई	ST	1990	कन्या	राजकीय	25	25	0
29	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सलूम्बर (टीएडी)	ST	1994	कन्या	राजकीय	50	34	16
30	राजकीय सावित्री बाई फूलें छात्रावास, गोगून्दा (टीएडी)	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	25	0
31	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भुवाण बाई पास उदयपुर (टीएडी)	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	45	45	0
32	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, डबोक (टीएडी)	ST	2004-05	कन्या	राजकीय	25	25	0
33	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, प्रतापनगर–2, उदयपुर	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
34	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बी.के. एम. अम्बामाता (चित्रकूट नगर)	scavanger	1981	बालक	राजकीय	50	50	0
35	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, उदयपुर(टीएडी)	ST	2008-09	कन्या	राजकीय	100	100	0
36	अनुदानित अनु. जाति कन्या छात्रावास, महिला परिषद उदयपुर	SC	1965	कन्या	संस्था का	160	143	17
37	अनुदानित आदिवासी छात्रावास,सुखेर (टीएडी)	ST	2001-02	बालक	संस्था का	25	25	0
38	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, चावण्ड (टीएडी)	ST	1959	बालक	संस्था का	30	30	0
39	अनुदानित अनु. जाति कन्या छात्रावास, झाड़ोल फलासिया (टीएडी)	ST	2004-05	कन्या	संस्था का	30	30	0
40	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, कानौड़	ST	1958	बालक	संस्था का	35	35	0
41	अनुदानित अनु.जनजाति छात्रावास, खैरावाड़ा (टीएडी)	ST	1994	बालक	संस्था का	25	24	1

42	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, कौटड़ा(टीएडी)	ST	1981	बालक	संस्था का	25	25	0
43	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, ऋषभदेवा (टीएडी)	ST	1996	बालक	संस्था का	25	25	0
44	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, सलुम्बर	ST	1958	बालक	संस्था का	35	35	0
45	अनुदानित अनु. जाति कन्या छात्रावास, महिला मण्डल उदयपुर	ST	1957	कन्या	संस्था का	95	94	1
46	अनुदानित अनु. जाति कन्या छात्रावास, झाड़ोल फलासिया (टीएडी)	ST	1986	कन्या	संस्था का	85	83	2
47	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, उदयपुर	SBC	2012-13	बालक	राजकीय	50	50	0
48	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उदयपुर	OBC	2014-15	बालक	राजकीय	50	26	24
49	पूजा संस्थान, अनुदानित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, गौराना	SC	2014-15	कन्या	संस्था का	50	46	4
	49	TOTAL				2365	2177	188

परिशिष्ट – 5

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 (1) (7)/राछा/सान्याअवि/14/29426 जयपुर, दिनांक : 7.5.2015

आदेश

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 5 एवं 6 के अन्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं छात्रावास में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया एवं पात्रता में संशोधन/परिवर्तन करते हुए दिनांक 5.5.2015 से ऑनलाईन आवेदन किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

नियम (5) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान

2. छात्रावास में आरक्षण की स्थिति

क्र.सं.	छात्रावास का वर्गीकरण	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जनजाति • 10% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
3	अन्य पिछडा वर्ग	• 60% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
4	स्वच्छकार वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
5	देवनारायण छात्रावास	• 60% विशेष पिछडा वर्ग • 15% अन्य पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 5% अनुसूचित जनजाति • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग

नियम (6) छात्रावासों में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया एवं निर्धारित समयावधि

क्र.सं.	निर्धारित समयावधि	प्रवेश हेतु वरीयता अनुक्रम	पात्रता / वि.विवरण
1	प्रतिवर्ष 25 जून तक	1. पूर्व से आवासरत बालक–बालिका 2. अनाथ बालक / बालिका 3. विधवा / परित्यक्ता स्वयं 4. विशेष योग्यजन स्वयं 5. विधवा / परित्यक्ता के बालक–बालिका 6. विशेष योग्यजन परिवार के बालक–बालिका 7. बी.पी.एल. परिवार के बालक–बालिका 8. 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक–बालिका	50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक–बालिका गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही (Descending) वरीयतानुसार
2	प्रतिवर्ष 5 जुलाई तक	9. पूर्व से आवासरत बालक–बालिका 10. 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक–बालिका	50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक, गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही (Descending) वरीयतानुसार
3	प्रतिवर्ष 15 जुलाई तक	11. किसी भी श्रेणी के 2.50 लाख वार्षिक आयसीमा वाले परिवार के बालक–बालिका	गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही (Descending) वरीयतानुसार
4	प्रतिवर्ष 15 जुलाई के उपरान्त	12. आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रमानुसार	रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर बालक– बालिका के आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रमानुसार

- शैक्षणिक सत्र 2015–16 से छात्रावासों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष 10 मई से ऑन लाईन आवेदन पत्र *sjms.rajasthan.gov.in* पोर्टल पर आमंत्रित किए जावेंगे।
- छात्रावासों में आवासित विद्यार्थियों को भी प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ई–मित्र, कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट आदि के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- ऑन लाईन आवेदन पत्र पेपरलेस होंगे।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित स्वप्रमाणित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किए जावेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

SD
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक : एफ 7 (1) (7)/राछा/सान्याअवि/14/29427–540 जयपुर, दिनांक : 7.5.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, (अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल करने हेतु।
8. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
10. संबंधित जिला कलेक्टर ....
11. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
12. उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक (समस्त)
13. संबंधित उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग........................
14. आदेश पत्रावली।

SD

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति एवं जन. जाति कल्याण)

परिशिष्ट – 6

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ7(2)( )रा.छा./सान्याअवि/15/60278 जयपुर,,दिनांकः 07.10.2015

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 19879 दिनांक 30.03.2015 द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास मैस भत्ते की राशि को मदवार निर्धारित किया गया है।

उक्त वर्णित आदेश में अंकित मदवार नियत राशि दिनांक 01.10.2015 से पुनः निर्धारित किया जाता है

क्र. स.	नाम मद	संशोधित देय राशि प्रतिमाह (प्रति आवासी)	प्रति छात्र सत्र 9.5 माह हेतु नियत राशि	आपूर्ति हेतु अधिकृत ऐजन्सी
1.	निर्धारित खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुऐं	1040.0	9880.00	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ
2.	ईधन (कुकिंग गैस) आदि	100.00	950.00	मैस समिति के माध्यम से
3.	मौसमी सब्जियां व फल	140.00	1330.00	
4.	दूध	120.00	1140.00	
5.	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, (दो ड्रैसेज)जूते–मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी	200.00	1900.00	
6.	बाल कटाई	25.00	237.50	
7.	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि का धुलाई	35.00	332.50	
8.	बिजली–पानी	150.00	1425.00	
9.	समाचार पत्र, पत्रिकायें आदि	10.00	95.00	
10.	छात्रावास की साफ सफाई	30.00	285.00	
11.	सामान्य मरम्मत–बिजली, वाईरिंग व फिटिंग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेट्री मरम्मत,पंलग मरम्मत आदि	50.00	475.00	
		1900.00	18050	

उक्त वर्णित संशोधित आदेश विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों पर लागू होगें। अनुदानित छात्रावासों में विभागीय आदेश क्रमांक 19879 दिनांक 31.03.2015 द्वारा नियत व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

SD
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7 (1)( ) अनुछा./सान्याअवि/15/ 60279–360 जयपुर,,दिनांकः 07.10.2015

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, लेखा हक/लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड़, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान,जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन),मुख्यावास।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.टी),मुख्यावास।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. जिला कलक्टर.......................................।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........................।
13. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
14. संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यावास।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...।
16. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..........................।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभाग के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला कलक्टरों को ई.मेल करावे तथा उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर भी अपडेट करावें।
18. आदेश पत्रावली।

SD
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति, जनजाति कल्याण)

परिशिष्ट – 7

सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिलेवार स्वीकृत भवनों के निर्माण की स्थिति

जिला	क्र. सं.	छात्रावास का स्थान	योजना	छात्र / छात्रा	निर्माण स्वीकृत वर्ष	निर्माण स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत छात्र संख्या	स्वीकृत तकमीना राशि
अलवर	1	थानागाजी (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2009-10	10/14/2009	50	96.00
	2	मुण्डावर (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2009-10	10/14/2009	25	60.00
	3	नारायणपुर (नाबार्ड योजना)	अनु. जनजाति	बालक	2009-10	10/14/2009	25	60.00
	4	कोटकासिम (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	कन्या	2012-13	4/18/2012	50	96.00
	5	कन्या महाविद्यालय, अलवर (राज्य सरकार की योजना)	अनु.जाति	कन्या	2012-13	3/4/2013	50	225.00
	6	अलवर तृतीय (भारत सरकार योजना)	अनु.जाति	बालक	2012-13	3/29/2013	25	60.00
							225	**597**
बांसवाडा	7	कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा (भारत सरकार की योजना)	अनु. जनजाति	कन्या	2010-11	5/3/2010	75	134.42
							75	**134.42**
चूरू	8	साण्डवा (भारत सरकार योजना)	अनु.जाति	बालक	2011-12	12/7/2012	50	96.00
							50	**96**
धौलपुर	9	कन्या महाविद्यालय,धौलपुर (भारत सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2010-11	18-12011	75	131.00
							75	**131**
जयपुर	10	मेढ़ (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2009-10	10/14/2009	50	96.00
	11	गोनेर (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2009-10	10/14/2009	25	60.00
	12	राड़ावास (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2009-10	10/14/2009	50	96.00
	13	उदयपुरियां (नाबार्ड योजना)	अनु. जनजाति	बालक	2009-10	10/14/2009	25	60.00
	14	आमेर (नाबार्ड योजना)	अनु. जनजाति	कन्या	2010-11	7/1/2010	50	96.00
	15	सांगानेर (नाबार्ड योजना)	अपिजा	कन्या	2012-13	4/18/2012	50	96.00
							250	**504**

झालावाड	16	गंगधार (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2012-13	4/18/2012	50	96.00
							50	**96**
झुन्झुनु	17	महरमपुर (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2009-10	10/14/2009	25	60.00
	18	नवलगढ (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2012-13		50	96.00
							75	**156**
जोधपुर	19	कन्या महाविद्यालय, जोधपुर (राज्य सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2012-13	3/4/2013	50	225.00
							50	**225.00**
कोटा	20	कन्या महाविद्यालय कोटा (राज्य सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2012-13	3/4/2013	50	225.00
							50	**225**
पाली	21	सुमेरपुर (भारत सरकार योजना)	अनु. जनजाति	कन्या	2009-10	5/15/2009	25	67.00
	22	कन्या महाविद्यालय पाली (भारत सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2010-11	1/18/2011	75	131.00
							100	**198**
स. माधोपुर	23	कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर (भारत सरकार की योजना)	अनु. जनजाति	कन्या	2010-11	8/6/2010	75	134.42
							75	**134.42**
सिरोही	24	आबू पर्वत (भारत सरकार योजना)	अनु. जनजाति	कन्या	2009-10	5/25/2009	25	67.00
	25	आबू पर्वत II (भारत सरकार योजना)	अनु. जाति	बालक	2014-15	20.3.2015	50	225.00
							75	**292**
उदयपुर	26	कन्या महाविद्यालय उदयपुर (राज्य सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2012-13	3/4/2013	50	225.00
	27	अम्बा माता, उदयपुर(भारत सरकार योजना)	अनु. जाति	बालक	2014-15	20.3.2015	50	225.00
							50	**225.00**
भरतपुर	28	सावौरा (भारत सरकार योजना)	अनु. जनजाति	कन्या	2009-10	5/25/2009	25	67.00
	29	कन्या महाविद्यालय, भरतपुर (राज्य सरकार योजना	अनु.जाति	कन्या	2012-13	3/4/2013	50	225.00
							75	**292.00**

नागौर	30	मेड़ता (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2012-13	4/18/2012	50	96.00
							50	**96.00**
भीलवाडा	31	सहाड़ा (नाबार्ड योजना)	अनु.जाति	बालक	2012-13	4/18/2012	50	96.00
	32	कन्या महाविद्यालय, भीलवाडा (राज्य सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2012-13	3/4/2013	50	225.00
							100	**321.00**
हनुमानगढ	33	रावतसर (भारत सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2011-12	7/20/2011	50	96.00
							50	**96.00**
सीकर	34	सीकर (भारत सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2011-12	7/20/2011	50	96.00
							50	**96.00**
चित्तौडगढ	35	कपासन (नाबार्ड योजना)	अनु. जनजाति	बालक	2012-13	9/18/2012	50	96.00
							50	**96**
बाडमेर	36	कन्या महाविद्यालय बाड़मेर (भारत सरकार की योजना)	अनु.जाति	कन्या	2010-11	8/6/2010	75	131.00
	37	चौहटन (भारत सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2011-12	7/20/2011	50	96.00
							125	**227.00**
अजमेर	38	कन्या महाविद्यालय अजमेर (राज्य सरकार योजना)	अनु.जाति	कन्या	2012-13	3/4/2013	**50**	**225.00**
							50	**225.00**
							3550.00	**9150.68**

परिशिष्ट – 8

पेपरलेस (**Paperless**) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश–2015

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं, जैसे : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष पिछडा वर्ग (SBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), आर्थिक पिछडा वर्ग (**EBC- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students - Centrally Sponsored Scheme**), विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु जाति (**DNTs- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the students for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes - Centrally Sponsored Scheme**), मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (**Mukhyamantri Sarvjan Uchcha Shikha Chhatravriti Yojna for students of IITs, IIMs and Other National Level Institutions- Budget annoucement 2014-15 no. 160**) में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए योग्यता/पात्रता एवं अधिकतम वार्षिक आय सीमा विवरण एवं देय लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

क. सं.	योजना का नाम	योग्यता/पात्रता	वार्षिक आय सीमा	देय राशि/लाभ
1	**अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** (Scheme of Post Matric Scholarship for the Scheduled Caste)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
2	**अनुसूचित जनजाति उत्तर** मैट्रिक छात्रवृति योजना (Sheme of Post Matric Scholarship for the Scheduled Tribes)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अनुसूचित जन जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
3	**विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** (Scheme of Post Matric Scholarship to the Special Backward Class)	1. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 2. छात्र–छात्रा विशेष पिछडा वर्ग में सम्मिलित जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता

4	**अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** (Scheme of Post Matric Scholarship to the Other Backward Class)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अन्य पिछडा वर्ग की जातियों के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
5	**डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** (EBC- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students - Centrally Sponsored Scheme)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों। 2. छात्र–छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र–छात्रा आरक्षित वर्ग की जातियों (अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग एवं **DNTs)** के अतिरिक्त सामान्य जातियों का हो। 4. छात्र–छात्रा राजकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
6	**डॉ. अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** (DNTs- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the students for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा **DNTs** (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) के अतिरिक्त जातियों का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।	पाठ्यक्रम के अनुसार देय केवल अनुरक्षण भत्ता (Maintenance allowance)
7	**मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (Mukhya Mantri sarvjan Uchha Shiksha Chhatravriti Yojana)**	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो। 3. छात्र–छात्रा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 4. राष्ट्रीय स्तर की परिशिष्ठ–अ पर सूचीबद्व शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृति देय होगी।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख रूपये से कम हो।	केवल अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्कों (Non-Refundable Fees) का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत

iii. <u>अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) के लिए प्राथमिकताऐं</u> :

अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग में सीमित वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने एवं निस्तारित करने हेतु निम्नानुसार 1 से 17 प्राथमिकताऐं होगी :–

1. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री	2. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्र
3. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री	4. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्र
5. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री	6. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र
7. अनाथ बालिका	8. अनाथ बालक
9. विधवा स्वयं	
10. विधवा की पुत्री	11. विधवा का पुत्र
12. तलाकशुदा महिला स्वयं	
13. तलाकशुदा महिला की पुत्री	14. तलाकशुदा महिला की पुत्र
15. विशेष योग्यजन स्वयं	
16. विशेष योग्यजन की पुत्री	17. विशेष योग्यजन का पुत्र

A. सीमित वित्तीय प्रावधान के कारण वर्ष 2015–16 से अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग में 1 से 17 प्राथमिकताओं के ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाऐंगे। अतः उत्तर मैट्रिक छात्रवृति पॉर्टल rajpms.nic.in पर केवल 01 से 17 प्राथमिकताओं के ही आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किए जावें।

B. वर्ष 2015–16 से अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में नवीन निर्धारित प्राथमिकता क्रम **1 से 17 तक में प्रथम प्राथमिकता के पात्र समस्त आवेदन पत्रों के निस्तारण उपरान्त बजट उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय प्राथमिकता के आवेदकों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। अर्थात बजट की उपलब्धता के आधार पर क्रमशः एक प्राथमिकता के आवेदकों के आवेदन पत्रों का निस्तारण होने के उपरान्त दूसरी प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता के निस्तारण के उपरान्त तीसरी प्राथमिकता। क्रमशः इसी प्रकार 01 से 17 तक की प्राथमिकताओं के आवेदन पत्रों का बजट की उपलब्धता के आधार पर निस्तारण संबंधी कार्यवाही की जाएगी।**

परिशिष्ठ–9

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

(राशि लाखों में)

क्र.स.	मद	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16
		संशोधित प्रावधान	व्यय	संशोधित प्रावधान	व्यय	संशोधित प्रावधान	व्यय	संशोधित प्रावधान	व्यय	संशोधित प्रावधान	व्यय	संशोधित प्रावधान	व्यय	संशोधित प्रावधान
1	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	98765.97	10774.91	181204.87	26100.03	15493.23	14598.49	30631.71	32091.57	45488.85	36791.38	68687.11	50359.21	66884.92
2	ग्रामीण विकास	176126.28	39081.49	162271.14	22277.55	57531.11	50375.25	73197.07	61767.43	75528.91	68806.32	195986.03	174078.53	195263.33
3	क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम	9563.23	1740.28	9923.50	1571.65	2392.35	5259.12	2703.00	3227.70	4797.40	3395.88	4409.00	4430.79	4984.00
4	सिचाई एवं बाढ नियन्त्रण	81240.55	15726.19	72144.09	12213.94	14782.24	12501.78	20373.37	20151.60	19025.21	16350.92	22035.42	17879.20	26558.36
5	विद्युत	765397.14	126686.80	905606.00	170558.39	136132.70	136922.53	231579.00	162661.91	234678.80	158379.96	272200.40	211486.20	356136.00
6	उद्योग एवं खनिज	15957.31	206.10	22781.01	1387.31	650.31	815.04	663.45	482.04	2038.95	675.47	6600.26	2327.51	3500.05
7	परिवहन	82266.06	12157.87	129203.99	16084.54	39650.47	33295.84	41514.60	30114.71	55731.78	41610.58	108512.21	48235.57	80185.50
8	वैज्ञानिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.97	45.50	319.98	14.81	1287.10
9	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	606753.91	75785.25	635385.92	86241.26	148465.97	132508.93	221839.15	178578.33	266335.30	252342.48	409430.81	309044.55	512468.77
10	आर्थिक सेवाएं	8271.24	0.00	16560.63	0.00	2269.84	1877.30	5747.00	4084.66	15758.54	12055.17	36044.15	22133.67	28677.43
11	सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	19938.17	0.00	753.40	0.00	415.51	389.53	862.40	166.32	184.69	0.00	2573.86
	योग	1844341.69	282158.89	2155019.32	336434.67	418121.62	388154.28	628663.86	493549.48	720336.11	590619.98	1124410.06	839990.04	1278519.32

परिशिष्ट – 10

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सम्बल ग्रामों की संख्या

क्र.	जिला	कुल सम्बल ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	28
2.	अलवर	154
3.	बांसवाडा	8
4.	बाड़मेर	156
5.	बून्दी	55
6.	भरतपुर	174
7.	भीलवाड़ा	74
8.	बीकानेर	125
9.	चित्तौड़गढ़	92
10.	चूरू	119
11.	दौसा	140
12.	डूँगरपुर	04
13.	धौलपुर	103
14.	श्री गंगानगर	1269
15.	जयपुर	161
16.	जैसलमेर	46
17.	जालौर	35
18.	झालावाड़	102
19.	झुन्झुनूं	38
20.	जोधपुर	49
21.	कोटा	74
22.	बारां	79
23.	नागौर	99
24.	पाली	42
25.	राजसमन्द	24
26.	सवाईमाधोपुर	96
27.	सीकर	20
28.	सिरोही	55
29.	टोंक	95
30.	उदयपुर	7
31.	हनुमानगढ़	472
32.	करौली	103
33.	प्रतापगढ़	12
	योग :	**4110**

परिशिष्ट – 11

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांक :– एफ:2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.लाईन/सान्याअवि/2014–15/8876 जयपुर, दिनांकः 23.02.2015

सम्बल ग्राम विकास योजना के दिशा–निर्देश

सम्बल ग्राम विकास योजना की क्रियान्विति हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश पूर्व में जारी किये गये है। विगत समय में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागो द्वारा कराये गये विकास कार्यो एवं आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में योजना की समीक्षा करने के उपरान्त वर्तमान परिस्थितियो, आवश्यकता एवं मांग के अनुसार सम्बल ग्राम विकास योजना हेतु पूर्व में जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों को प्रत्याहरित (Withdraw) करते हुए निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **योजना का नामः**– सम्बल ग्राम विकास योजना
2. **योजना का उदेश्यः**–चयनित सम्बल ग्रामो में विभिन्न विभागो द्वारा किये गये/ किये जा रहे आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त आवश्यक Critical Gaps Filling इत्यादि से सम्बन्धित कार्यो एवं व्यक्तिगत लाभ की सुविधाएं प्रदान कर सम्बल ग्रामो का समग्र विकास करना।
3. **लाभान्ति समूहः**–आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु सम्पूर्ण सम्बल ग्राम तथा व्यक्तिगत लाभ हेतु अनुसूचित जाति के समस्त बी.पी.एल परिवार एवं ऐसे ए.पीए.ल परिवार जो आयकर दाता नही है।
4. **सम्बल ग्रामः**– सम्बल ग्राम से तात्पर्य उस ग्राम से है जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या उस ग्राम की कुल जनसंख्या के अनुपात में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है।
5. **स्वीकृत राशि सीमाः– (i)** आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु Critical Gaps Filling इत्यादि कार्यो हेतु प्रति सम्बल ग्राम राशि रूपये 10.00 लाख अधिकतम प्रतिवर्ष।

(ii) व्यक्तिगत लाभ की सुविधाओ हेतु राशि की अधिकतम सीमा बजट उपलब्धता अनुरूप होगी एवं उक्त सीमा आधारभूत संरचना हेतु नियत सीमा 10.00 लाख रूपये के अतिरिक्त होगी।

6. **योजनान्तर्गत स्वीकृति योग्य कार्यः**–

(1) आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु–

(i) सीमेन्ट कंक्रीट सड़क
(ii) इन्टर लॉकिंग सड़क
(iii) नाली निर्माण
(iv) खरंजा एवं कलवर्ट/रपट/पुलिया निर्माण
(v) हैण्डपम्प स्थापना
(vi) सामुदायिक ट्यूबवैल (समुदाय द्वारा संचालित किये जाने की स्थिति में)
(vii) विद्यालयों/महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष/ लैब इत्यादि का निर्माण

(viii) बस्ती विद्युतिकरण के कार्य

(ix) डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण

(x) चिकित्सा भवनो हेतु अतिरिक्त कक्ष/ लैब इत्यादि का निर्माण

(xi) अन्य कार्य निदेशालय की पूर्व अनुमति से

(2) **व्यक्तिगत लाभ/ सामुदायिक लाभ की सुविधाएंः**

(i) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

(ii) सामुदायिक शौचालय निर्माण

(iii) स्ट्रीट सौलर लाईट

(iv) जल संरक्षण हेतु टांका निर्माण

(v) नवाचार के अन्य प्रस्ताव

(vi) अन्य कार्य निदेशालय की पूर्व अनुमति से

7. **तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिः–**

(i) आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु स्वीकृति योग्य कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यकारी संस्था का निर्धारण जिला कलक्टर की सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र) द्वारा किया जावेगा।

(ii) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी की जावेगी।

(iii) आधारभूत संरचना के कार्यो का क्रियान्वयन (कार्यकारी एजेन्सी) प्राथमिकता के तौर पर राजकीय विभागों/ पंचायती राज संस्थाओं से कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किये जाने से पूर्व, निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iv) कार्यो की क्रियान्विति तकनीकी/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही की जा सकेगी।

(v) वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में Critical Gaps Filling हेतु कार्यो का चिन्हिकरण एवं आवश्यकता अनुरूप प्राथमिकता का निर्धारण जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

8. व्यक्तिगत लाभ/ सामुदायिक लाभ की सुविधाओं के प्रस्ताव सम्बल ग्रामवार तैयार कर जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित किये जायेंगे। उक्त प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण एवं प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्विति के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा जारी की जावेंगी।

9. आधारभूत संरचना के कार्यो एवं व्यक्तिगत लाभ/सामुदायिक लाभ की सुविधाओं की क्रियान्विति के दौरान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

10. सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रावधित/आवंटित राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार के कार्यो हेतु अन्य योजनाओं की सम–प्रयोजन हेतु प्रावधित राशि के साथ Dovetail कर

किया जा सकेगा एवं इसी प्रकार व्यक्तिगत लाभ व सामुदायिक लाभ की सुविधाओं की क्रियान्विति हेतु भी राशि का उपयोग अन्य योजनाओं के तहत सम–प्रयोजन हेतु प्रावधित राशि से Dovetail कर किया जा सकेगा।

11. डॉ0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ऐसे सम्बल ग्राम जहॅा अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, स्थानीय आवश्यकताओं में इसकी प्राथमिकता हो तथा जहॅा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उक्त केन्द्र नही बनाया गया हो, वहां बनाया जा सकेगा।
12. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु सम्बल ग्रामों की प्राथमिकता, सम्बल ग्रामों में निवासरत कुल अनुसूचित परिवारों की संख्या के अनुपात में ऐसे अनुसूचित परिवार जिनके द्वारा व्यक्तिगत शौचालय पूर्व में (मय सेफिटक टैंक) निर्माण नही करा रखा है, के आधार पर, अधिकतम प्रतिशत से न्यूनतम प्रतिशत के अवरोही क्रम में तय की जावेगी एवं उपलब्ध बजट के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत लाभ के तहत कार्य कराया जावेगा, ताकि ऐसे ग्राम को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free) कराया जाना सम्भव हो सकेगा।
13. ऐसे सम्बल ग्राम जहॅा जगह की कमी या अन्य कारण से सामुदायिक शौचालय की मांग की जाती है, मे सामुदायिक शौचालयो के निर्माण की स्वीकृति, उक्त निर्मित होने वाले शौचालय के रख रखाव व संचालन, ग्राम समिति द्वारा किये जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में ही प्रदान की जा सकेगी।
14. प्रत्येक वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यो का चिन्हिकरण कर प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु समिति निम्नानुसार होगीः–

अ. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
ब. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र)	सदस्य
स. परियोजना प्रबन्धक,रा.अनु.ज.जाति वि.एवं विकास सहकारी निगम लि.	सदस्य
द. उपनिदेशक / सहा.निदेशक / जि.प.एवं सकअ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

15. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवंटित राशि सम्बन्धित जिला परिषद के निजी निक्षेप खाते में उस जिले के कोषालय द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी। उक्त प्राप्त आवंटित राशि के अनुरूप स्वीकृतियां जारी की जाकर राशि का उपयोग अधिकतम एक वर्ष की अवधि में करना होगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। आवंटित / हस्तान्तरित राशि के समयबद्ध एवं पूर्ण उपयोग हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उत्तरदायी होंगे। कार्यकारी संस्था को राशि का भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।

16. जिले को आवंटित तथा हस्तान्तरित राशि से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किये जावे। आवंटित तथा हस्तान्तरित राशि से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत करने एवं देयता (Liability) उत्पन्न होने की स्थिति में राशि का भुगतान इस विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा तथा देयता राशि का वहन स्वंय जिला परिषद को करना होगा।
17. योजनान्तर्गत कार्यो के प्रस्ताव/रूपरेखा तैयार कर पत्रावलियां जिलाधिकारी, सान्याअवि द्वारा जिला परिषद को निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रेषित की जावेगी।
18. कार्यो की स्वीकृतियां जारी होने, क्रियान्वयन एजेन्सी/संस्था निर्धारित होने के उपरान्त कार्यो की प्रगति एवं प्रभावी मोनिटरिंग हेतु जिलाधिकारी,सान्याअवि उत्तरदायी होंगे। कार्यो के प्रभावी प्रगति की मोनिटरिंग हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्तर पर कार्यकारी संस्थाओं की मासिक बैठक एवं प्रत्येक तीन माह में जिला कलक्टर स्तर पर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक की तिथी, संचालन, आयोजन एवं कार्यवाही विवरण जारी करने का उत्तरदायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की स्वीकृतिनुसार जिलाधिकारी, सान्याअवि का होगा।
19. मासिक,भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी, सान्याअवि द्वारा निदेशालय को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
20. योजान्तर्गत आवंटित राशि से कार्यकारी संस्था/जिला परिषद/ सान्याअवि या अन्य किसी भी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की चल/अचल सम्पत्ति स्वंय के उपयोग हेतु निष्पादित नही की जावेगी एवं न ही उक्त राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ/अस्थायी अग्रिम/ अन्य योजना हेतु किया जा सकेगा।
21. योजनान्तर्गत आवंटित राशि के आय–व्ययक लेखे राज्य सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि की जांच/आडिट हेतु सदैव खुले रहेंगे।
22. निर्माण कार्यो हेतु तकमीना नवीनतम प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका अथवा सम्बन्धित विभाग की नवीनतम प्रचलित बी.एस.आर. के अनुरूप ही होंगे।
23. निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि का नियमानुसार निःशुल्क हस्तान्तरण विभाग के हक में होने के उपरान्त ही निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी की जावे। भूमि अवाप्ति हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क/राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
24. योजनान्तर्गत नवीन कार्य ही स्वीकृत किये जायेगें।
25. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के संचालन, संधारण, मरम्मत,अनुरक्षण एवं रखरखाव इत्यादि हेतु भविष्य में कोई भी राशि देय नही होगी।
26. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के एक माह की समयावधि में कार्य प्रारम्भ कराया जाना आवश्यक होगा।
27. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा की योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत नही हुए एवं भुगतान का दोहरान नहीं हो, ऐसा सुनिश्चित किया जावे।

28. उक्त योजनान्तर्गत किसी भी कार्य को स्वीकृत करने, निरस्त करने या संशोधन करने तथा योजना की क्रियान्विति हेतु कार्यकारी संस्था का निर्धारण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु अन्तिम निर्णय जिला कलक्टर का होगा।

उक्त दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2015—16 से प्रभावी होंगे।

SD
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक :— एफ:2 (95) एससीएसपी / सम्बल / गा.लाईन / सान्याअवि / 2014—15 / 8877—9048 जयपुर, दिनांकः 23.02.2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति / जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नि. लि. राज. जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त राजस्थान।
9. परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति / जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नि. लि., समस्त राजस्थान।
10. उप / सहायक निदेशक / जि.प.एवं स.क.अ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

SD
अति. निदेशक (एससीएसपी)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांक :– एफ:2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.लाईन/सान्याअवि/2014–15/10119 जयपुर, दिनांकः 29.4.2015

संशोधन–आदेश

सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश समसंख्यक क्रमांक 8876 दिनांक 23.2.2015 के बिन्दु संख्या–11 में ''डॉ0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ऐसे सम्बल ग्राम जहॉ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5000 से अधिक हो'' के स्थान पर सम्बल ग्राम की कुल जनसंख्या **5000 से अधिक हो पढा जावें।**

SD
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक :– एफ:2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.लाईन/सान्याअवि/2014–15/ 10120–10259 जयपुर, दिनांक 29.4.2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नि. लि. राज. जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त राजस्थान।
9. परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नि. लि., समस्त राजस्थान।
10. उप/सहायक निदेशक/जि.प.एवं स.क.अ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

SD
अति. निदेशक (एससीएसपी)

परिशिष्ट – 12

"अनुसूची (उपबन्ध–1)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12 (4)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.06.2014 द्वारा संशोधित)

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [धारा 3(1)(i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 90,000/– रूपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : I. 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए। II. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए।
2.	क्षति पंहुचाना अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा3(1) (ii)]	
3.	अनादर सूचक कार्य [धारा3(1) (iii)]	
4.	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि [धारा 3 (1)(iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 90,000/– रूपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहॉ आवश्यक हो, सरकार के खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।
5.	भूमि, परिसर या जल से संबंधित [धारा 3(1) (v)]	
6.	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी [धारा 3(1) (vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 90,000/– रूपए प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्व होने पर।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3(1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 75,000/– रूपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।
8.	मिथ्या, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही[धारा 3(1) (viii)]	90,000/– रूपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी [धारा 3 (1) (ix)]	

10.	अपमान, अभित्रास और अवमानना [धारा 3(1) (x)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 90,000/– रूपए तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष सिद्ध होने पर।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3(1) (xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,80,000/– रूपए, चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
12.	महिला का लैंगिक शोषण [धारा 3(1) (xii)]	
13.	पानी गन्दा करना (अधिनियम [धारा 3(1) (xiii)]	3,75,000/– रूपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14.	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [धारा 3(1) (xiv)]	3,75,000/– रूपए तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
15.	किसी को निवास स्थान छोडने पर मजबूर करना [धारा 3 (1) (xv)]	स्थल बहाल करना। ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 90,000/– रूपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप–पत्र भेजा जाए।
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [धारा 3(2)(i) और (ii)]	कम से कम 3,75,000/– रूपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप–पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना [धारा 3(2)(v)]	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,80,000/– रूपए यदि अनुसूची मे विशिष्ट । अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि मे अन्तर होगा।
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [धारा 3(2)(vii)]	उसी प्रकार से प्रतिकर का भुगतान किया जाए जिस प्रकार से यदि अभियुक्त लोक सेवक न हो।
19.	निःशक्तता की परिभाषा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995	

	की धारा में यथा प्रदत होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय–समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी। अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध–2 पर संलग्न है। (क) 100% असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य (ख) जहाँ असमर्थता 100% से कम है	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 3,75,000/– रूपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप–पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर। अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 7,50,000/– रूपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट या चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर। परन्तु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम मे से 60,000/– रू से न्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम मे से 1,20,000/– रू से न्यून रकम की कमी की जाएगी।
20.	हत्या/मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 3,75,000/– रूपए। 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम 7,50,000/– रूपए । 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित।	उपयुक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :– (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 4500/– रूपए प्रति मास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक

		मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा। (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्च। बच्चों को आश्रम के विद्यालयो या आवासीय विद्यालयो में दाखिल किया जाए। (iii) तीन मास की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
22.	पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान	जहाँ मकान को जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया हो। वहाँ सरकारी खर्च पर ईंट–पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।"

परिशिष्ट–13

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 11 की प्रति अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं–

1. अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का एक्सप्रेस/ मेल/ यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाड़ा अथवा बस व टैक्सी वास्तविक भाड़े का संदाय किया जाएगा।
2. जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उप अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधाएं देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
3. प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अवयस्क व्यक्ति, साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का व्यक्ति अपनी पसंद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाए जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को देय यात्रा और भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा।
4. साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा। जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगा।
5. साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण–पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत करे।
6. पीड़ित व्यक्तियों, उनके आश्रितों/ परिचर तथा साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों या पुलिस अधीक्षक/ उप पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य संबंधित अधिकारी के पास अथवा विशेष न्यायालय जाने के दिनों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय तथा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जाएगा।
7. जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श रक्ताधान बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र, भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

परिशिष्ट – 14

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN RAJASTHAN

Published by Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Law Deptt.)

Govt. of India 151 The Gazette of India Extra Ordinary Part-II dated 20th Sept., 1976.

Part - XV Rajasthan (Enforced w.e.f. 27th July, 1977)

S.No.	SCHEDULED CASTES	S.No.	SCHEDULED CASTES
1-	Adi Dharmi	28-	Gavaria
2-	Aheri	29-	Godhi
3-	Badi	30-	Jingar
4-	Bagri, Bagdi	31-	Kalbelia, Sapera
5-	Bairwa, Berwa	32-	Kamad, Kamadia
6-	Bajgar	33-	Kanjar, Kunjar
7-	Balai	34-	Kapadia Sansi
8-	Bansphor, Bansphod	35-	Khangar
9-	Baori	36-	Khatik
10-	Bargi, Vargi, Birgi	37-	Koli, Kori
11-	Bawaria	38-	Kooch Band, Kuchband
12-	Bedia, Beria	39-	Koria
13-	Bhand	40-	Madari, Bazigar
14-	Bhangi, Chura, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Valmiki, Korar, Zadmalli	41-	Mahar, Taral, Dhegumegu
		42-	Mahyavanshi, Dhed, Dheda, Vankar, Maru Vankar
15-	Bidakia	43-	Majhabi
16-	Bola	44-	Mang, Matang, Minimadig
17-	Chamar, Bhambhi, Bambhi, Bhambi, Jatia, Jatav, Jatava, Mochi, Raidas, Rohidas, Regar, Raigar, Ramdasia, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Telegu, Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohit, Samgar	45-	Mang Garodi, Mang Garudi
		46-	Megh, Meghval, Meghwal, Menghvar
		47-	Mehar
		48-	Nat, Nut
		49-	Pasi
18-	Chandal	50-	Rawal
19-	Dabgar	51-	Salvi
20-	Dhanak, Dhanuk	52-	Sansi
21-	Dhankia	53-	Santia, Satia
22-	Dhobi	54-	Sarbhangi
23-	Dholi	55-	Sargara
24-	Dome, Dom	56-	Singiwala
25-	Gandia	57-	Thori, Nayak
26-	Garancha, Gancha	58-	Tirgar, Tirbanda
27-	Garo, Garura, Gurda, Garoda	59-	Turi

S.No.	SCHEDULED TRIBES	S.No.	SCHEDULED TRIBES
1-	Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave	7-	Kokna, Kokni, Kukna
		8-	Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
		9-	Mina
2-	Bhil Mina	10-	Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
3-	Damor, Damaria		
4-	Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi	11-	Patelia
5-	Garasia (other than Rajput Garasia)	12-	Seharia, Sehria, Sahariya
6-	Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari		

This Central Act was notified vide Govt. of India No. BC/12016/34/76/SCT-5th and came into force w.e.f. 27-07-1977.

This issues with the concurrence of the Govt. of Rajasthan, in the Social Welfare Department.

परिशिष्ट – 15

अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ की सूची

क्र.सं.	अनुसूचित जातियाँ	क्र.सं.	अनुसूचित जातियाँ
1.	आदि धर्मी	28.	गवारिया
2.	अहेरी	29.	गोधी
3.	बादी	30.	जीनगार
4.	बागरी, बागड़ी	31.	कालबेलिया, सपेरा
5.	बैरवा, बेरवा	32.	कामड़, कामड़िया
6.	बाजगर	33.	कंजर, कुंजर
7.	बलाई	34.	कपाड़िया सांसी
8.	बांसफोर, बांसफोड़	35.	खंगार
9.	बावरी	36.	खटीक
10.	बर्गी, वर्गी, बिर्गी	37.	कोली, कोरी
11.	बावरिया	38.	कूचबन्द, कुचबन्द
12.	बेडिया, बेरिया	39.	कोरिया
13.	भांड	40.	मदारी, बाजीगर
14.	भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर,	41.	महार, तराल, धेगुमेगु
	लालबेगी, बाल्मीकि, वाल्मीकि, कोरार, झाडमाली	42.	माहयावंशी, ढेड़, डेड़ा, वणकर, मारु वणकर
15.	बिदाकिया	43.	मज़हबी
16.	बोला	44.	मांग, मातंग, मिनिमादिग
17.	चमार, भंभी, बंभी, भंबी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची,	45.	मांग गारोड़ी, मांग गारुडी
	रैदास, रोहिदास, रेगर, रैगर, रामदासिया, असादरू,	46.	मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार
	असोदी, चमाडिया, चम्भार, चामगार, हरलप्या, हराली,	47.	मेहर
	खलपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, तेलगु मोची,	48.	नट, नुट
	कामटी मोची, राणीगार, रोहित, सामगार	49.	पासी
18.	चांडाल	50.	रावल
19.	दबगर	51.	सालवी
20.	धानक, धानुक	52.	सांसी
21.	धानकिया	53.	सांतिया, सतिया
22.	धोबी	54.	सरभंगी
23.	ढोली	55.	सरगड़ा
24.	डोम, डूम	56.	सिंगीवाला
25.	गांडिया	57.	थोरी, नायक
26.	गरांचा, गांचा	58.	तीरगार, तीरबन्द
27.	गरो, गरुड़, गुर्डा, गरोडा	59.	तुरी

क्र.सं.	अनुसूचित जनजातियाँ
1.	भील, भील गरासिया, धोली भील, डुगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे
2.	भील मीना
3.	डामोर, डामरिया
4.	धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5.	गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6.	काथोड़ी, कातकरी, ढोर काथोड़ी, ढौर कातकरी, सोन काथौडी, सोन कातकरी
7.	कोकना, कोकनी, कुकणा
8.	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा
9.	मीना
10.	नायकड़ा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11.	पटेलिया
12.	सेहारिया, सेहरिया, सहारिया

परिशिष्ट – 16

LIST OF DENOTIFIED TRIBES, NOMADIC TRIBES AND SEMI NOMADIC TRIBES

As Approved vide Government in Social Welfare Department
Order No. F.1(F)(2)SW/63/ dated 24-02-64
विमुक्त, घुमन्तू जातियों और अर्द्ध घुमन्तू जातियों की सूची

Denotified Tribes (विमुक्त जातियां)

1. Baori (बावरी)
2. Kanjar (कंजर)
3. Sansi (साँसी)
4. Bagri (Bawaria) (बागरी)(बावरिया)
5. Mogia (मोगिया)
6. Nut (नट)
7. Naik (नायक)
8. Multanis (मुल्तानिस)
9. Bhat (भाट)

Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes (घुमन्तू एवं अर्द्ध घुमन्तू जातियां)

Nomadic Tribes (घुमन्तू जातियां)

1. Baldias (Banjaras) (बालदायस) (बंजारा)
2. Pardhis (परधिस)
3. Domabaris (दोमाबरिस)
4. Gadia Lohars (गाड़िया–लोहार)
5. Iranis (इरानिस)
6. Jogi Kalbelia (जोगी कालबेलिया)
7. Jogi Kanphata (जोगी कनफटा)
8. Khurpalts(Kulphaltas) (खुरपलटास)
9. Shikkaligar (सिक्लीगर)
10. Ghisadis (घिसारिस)

Semi Nomedic Tribes (अर्द्ध घुमन्तू जातियां)

1. Sarangiwala Bhopas (सारंगीवाला भोपास)
2. Rebaris (रैबारी)
3. Raths (राठ)
4. Mangalias (मंगालिसा)
5. Bhay (भाया)
6. Kannis (कन्नीस)
7. Janglus (जंगलूस)
8. Jalukus (जालूखुस)
9. Jhangs (जान्स)
10. Sindlus (सिन्डुलस)
11. Jogis (other then those included in Nomadic Tribes) (जोगी)(घुमन्तू जातियों में शामिल को छोड़कर)
    - (i) Girinath (गिरिनाथ)
    - (ii) Ajaipal (अजयपाल)
    - (iii) Agamnaths (अगमनाथ)
    - (iv) Namaths (नामाथ)
    - (v) Jalandhars (जालंधर)
    - (vi) Masanis (मसानी)
12. Ramaswamies (रामास्वामी)
13. Bharaddi-jadhavs (भाराद्धीजाधवस)

विशेष :– आंग्लभाषा (अंग्रेजी) की वर्तनी मान्य है।

परिशिष्ट – 17

क्र.सं.	पिछड़े वर्गो के नाम	क्र.सं.	पिछड़े वर्गो के नाम
1	अहीर (यादव)	47	सतिया–सिंधी
2	बडवा, जाचक, भाट, जागा, राव	48	सिकलीगर, बन्दूकसाज (उस्ता)
3	चारण	49	सिरकीवाल
4	बागरिया	50	स्वर्णकार, सुनार, सोनी, जड़िया
5	बंजारा, बालदिया, लबाना	51	ठठेरा, कन्सारा (भरावा)
6	बढ़ई, जांगिड़, खाती, सुथार, तरखान,खरादी	52	तमोली (तम्बोली)
7	भडभूजा	53	जागरी
8	छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्‌टी छीपा, रंगरेज, नीलगर, नागरबंधारा, खट्‌टी छीपा/सिंधी खत्री	54	जाट (धौलपुर, भरतपुर जिले के अतिरिक्त)
9	डाकोत, देशांतरी, रंगासामी (अडभोपा)	55	रायसिख
10	नगारची–दमामी(मुस्लिम), राणा(मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम)	56	हलाली, कसाई
11	दरोगा, रावणा–राजपूत, हजूरी, वजीर	57	दांगी
12	दर्जी	58	लोढे–तंवर
13	धाकड	59	सोंधिया
14	धीवर, कहार, भोई, सगरवंशी–माली, कीर, मेहरा, मल्लाह (निषाद), बारी, भिश्ती, मछुआरा	60	विश्नोई
15	गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (ग्वाला), पूर्बिया (धनगर, गाडरी)	61	मेव
16	गाडिया–लोहार, गाडोलिया	62	गद्दी
17	घांची	63	फारूकी भटियारा
18	तेली, हम्माल	64	सिलावट (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त),चेजारा
19	गिरी, गोसाई (गुसांई), दसनाम गोस्वामी	65	खेरवा
20	गूजर, गुर्जर	66	धोबी (मुस्लिम)
21	हेला	67	कायमखानी
22	जणवा, खारडीया (सीरवी)	68	कुंजडा, राइन अराई डार (डारान)
23	जुलाहा	69	सपेरा (गैर हिन्दू जाति)
24	जोगी, नाथ, सिद्ध	70	मदारी, बाजीगर (गैर हिन्दू जाति)
25	काछी (कुशवाहा), शाक्य	71	नट (गैर हिन्दू जाति)
26	कलाल, कलाल (टाक), कलाल (मेवाड़ा), कलाल (सुवालका),कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूवालिया), कलाल (पटेल)	72	गाडीत नागौरी, नागौरी (मुस्लिम)
27	कन्डेरा, पिंजारा, मन्सूरी	73	सिन्धी मुसलमान, सिपाही (मुस्लिम)

28	कनबी, कलबी, पटेल, पाटीदार, आंजणा, डांगी पटेल, कुलमी	74	खेलदार
29	खारोल (खारवाल)	75	चूनगर
30	किरार (किराड)	76	राठ
31	कुम्हार (प्रजापति), कुमावत, सुआरा, मोयला	77	मुल्तानीज
32	लखेरा (लखारा), कचेरा, मनिहार	78	अनाथ बच्चे
33	लोधी (लोधा)	79	मोची (गैर हिन्दू जाति)
34	लोहार, पांचाल	80	देशवाली
35	महा–ब्राह्मण (अचारज), फकीर	81	कोतवाल / कोटवाल
36	माली, सैनी, बागवान	82	चोबदार
37	मेर (मेहरात–काठात, मेहरात–घोडात, चीता)	83	कागजी
38	मिरासी, ढाडी, लंगा/मंगनियार	84	बिसायती
39	मोगिया (मोग्या)	85	कम्बोज
40	नाई, सैन, वेदनाई	86	इलाहा/इलाही(दाई–माई)
41	न्यारिया (न्यारगर)	87	गुरू,गर्ग ब्राह्मण
42	ओड	88	पुजारी सेवक
43	पटवा (फदाल)	89	शोरगर
44	राईका, रैबारी (देबासी)	90	कृषक (करसा) राजपूत (खरवड़, चदाना, ऊंठड़, परमार, कड़ेचा, तलादरा, दिया, गुल, दषाणा) समाज
45	रावत		
46	साद, स्वामी, बैरागी, जंगम	91	भोपा/भोपा (नायक)

राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र. सं	विशेष पिछड़े वर्गो के नाम
1	बंजारा, बालदिया, लबाना
2	गाड़िया–लोहार, गाडोलिया
3	गूजर, गुर्जर
4	राईका, रैबारी (देबासी)
5	गडरिया (गाडरी), गायरी

परिशिष्ट – 18

Central List of OBCs for the State of Rajasthan

Entry No.	Caste / Community	Resolution No. &	Date
1.	Ahir (Yadav)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
2.	Badwa, Bhat, Rao, Jachak, Jaga	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
		12015/9/2000-BCC	dt.06.09.2001
3.	Badhai, Jangid, Khati, Kharadi, Suthar, Tarkhan	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
4.	Bagaria	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
5.	Banjara, Baladia, Labana	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
6.	Bharbhuja	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
7.	Charan	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
8.	Chhippa (Chhipi), Nama, Bhavsar	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
9.	Dakaut, Deshantri, Rangasami (Adbhopa)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12015/15/2008-BCC	dt.16.06.2011
10.	Damami, Nagarchi	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12015/15/2008-BCC	dt.16.06.2011
11.	Daroga, Daroga-Rajot, Ravana-Rajput,	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
	Hazuri, Wazir	12011/36/99-BCC	dt.04.04.2000
		12015/9/2000-BCC	dt.06.09.2001
12.	Darzi	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
13.	Dhakad	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
14.	Dhivar, Kahar, Bhoi, Sagarvanshi-Mali,	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
	Keer, Mallah, Mehra, Nishad, Bhisti	12015/15/2008-BCC	dt.16.06.2011
15.	Gadaria (Gadri), Ghosi (Gvala), Gaddi, Gayri	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/36/99-BCC	dt.04.04.2000
		12015/9/2000-BCC	dt.06.09.2001
		12015/15/2008-BCC	dt.16.06.2011
16.	Gadia-Lohar, Gadola	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
17.	Ghanchi	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
18.	Giri, Gosain (Gushain)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
19.	Gujar, Gurjar	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
20.	Hela	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
21.	Janwa, Sirvi	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
22.	Jogi, Nath	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
23.	Julaha (Hindu & Muslim)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
24.	Kachhi, Kachhi Kushwaha, Kachhi-Shakya	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
25.	Kalal (Tak)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
26.	Kanbi	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
27.	Kandera, Pinjara, Mansoori	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
28.	Kharol	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
29.	Kirar (Kirad)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994

Entry No.	Caste / Community	Resolution No. &	Date
30(a).	Kumhar (Prajapati)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
30(b).	Kumawat	12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
31.	Lakhera (Lakhara), Manihar	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
32.	Lodhi (Lodha, Lodh)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
33.	Lohar, Panchal	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
34.	Maha-Brahman (Acharai)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
35.	Mali, Saini, Bagwan, Rayee/Rayeen, Kunjara	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
		12011/36/99-BCC	dt.04.04.2000
36.	Mer (Mehrat-Kathat, Mehrat-Ghodat, Cheeta)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
37.	Mirasi, Dhadi	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
38.	Mogia (Mogya)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
39.	Nai, Sain, Bain Nai	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
40.	Nyarai	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
41.	Odd	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
42.	Patwa (Phadal)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
43.	Raika, Rebari (Debasi)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
44.	Rawat	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
45.	Sad, Swami	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
46.	Satiya-Sindhi	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
47.	Sikligar	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
48.	Sirkiwal	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
49.	Swarnakar, Sunar, Soni	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/36/99-BCC	dt.04.04.2000
50.	Tamoli (Tamboli)	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
51.	Teli	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
52.	Thathera, Kansara, Bharawa	12011/9/94-BCC	dt.19.10.1994
		12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
53.	Sakka-Bhishti, Saqqa-Bhishti, Bhishti-Abbasi	12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
54.	Mochi (other than those who are included in the list of Scheduled Castes for Rajasthan)	12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
55.	Dhobi (other than those who are included in the list of Scheduled Castes for Rajasthan)	12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
56.	Rangrez, Nilgar	12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
57.	Chungar	12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
58.	Jat (धौलपुर, भरतपुर जिले के अतिरिक्त)	12011/68/98-BCC	dt.27.10.1999
		20012/129/2009-BC dt 04-03-2014	
59.	Bari	12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
60.	Faqir/Faquir (Kadiris Chistis and Naqshbandias are not included)	12011/88/98-BCC	dt.06.12.1999
61.	Kasai	12011/36/99-BCC	dt.04.04.2000
62.	Silawat (except Sompura Murtikar)	12011/4/2002-BCC	dt.19.06.2003
63.	Kalbi	12011/44/99-BCC	dt.21.09.2000
64.	Bhatiara	12011/44/99-BCC	dt.21.09.2000
65.	Rai-Sikh	12011/44/99-BCC	dt.21.09.2000
66.	Mev	12015/15/2008-BCC	dt.16.06.2011
67.	Sindhi Musalman	12015/15/2008-BCC	dt.16.06.2011
68.	Deshwali	12015/15/2008-BCC	dt.16.06.2011

परिशिष्ट – 19

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ ।।(136) (2)आरएण्डपी/सान्याअवि/2011/8945 दिनांक 14–02–2012

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(136)आरएण्डपी/सकवि/2001/10999 जयपुर, दिनांक 19.03.2001 के द्वारा गठित राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक डी. 159/मं.मं./2011 दिनांक 30.11.2011 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक एफ. 11(136)आरएण्डपी/सान्यावि/2001/89104 जयपुर दिनांक 29.11.2011 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक से गठन किया गया है ।

राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रशासनिक विभाग, जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा

ह0/–
(अदिति मेहता)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ.1(8)एसीएसपी/सान्यावि/2010/5723 दिनांक 30.11.2012

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के बांरा जिले में खैरवा जाति (पिछडा वर्ग) के समस्त परिवारों को भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल परिवार) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाऐं उपलब्ध करायी जावें ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।

ह0/–
(अदिति मेहता)
प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट – 20

राज्य में संचालित वृद्धाश्रमों का विवरण

क्र. सं. **राजकीय तथा नवनिर्मित राजकीय वृद्धाश्रम एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों की सूची । इन प्रत्येक वृद्धाश्रमों की स्वीकृत संख्या 25 आवासी है ।**

1. राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, केशवनगर, हाई स्कूल के पास पुष्कर, अजमेर।
2. राजकीय वृद्धाश्रम, वृन्दावन एन्कलेव, जयपुर रोड, बीकानेर (50 वृद्ध)।
3. राजकीय वृद्धाश्रम, नारी निकेतन परिसर नागौर रोड जोधपुर।
4. राजकीय वृद्धाश्रम सरसों अनुसंधान केन्द्र के पीछे मथुरा बाईपास रोड, भरतपुर ।
5. राजकीय वृद्धाश्रम जलदाय विभाग की पानी की टंकी के पास, स्वामी विवेकानंद नगर कोटा।
6. राजकीय वृद्धाश्रम, स्वयसिद्धा परिसर, जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर।
7. राजकीय वृद्धाश्रम, डूँगरपुर रोड़ बचीचा के पास, उदयपुर।
8. नारी चेतना समिति, बी 226, जनता कालोनी, जयपुर।
9. जागृति मंदिर समिति, 281, महावीर नगर (द्वितीय) कोटा।
10. चौपडा पब्लिक शिक्षण संस्थान, गली नं 5, चौपडा फार्म, कोटा जंक्शन, कोटा।
11. पूजा संस्थान, गोराणा, तह झाडोल फलासिया, जिला उदयपुर (50 वृद्ध)।
12. जय भीम वाल्मिकी समाज सुधार संस्थान, नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर।
13. भारत माता सेवा समिति हरि ओम नगर, कच्ची बस्ती, पानी की टंकी के पास, वीर सांवरकर नगर कोटा।
14. लोहागढ संस्कृति एवं सामाजिक संस्थान, गोल बाग रोड, भरतपुर।

परिशिष्ट – 21

स्वयं सेवीसंस्थाओं द्वारा संचालित भक्त श्रवण कुमार सेवा आश्रमों (डे–केयर सेन्टरों) की सूची

क्र.सं.	जिला नाम	स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम	
1	जयपुर	1	आलोक प्रसार समिति, 1/23, मालवीय नगर, जयपुर
		2	रोशनी जन चेतना महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1466 जय भवन, सुभाष चौक, जयपुर
		3	जनहित मानव विकास समिति, ए–93 हिदां की मोहरी के बाहर लक्ष्मीनारायणपुरी,खटीकान स्कूल के पास, जयपुर
		4	इण्डियन जेरोन्टोलोजिकल एसोसियशन, सी 207, मनुमार्ग तिलक नगर, जयपुर
		5	अनुभव शैक्षिक प्रशिक्षण सांस्कृति एवं सामा. विकास संस्थान, 64 डिपेन्स कालोनी,सुग्रीव मार्ग, वैशालीनगर, जयपुर
2	दौसा	6	सोशियल डवलपमेंट सोसायटी, खटीकॉन मौहल्ला वार्डन. 10 दौसा
3	झुंझुनूं	7	नीलम महिला एवं बाल कल्याण समिति, मौहल्ला खटीकान वार्ड न. 15 उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं
4	श्रीगंगानगर	8	यौवन संस्थान, 3/25, हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर
5	कोटा	9	राजस्थान अनुसूचित जाति महिला एवं शिशु विकास समिति,नगर परिषद कालोनी के पास, छावनी, कोटा
		10	अकेडमी आफ एज्युकेशनल सोसायटी (औंस) कोटा
		11	भारतीय नवयुवक विकास समिति, ममता क्लिनिक नगर निगम कॉलोनी के पास, कोटा
		12	युक्ता जन कल्याण समिति, कोटा 3/ 68 गणेश तालाब कोटा
		13	भारत माता सेवा समिति, हरिओम नगर,कच्ची बस्ती, पानी–टंकी के पास, वीर सावरकर नगर, कोटा
6	बारां	14	केशव जन कल्याण समिति, 1 जे–29 जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बारां
		15	आश्रय मानव कल्याण सेवा संस्थान, नाकोड़ा कालोनी, सहरोड़, तेल फैक्ट्री (अटरू) बारां
		16	युवा विकास संस्था, किशनगंज बारां
		17	जय हनुमान सेवा संस्थान, रामपुरिया तह. अटरू जिला बारां

7	बून्दी	18	नारायण सेवा विकास संस्थान, भैरूगेट बालचन्द पाड़ा, बूंदी
		19	आदर्श सरस्वती महिला कल्याण प्रशिक्षण समिति, ब्रहम्मपुरी बूंदी
8	जोधपुर	20	सिम्बल संस्थान, के–6, ज्योतिनगर चांदना भाखर, सोमानी कालेज रोड़ जोधपुर
9	जालौर	21	हनुमान सेवा समिति, लालपोल के अन्दर, जालौर
10	डूंगरपुर	22	महिला ग्रामीण एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिगपुरा जैन समाज का नौहरा घाटी, डूंगरपुर
11	प्रतापगढ़	23	बहुउद्देशीय आरोग्य सेवा समिति, मोदी भवन कुम्भानगर, जिला प्रतापगढ़
12	भरतपुर	24	श्री जनजीवन कल्याण संस्थान, कातवान मौ. नगर, भरतपुर
		25	लोहागढ संस्कृति एवं संस्थान गोलबाग रोड भरतपुर
13	जैसलमेर	26	मरू क्षेत्रीय विकास समिति, स्कूल के पीछे, डाबला, जैसलमेर
14	उदयपुर(टीएडी)	27	पूजा संस्थान, गौराणा, झाड़ोल जिला उदयपुर

परिशिष्ट–22

गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) की सूची जिन्हे राज्य सरकार द्वारा चिरायु योजनान्तर्गत अनुदान राशि स्वीकृत की गई

क्र.सं.	गैर सरकारी संस्था का नाम एवं पता
1	श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा।
2	माँ माधुरी बृजवारिस सेवा सदन ''अपना घर'', बझेरा, अछनेरा रोड़, भरतपुर।
3	परमार्थ सेवा समिति, सिंधी कॉलानी, कस्बा निवाई, जिला टोंक।
4	एकलव्य विकास समिति, सैपऊ, धौलपुर द्वारा संतोष कौशिक, अम्बेडकर पार्क के सामने, मनियां, धौलपुर।
5	आश्रय मानव कल्याण सेवा संस्थान, ग्राम पोस्ट सहरोड, तह.अटरू, जिला बांरा।
6	श्री सेवा संस्थान, पुलिस थाने के पास, स्टेशन रोड़, निम्बाहेड़ा, जिला चितौडगड़।
7	प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन स्कूल समिति, 2/26–27, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर।
8	वर्धमान महिला सेवा मंदिर, कॉलेज रोड़, कानोड़, जिला उदयपुर।
9	महावीर इंटरनेशनल, 363 सी, तलवंडी, कोटा।
10	माँ माधुरी बृजवारिस सेवा सदन ''अपना घर'', बझेरा, अछनेरा रोड़, भरतपुर।
11	सुदामा सेवा संस्थान, गायत्री नगर, सिविल लाइन्स रोड, बूंदी।
12	शहीद भगत सिंह मेमोरियल समिति, ग्राम पंतरोड़ा, तह.अनूपगढ,श्रीगंगानगर।
13	जय अम्बे सेवा समिति, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय परिसर, रेडक्रॉस भवन के सामने, अजमेर।

परिशिष्ट–23

जिला एवं तहसील मुख्यालय पर संचालित वृद्धाश्रम			स्वीकृत क्षमता
1	चित्तौडगढ़	नवकार एज्यूकेशन सोसायटी चित्तौडगढ बड़ी सादडी	
2	जैसलमेर	जगमाल कल्याण संस्थान,पन्नारसर तह भणियाणा जैसलमेर ।	25
3	डूॅगरपुर	मुस्कान संस्थान मौहल्ला घाटी, डूॅगरपुर।	25
4	बारां	लोक विकास समिति बारां द्वारा अन्ता ।	25
5		संस्कार सेवा संस्थान मांगरोल द्वारा मांगरोल ।	25
6		बाबा रामदेव वृद्धाश्रम पारलिया अटरू ।	25
7		युक्ता जन कल्याण समिति, कोटा द्वारा छबड़ा ।	25
8		प्रेरणा एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी टोंक द्वारा शााहबाद।	25
9	बून्दी	नारायण सेवा संस्थान बून्दी द्वारा देवपुरा बून्दी ।	25
10		युक्ता जनकल्याण समिति,केशवराव पाटन बून्दी पाटन ।	25
11	भरतपुर	ऋषभ मानव सेवा संस्थान ग्राम व पोस्ट चैटोली तह वैर जिला भरतपुर द्वारा तहसील भुसावर ।	25
12	टोंक	गंगेश्वर महादेव ग्रामीण विकास समिति, इकबालगज द्वारा अम्बिका कॉलोनी टोंक ।	25
13	करौली	इन्दिरा गांधी महिला बाल विकास सेवा संस्थान, श्रीमहावीरजी द्वारा टोडाभीम ।	25
14	प्रतापगढ	हैल्प संस्थान, एमजी रोड, कोहिनूर शोरूम के पास, प्रतापगढ।	25
15	सवाईमाधोपुर	प्रयास संस्था, स0माधोपुर 106, राजविहार कॉलोनी, दशहरा मैदान, स0माधोपुर द्वारा राजकीय उ0मा0विद्यालय, के पास अलनपुर ।	25
16	कोटा	राजस्थानअनुसूसचित महिला शिशु विकास समिति, सांगोद, कोटा।	25

17		गंगाविजन, बजरंग नगर कोटा द्वारा इटावा, कोटा।	25
18		युक्ता जन कल्याण समिति, 3आई 101, महावीर नगर, कोटा द्वारा रामगज मण्डी।	25
19		विनायक रिसर्च एण्ड वेलफेयर सोसायटी, कैथून कोटा।	25
20		वेलफयेर सोसायटी बालकुण्ड, केशवपुरा द्वारा मण्डाना कोटा।	25
21	श्रीगंगानगर	भामाशाह श्योनारायण प्रबन्ध सेवा समिति, अनूपगढ।	25
22	धौलपुर	ग्रामीण सेवा संस्थान, वाटर वर्क्स चौराहा जीटी रोड धौलपुर।	25
23	उदयपुर	तारा संस्थान उदयपुर द्वारा हिरणमगरी सैक्टर–6 थाने के पीछे उदयपुर ।	25

परिशिष्ट–24

विभाग द्वारा संचालित महिला सदन एवं नारी निकेतनो की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्थापना वर्ष	स्वीकृत आवासी संख्या
1	राज्य महिला सदन, प्रतापनगर जयपुर	1957–58	150
2	नारी निकेतन, अजमेर	2004–05	50
3	नारी निकेतन, बीकानेर	2004–05	50
4	नारी निकेतन, कोटा	2004–05	50
5	नारी निकेतन, जोधपुर	2004–05	50
6	नारी निकेतन, उदयपुर	2004–05	50
7	नारी निकेतन, भरतपुर	2014–15	50

परिशिष्ट–25

विभागीय जिला कार्यालयो के दूरभाष नम्बर

क्र.स.	जिला/जिला कार्यालय	STD	दूरभाष संख्या
	जयपुर संभाग		
01.	उप निदेशक,जयपुर (शहर)	0141	2786442
02.	उप निदेशक जयपुर (ग्रामीण)	0141	2209776
03.	सहायक निदेशक, अलवर	0144	2344012
04.	सहायक निदेशक, दौसा	01427	223440
05.	सहायक निदेशक,सीकर	01572	248940
06.	सहायक निदेशक,झुझुनू	01592	232884
	बीकानेर संभाग		
07.	उप निदेशक,बीकानेर	0151	2226681
08.	सहा.निदेशक, श्रीगंगानगर	0154	2463582
09.	सहायक निदेशक, चूरू	01562	250943
10.	सहायक निदेशक, हनुमानगढ	01552	261187
	अजमेर संभाग		
11.	उप निदेशक, अजमेर	0145	2623044
12.	सहायक निदेशक, टोंक	01432	254597
13.	सहायक निदेशक, भीलवाड़ा	01482	232678
14.	सहायक निदेशक, नागौर	01582	240798
	कोटा संभाग		
15.	उप निदेशक, कोटा	0744	2325491
16.	सहायक निदेशक, बारां	07453	237121
17.	सहायक निदेशक, बून्दी	0747	244351
18.	सहायक निदेशक, झालावाड़	07432	231215

उदयपुर संभाग			
19.	उप निदेशक, उदयपुर	0294	2410772
20.	सहायक निदेशक, डूंगरपुर	02964	232264
21.	सहायक निदेशक, राजसमन्द	02952	221169
22.	सहायक निदेशक, बासंवाड़ा	02962	254244
23.	सहायक निदेशक, चित्तौड़गढ	01472	241083
24.	सहायक निदेशक, प्रतापगढ	01478	221535
जोधपुर संभाग			
25.	उप निदेशक, जोधपुर	0291	2433473
26.	सहायक निदेशक, जैसलमेर	02992	252517
27.	सहायक निदेशक, बाडमेर	02982	230009
28.	सहायक निदेशक, सिरोही	02972	222544
29.	सहायक निदेशक, जालौर	02973	222486
30.	सहायक निदेशक, पाली	02932	222706
भरतपुर संभाग			
31.	उप निदेशक, भरतपुर	05644	223576
32.	सहायक निदेशक ,धौलपुर	05642	240878
33.	सहायक निदेशक, सवाई माधोपुर	07462	220467
34.	सहायक निदेशक, करौली	07464	251076